छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष : 2017-18

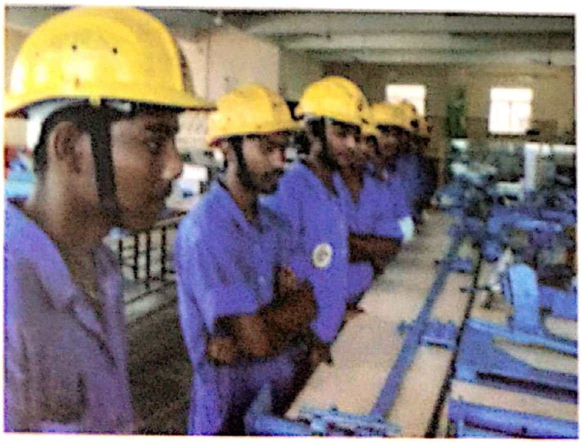

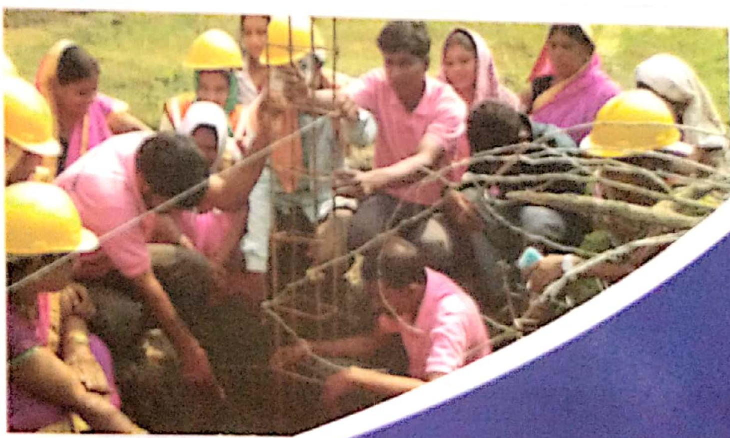

Scanned with OKEN Scanner

माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा श्रम विभाग की योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को सायकल, ई-रिक्शा एवं अन्य हितलाभ प्रदान करते हुए

Scanned with OKEN Scanner

छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष : 2017-18

Scanned with OKEN Scanner

वर्ष : 2017–18

विभाग का नाम	–	**श्रम विभाग**
मंत्री	–	श्री भईया लाल राजवाड़े
विशेष सचिव	–	श्रीमती आर0 शंगीता (आई.ए.एस.)
उप सचिव	–	श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा (आई.ए.एस.)
अवर सचिव	–	श्री तीरथ प्रसाद लड़िया

छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल

अध्यक्ष	–	श्री भईया लाल राजवाड़े माननीय मंत्री, श्रम

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

अध्यक्ष	–	श्री मोहन एंटी

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल

अध्यक्ष	–	श्री योगेश चंद्र शर्मा
उपाध्यक्ष	–	श्री सुभाष तिवारी

विभागाध्यक्ष

1. अध्यक्ष, राज्य औद्योगिक न्यायालय	–	श्री टी.के. चक्रवर्ती
2. श्रमायुक्त	–	श्रीमती आर0 शंगीता (आई.ए.एस.)
3. संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें	–	डॉ. व्ही.बी. मसीन

Scanned with OKEN Scanner

अनुक्रमणिका

क्र.	शीर्षक	पृष्ठ
1.	**श्रम विभाग का उद्देश्य**	1
2.	**श्रम विभाग की संरचना**	2–3
3.	**श्रमायुक्त संगठन रायपुर**	4–10
	3.1 श्रमायुक्त संगठन का अमला	5–6
	3.2 श्रमायुक्त संगठन (मुख्यालय) का अमला	7
	3.3 श्रमायुक्त संगठन (मैदानी अमला)	8
	3.4 श्रमायुक्त संगठन (मैदानी अमला) औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	9
	3.5 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल हेतु अमला	10
4.	**भारत के संविधान में श्रम संबंधी प्रावधान**	11–12
5.	**श्रम अधिनियमों की सूची**	13–14
6.	**महत्वपूर्णश्रम कानूनों के कार्यान्वयन का दायित्व**	15–16
7.	**औद्योगिक संबंध**	17–19
	7.1 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत की गई कार्यवाही	18–19
8.	**व्यवसायिक संघ अधिनियम, 1926 का कार्यान्वयन**	20
9.	**श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन**	21–28
10.	**उपादान भुगतान अधिनियम, 1972**	29
11.	**बोनस भुगतान अधिनियम, 1965**	29
12.	**श्रमिकों के विशेष वर्गों के लिये कार्यक्रम**	30–39
	12.1 महिला श्रमिक	30
	12.2 बाल श्रम	31
	12.3 बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के भाग (अ) एवं (ब) के अंतर्गत प्रतिषेधित उपजीविकाएं एवं प्रक्रियाएं	32–38
	12.4 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना	39
13.	**बीड़ी श्रमिक**	40–41

Scanned with OKEN Scanner

क्र.	शीर्षक	पृष्ठ
14.	बंधक श्रम	42–45
	14.1 वर्ष 2000 से 2017 की अवधि में अन्य राज्यों से जिलेवार विमुक्त बंधक श्रमिक सांख्यिकीय विवरण	44
	14.2 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक अन्य राज्यों से पूर्व वर्षों में विमुक्त लाभांवित बंधक श्रमिक सांख्यिकीय विवरण	44
	14.3 1 अप्रैल 2017 से 31 दिसम्बर 2017 अन्य राज्यों से पूर्व वर्षों में विमुक्त लाभांवित बंधक श्रमिक सांख्यिकीय विवरण	45
15.	श्रम यशस्वी पुरस्कार	45
16.	न्यूनतम वेतन अधिनियम	46–51
17.	राज्य स्तरीय समितियाँ	51
18.	श्रमायुक्त संगठन का बजट वर्ष 2017–18	52
19.	संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा छत्तीसगढ़	53–61
20.	छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल	62–67
21.	छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	68–79
22.	छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल	80–92
23.	राज्य औद्योगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़	93–94
24.	कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, छत्तीसगढ़	95–99

Scanned with OKEN Scanner

1. श्रम विभाग का उद्देश्य

श्रम विभाग का मुख्य दायित्व विभिन्न श्रम अधिनियमों के माध्यम से श्रमिकों के आर्थिक, शारीरिक एवं सामाजिक हितों का संरक्षण करना है। श्रमायुक्त संगठन द्वारा श्रमिकों एवं प्रबंधन के मध्य परस्पर सामंजस्य स्थापित करते हुए श्रमिक हित एवं औद्योगिक विकास में योगदान दिया जाता है। विभिन्न श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन कर श्रमिकों की सेवा शर्तों का नियमन कराना, श्रमिकों का वेतन एवं कार्य दशायें सुनिश्चित कराना तथा औद्योगिक विवादों का निराकरण कर औद्योगिक शांति स्थापित करना, श्रम विभाग का मुख्य दायित्व है। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय औद्योगिक दुर्घटना को नियंत्रित करने हेतु कारखाना सुरक्षा मापदंडो के पूर्ण उपयोग करने तथा श्रमिकों को सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कर श्रमिकों को सुरक्षित कार्य दशा उपलब्ध कराता है ताकि श्रमिकों को स्वस्थ कार्य वातावरण उपलब्ध हो।

श्रमिकों की समस्याओं एवं औद्योगिक विवादों का निराकरण प्रबंधन, श्रमिक संघों एवं श्रमिकों के मध्य समझौता कार्यवाही के माध्यम से किया जाता है। दीवानी तथा फौजदारी प्रकरणों सहित श्रमिकों के सेवा शर्तों आदि के प्रकरणों का निराकरण / निर्धारण हेतु औद्योगिक न्यायालय एवं श्रम न्यायालय की स्थापना की गयी है।

संगठित श्रमिकों एवं उनके परिवार के लिये कल्याणकारी योजनाओं के संचालन हेतु श्रम कल्याण मंडल, भवन एवं अन्य सन्निर्माण में लगे श्रमिकों एवं उनके परिवार के कल्याण के लिये भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मकारों के कल्याण हेतु असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का गठन किया गया है। इन मण्डलों के माध्यम से श्रमिकों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनायें संचालित की जाती है।

इन योजनाओं में श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों का कौशल प्रशिक्षण, उनके रोजगार से संबंधित विभिन्न स्वरोजगारोन्मुखी सामग्रियों का वितरण, बच्चों की समग्र शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु नौनिहाल एवं मेधावी छात्रवृत्तियां, श्रमिकों एवं उनके बच्चों के विवाह हेतु सहायता राशि का भुगतान, सुरक्षा एवं पेंशन से संबंधित हितलाभ, दुर्घटना में चिकित्सा सहायता, बीमारियों के इलाज, मातृत्व हितलाभ, अंत्येष्टि हेतु सहायता अनुदान इत्यादि सम्मिलित हैं।

इसी प्रकार कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं संचालनालय द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत श्रमिकों को चिकित्सा हितलाभ एवं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

2. श्रम विभाग की संरचना

- **विभागाध्यक्ष कार्यालय**

  (1) श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़

  (2) संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाऐं

- **मंडल**

  (1) छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल

  (2) छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

  (3) छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल

Scanned with OKEN Scanner

विभाग की संरचना

श्रम मंत्री

↓

सचिव (श्रम)

↓

श्रमायुक्त

↓

मुख्यालय

अपर श्रमायुक्त
- उप श्रमायुक्त
- सहायक श्रमायुक्त
- श्रम पदाधिकारी
- विधि अधिकारी
- लेखाधिकारी
- सहा० श्रम पदाधिकारी
- अधीक्षक

मैदानी कार्यालय
- सहा० श्रमा० रायपुर
- सहा० श्रमा० दुर्ग
- सहा० श्रमा० कोरबा
- सहा० श्रमा० बिलासपुर
- सहा० श्रमा० रायगढ़
- श्रम पदा० राजनांदगांव
- श्रम पदा० जगदलपुर
- श्रम पदा० जांजगीर–चांपा
- श्रम पदा० अंबिकापुर
- श्रम पदा० महासमुन्द
- श्रम पदा० कबीरधाम
- श्रम पदा० धमतरी
- श्रम पदा० कांकेर
- श्रम पदा० कोरिया
- श्रम पदा० बालोद
- श्रम पदा० बलौदा बाजार
- श्रम पदा० गरियाबंद
- श्रम पदा० मुंगेली
- श्रम पदा० जशपुर
- श्रम पदा० सूरजपुर
- श्रम पदा० बलरामपुर
- श्रम पदा० बेमेतरा
- श्रम पदा० कोण्डागांव
- श्रम पदा० सुकमा
- श्रम पदा० नारायणपुर
- श्रम पदा० बीजापुर
- श्रम पदा० दन्तेवाड़ा

संचालक औ.स्वा. सु.
- उप संचालक
- सहायक संचालक

मैदानी कार्यालय
- उप संचा० रायपुर
- उप संचा० दुर्ग
- उप संचा० बिलासपुर
- उप संचा० रायगढ़
- उप संचा० राजनांदगांव
- उप संचा० कोरबा
- उप संचा० हाईजिन लैब, रायपुर
- सहा० संचा० जांजगीर–चांपा
- सहा० संचा० बलौदा बाजार
- सहा० संचा० जगदलपुर
- सहा० संचा० अंबिकापुर

संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें

↓

मुख्यालय

↓

संचालक
- बीमा चिकित्सा पदा० (प्रथम श्रेणी)
- बीमा चिकित्सा पदा० (द्वितीय श्रेणी)
- लेखा अधिकारी

मैदानी कार्यालय

↓

जिलेवार औषधालय
- रायपुर (8)
- दुर्ग (9)
- कोरबा (6)
- बिलासपुर (3)
- रायगढ़ (6)
- राजनांदगांव (3)
- जांजगीर–चांपा (3)
- धमतरी (1)
- बलौदाबाजार (3)
- गरियाबंद (1)

श्रम कल्याण मंडल

↓

अध्यक्ष

↓

उपाध्यक्ष

↓

कल्याण आयुक्त, रायपुर

↓

जिलेवार संचालित केंद्र
- रायपुर (4)
- दुर्ग (3)
- कोरबा (3)
- बिलासपुर (3)
- राजनांदगांव (3)
- जांजगीर–चांपा (1)

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

↓

अध्यक्ष

↓

सचिव

असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल

↓

अध्यक्ष

↓

सचिव

↓

- उप श्रमायुक्त
- सहायक श्रमायुक्त
- श्रम पदाधिकारी
- लेखाधिकारी

संकेत

श्रमा० =	श्रमायुक्त	औ०स्वा०सु० =	औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
संचा० =	संचालक	बी.चि.पदा.=	बीमा चिकित्सा पदाधिकारी
सहा० =	सहायक	अधि० =	अधिकारी
पदा० =	पदाधिकारी	(.....) =	औषधालयों/केन्द्रों की संख्या

Scanned with OKEN Scanner

3. श्रमायुक्त संगठन, रायपुर

प्रदेश का श्रमायुक्त कार्यालय इंद्रावती भवन, नया रायपुर में है। श्रमायुक्त इसके विभागाध्यक्ष हैं। श्रमायुक्त कार्यालय के अधीन राज्य के 27 जिलों में जिला स्तरीय कार्यालय स्थापित है, जिनमें 05 जिलों में सहायक श्रमायुक्त तथा 22 जिलों में श्रम पदाधिकारी कार्यालय संचालित हैं। इसी प्रकार 10 जिलों में उप संचालक एवं सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय तथा रायपुर में उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (इण्डस्ट्रीयल हाईजिन) का राज्य स्तरीय कार्यालय संचालित हो रहा है।

राज्य के श्रमायुक्त संगठन का मुख्य दायित्व विभिन्न वर्ग के श्रमिकों के हितों का संरक्षण तथा प्रदेश के विकास संबंधी व्यापक हितों को देखते हुए औद्योगिक संबंधों का नियमन करना है। श्रमायुक्त संगठन उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति विभिन्न श्रम कानूनों और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के माध्यम से करता है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बनाये गये विभिन्न श्रम कानूनों के प्रवर्तन, श्रमिकों एवं प्रबंधन के मध्य विद्यमान औद्योगिक विवादों का निराकरण, श्रम संबंधी मामलों में सुनवाई किया जा कर अर्धन्यायिक कार्यवाहियां, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी सेवाएं, विशेष रूप से कमजोर एवं असंगठित श्रमिकों का संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रमिक कल्याण कार्य किया जाता है। राज्य स्तर पर विभिन्न वर्गों से आवश्यक परामर्श के उपरान्त नीति निर्धारण किये जाने हेतु अधिनियमों के प्रावधानानुसार राज्य स्तरीय विभिन्न समितियों/पर्षद का गठन किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

3.1 श्रमायुक्त संगठन का अमला

(दिनांक 01 .01.2018 की स्थिति में)

क्र.	पदनाम	श्रेणी	वेतनमान	स्वीकृत पद			भरे पद			रिक्त पद			रिमार्क
				सीधी भर्ती	पदोन्नति	योग	सीधी भर्ती	पदोन्नति	योग	सीधी भर्ती	पदोन्नति	योग	
1	श्रमायुक्त	प्रथ म श्रेणी	भा0प्र0से0	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–
2	अपर श्रमा .	प्रथम श्रेणी	37400–67000	–	2	2	–	–	–	–	2	2	–
3	उप श्रमायुक्त	प्रथम श्रेणी	15600–39100	–	3	3	–	2	2	–	1	1	–
4	संचालक औ . स्वा. एवं सुरक्षा	प्रथम श्रेणी	15600–39100	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–
5	सहायक श्रमायुक्त	प्रथम श्रेणी	15600–39100	–	7	7	–	5	5	–	2	2	–
6	उप संचालक, औ .स्वा. एवं सुरक्षा	प्रथम श्रेणी	15600–39100	–	8	8	–	7	7	–	1	1	–
7	उप संचालक (चिकित्सा), औ0 स्वा0 एवं सुरक्षा	प्रथम श्रेणी	15600–39100	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–
			योग :–	1	22	23	1	14	15	–	8	8	
8	श्रम पदाधिकारी	द्वितीय श्रेणी	15600–39100	9	18	27	6	2	8	3	16	19	
[illegible]	[illegible] अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	15600–39100	1	0	1	–	–	–	1	0	1	प्रतिनियुक्ति पद
[illegible]	[illegible]	द्वितीय श्रेणी	15600–39100	1	–	1	–	–	–	1	–	1	प्रतिनियुक्ति पद
[illegible]	[illegible]	द्वितीय श्रेणी	15600–39100	20	–	20	17	–	17	3	–	3	
[illegible]	[illegible] संचालक ([illegible]) उप संचा0 [illegible] एवं सु0	द्वितीय श्रेणी	15600–39100	1	–	1	1	–	1	–	–	–	प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत
[illegible]	[illegible] संचालक ([illegible]) उप संचा0 औ0स्वा0 एवं सु0	द्वितीय श्रेणी	15600–39100	1	–	1	–	–	–	1	–	1	–
			योग :–	33	18	51	24	2	26	9	16	25	

Scanned with OKEN Scanner

14	सहायक श्रमपदाधिकारी	तृतीय श्रेणी	9300–34800	9	9	18	5	15	20	4	(–)6	(–)10	06 पद श्रम पदाधिकारी के पदोन्नत पद के विरूद्ध भरा हुआ है।
15	सहायक लेखाधिकारी	तृतीय श्रेणी	9300–34800	1	–	1	1	–	1	–	–	–	प्रतिनियुक्ति पद
16	सहा. साख्यिकीय अधिकारी	तृतीय श्रेणी	9300–34800	1	–	1	–	–	–	1	–	1	प्रतिनियुक्ति पद
17	अधीक्षक	तृतीय श्रेणी	9300–34800	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–
18	सहायक अधीक्षक	तृतीय श्रेणी	9300–34800	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–
19	स्टेनोग्राफर–2	तृतीय श्रेणी	9300–34800	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–
20	केमिस्ट	तृतीय श्रे णी	9300–34800	2	2	4	1	–	1	1	2	3	–
21	श्रम निरीक्षक	तृतीय श्रेणी	5200–20200	51	51	102	37	27	64	14	24	38	–
22	श्रम उप निरीक्षक	तृतीय श्रेणी	5200–20200	23	24	47	21	24	45	2	–	2	–
23	लैब असिस्टेंट	तृतीय श्रेणी	5200–20200	1	1	2	–	–	–	1	1	2	–
24	स्टेनोग्राफर–3	तृती य श्रेणी	5200–20200	1	2	3	–	–	–	1	2	3	–
25	साख्यिकीय पर्यवेक्षक	तृतीय श्रेणी	5200–20200	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–
26	सहायक ग्रेड–1	तृतीय श्रेणी	5200–20200	–	5	5	–	–	–	–	5	5	
27	सहायक ग्रेड–2	तृतीय श्रेणी	5200–20200	–	56	56	–	50	50	–	6	6	–
28	डाटा एण्ट्री आपरेटर	तृतीय श्रेणी	5200–20200	27	–	27	14	–	14	13	–	13	–
29	सहायक ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी	5200–20200	75	25	100	34	5	39	41	20	61	–
30	स्टेनो टाईपिस्ट	तृतीय श्रेणी	5200–20200	2	–	2	–	–	–	2	–	2	–
31	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	5200–20200	17	–	17	5	–	5	12	–	12	सीधी भर्ती के पद के विरूद्ध 02 संविदा मे कार्यरत
			योग :–	**210**	**179**	**389**	**118**	**123**	**241**	**92**	**56**	**149**	
32	लैब अटेंडेट	चतुर्थ श्रेणी	4750–7440	2	–	2	–	–	–	2	–	2	–
33	दफ्तरी	चतुर्थ श्रेणी	4750–7440	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–
34	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	4750–7440	70	–	70	33	–	33	37	–	37	–
35	चौकीदार	चतुर्थ श्रेणी	4750–7440	12	–	12	3	–	3	9	–	9	–
36	स्वीपर	चतुर्थ श्रेणी	4750–7440	2	–	2	–	–	–	2	–	2	–
37	वाहन चालक	चतुर्थ श्रेणी	(जिलाध्यक्षदर)	2	–	2	–	–	–	2	–	2	–
38	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	(जिलाध्यक्षदर)	5	–	5	–	–	–	5	–	5	–
39	चौकीदार	चतुर्थ श्रेणी	(जिलाध्यक्षदर)	19	–	19	2	–	2	17	–	17	–
40	अंशकालीन स्वीपर	चतुर्थ श्रेणी	(जिलाध्यक्षदर)	3	–	3	2	–	2	1	–	1	–
			योग :–	114	1	115	40	0	40	74	1	75	
			कुल योग :–	359	220	579	183	139	322	176	81	257	

Scanned with OKEN Scanner

3.2 श्रमायुक्त संगठन (मुख्यालय) का अमला

क्र.	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	वेतन लेबल	स्वीकृत पद	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्रमायुक्त	भा0प्र0से0	–	17	1	1
2.	अपर श्रमायुक्त	37400–67000	8700	15	2	–
3.	संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	15600–39100	8700	15	1	–
4.	उप श्रमायुक्त	15600–39100	7600	14	2	2
5.	सहायक श्रमायुक्त	15600–39100	6600	13	2	2
6.	उप संचालक, औ.स्वा.एवं सुरक्षा	15600–39100	6600	13	1	1
7.	श्रम पदाधिकारी	15600–39100	5400	12	2	1
8.	सहायक संचालक, औ.स्वा.एवं सुरक्षा	15600–39100	5400	12	4	4
9.	विधि अधिकारी	15600–39100	5400	12	1	–
10	सहायक लेखाधिकारी	9300–34800	4300	9	1	1
11.	सहायक श्रम पदाधिकारी	9300–34800	4300	9	14	5
12.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	9300–34800	4300	9	1	–
13.	अधीक्षक	9300–34800	4300	9	1	–
14.	सहायक अधीक्षक	9300–34800	4200	9	1	1
15	श्रम निरीक्षक	5200–20200	2800	7	2	1
16	श्रम उप निरीक्षक	5200–20200	2400	6	2	4
17.	स्टेनोग्राफर–2	9300–34800	4300	8	1	1
18	स्टेनोग्राफर–3	5200–20200	2800	7	3	–
19	डाटाएन्ट्री आपरेटर	5200–20200	2400	6	1	1
20.	सहायक वर्ग–1	5200–20200	2800	7	2	–
21.	सहायक वर्ग–2	5200–20200	2400	6	8	8
22.	सहायक वर्ग–3	5200–20200	1900	5	18	9
23.	स्टेनोटाईपिस्ट	5200–20200	1900	5	2	–
24.	वाहन चालक	5200–20200	1900	5	5	4
25.	दफ्तरी	4750–74[illegible]	[illegible]	4	1	–
26.	भृत्य	4750–7[illegible]	[illegible]	[illegible]	5	5
27.	वाहन चालक (जिलाध्यक्ष) दर)				1	2
28.	भृत्य (जिलाध्यक्ष दर)				5	–
29.	चौकीदार (जिलाध्यक्ष दर)				[illegible]	1
					[illegible]	54

Scanned with OKEN Scanner

3.3 श्रमायुक्त संगठन (मैदानी अमला)

(श्रम कानूनों का क्रियान्वयन)

क्र.	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	वेतन लेबल	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1.	सहायक श्रमायुक्त	15600–39100	6600	13	04	03	01	–
2.	श्रम पदाधिकारी	15600–39100	5400	12	23	07	16	–
3.	सहायक श्रम पदाधिकारी	9300–34800	4300	9	04	02	02	–
4.	श्रम निरीक्षक	5200–20200	2800	7	70	62	08	–
5.	श्रम उप निरीक्षक	5200–20200	2400	6	45	41	04	–
6.	सहायक ग्रेड–1	5200–20200	2800	7	02	–	02	–
7.	सांख्यिकीय पर्यवेक्षक	5200–20200	2800	7	01	–	01	–
8.	सहायक ग्रेड–2	5200–20200	2400	6	35	30	05	–
9.	सहायक ग्रेड–3	5200–20200	1900	4	53	24	29	–
10.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	5200–20200	2400	6	19	08	11	–
11.	वाहन चालक	5200–20200	1900	4	04	–	04	–
12.	भृत्य	4750–7440	1300	1	45	22	23	–
13.	चौकीदार	4750–7440	1300	1	07	03	04	–
14.	चौकीदार	(जिलाध्यक्ष दर पर)			16	–	16	–
				योग	328	202	126	–

Scanned with OKEN Scanner

3.4 श्रमायुक्त संगठन (मैदानी अमला)
(औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा)

क्र.	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	वेतन लेबल	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	उप संचालक	15600—39100	6600	13	07	06	01	
2.	उप संचालक (चिकित्सा)	15600—39100	6600	13	01	—	01	
3.	सहायक संचालक	15600—39100	5400	12	16	13	03	
4.	सहायक संचालक (चिकित्सा)	15600—39100	5400	12	01	01	—	प्रतिनियुक्त से पदस्थ
5.	सहायक संचालक (हाईजीन)	15600—39100	5400	12	01	—	01	
5.	केमिस्ट	9300—34800	4200	8	04	01	03	
6.	सहायक ग्रेड—2	5200—20200	2400	6	11	10	01	
7.	लैब असिस्टेंट	5200—20200	2400	4	02	—	02	
8.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	5200—20200	2400	6	05	03	02	
9.	सहायक ग्रेड—3	5200—20200	1900	4	25	05	20	
10.	वाहन चालक	5200—20200	1900	4	08	01	07	
11.	लैब अटेन्डेन्ट	4750—7440	1300	1	02	—	02	
12.	भृत्य	4750—7440	1300	1	16	06	10	
13.	चौकीदार	4750—7440	1300	1	05	01	04	
14.	स्वीपर	4750—7440	1300	1	02	—	02	
15.	वाहन चालक	जिलाध्यक्ष			01	—	01	
16.	चौकीदार	जिलाध्यक्ष			01	—	01	
17.	अंशकालीन स्वीपर	जिलाध्यक्ष			03	02	01	
						49	62	

Scanned with OKEN Scanner

3.5 छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल हेतु अमला

क्र.	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	वेतन लेबल	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	उप श्रमायुक्त	15600–39100	7600	14	01	–	01	
2.	सहायक श्रमायुक्त	15600–39100	6600	13	01	–	01	
3.	श्रम पदाधिकारी	15600–39100	5400	12	02	–	02	
4.	लेखाधिकारी	15600–3900	5400	12	01	–	01	प्रतिनियुक्ति का पद
5.	श्रम निरीक्षक	5200–20200	2800	7	30	01	29	
6.	सहायक ग्रेड–1	5200–20200	2800	7	01	–	01	
7.	सहायक ग्रेड–2	5200–20200	2400	6	02	02	–	
8.	सहायक ग्रेड–3	5200–20200	1900	4	04	01	03	
9.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	5200–20200	2200	6	02	02	–	
10.	भृत्य	4750–7440	1300	1	04	–	04	
		योग	–	–	48	06	42	

Scanned with OKEN Scanner

4. भारत के संविधान के भाग 3 ("मूल अधिकार") और भाग 4 ("राज्य की नीति के निदेशक तत्व") के "श्रम" संबंधी प्रावधान

मूल अधिकार

स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 19 : वाक्–स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण

(1) सभी नागरिकों को –

(ग) संगम या संघ बनाने का अधिकार होगा।

शोषण के विरूद्ध अधिकार

अनुच्छेद 23 : मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध :

(1) मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

अनुच्छेद 24 : कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध :

चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।

राज्य की नीति के निदेशक तत्व

अनुच्छेद 39 : राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व :

राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से :

(क) पुरूष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो,

(घ) पुरूषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिये समान वेतन हो,

(ङ) पुरूष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति [illegible] बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक [illegible] विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े [illegible] शक्ति के अनुकूल न हों,

Scanned with OKEN Scanner

(च) बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।

अनुच्छेद 41: कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार:

राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।

अनुच्छेद 42: काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध:

राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा।

अनुच्छेद 43 : कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि :

राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योगों के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन–स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 43–क: उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना :

राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा।

"श्रम" संबंधी अधिकांश महत्वपूर्ण विषय संविधान की समवर्ती सूची में है, जिसकी सुसंगत प्रविष्टियों का उद्धरण निम्नानुसार है :–

22. व्यापार संघ, औद्योगिक और श्रम विवाद
23. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, नियोजन और बेकारी
24. श्रमिकों का कल्याण जिसके अंतर्गत कार्य की दशायें, भविष्य निधि, नियोजक का दायित्व, कर्मकार प्रतिकर, अशक्तता और वार्धक्य पेंशन तथा प्रसूति सुविधाएं हैं।

समवर्ती सूची के उक्त विषयों पर कानून बनाने के लिए संसद और राज्य के विधान–मण्डल दोनों सक्षम हैं।

Scanned with OKEN Scanner

5. श्रम अधिनियमों की सूची

संविधान के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसरण में अनेक श्रम कानून बनाये गये हैं। इनमें से छत्तीसगढ़ के लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण श्रम कानूनों की एक सूची निम्नानुसार है (इस सूची में उल्लेखित जिन कानूनों के नाम ''छत्तीसगढ़'' से आरंभ होते हैं, वे राज्य अधिनियम हैं तथा शेष केन्द्रीय अधिनियम हैं) :–

I. औद्योगिक संबंध विषयक कानून

- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
- छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960
- व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926
- औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946
- छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961

II मजदूरी संबंधी कानून

- मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
- बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

III औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी सामान्य कानून

- कारखाना अधिनियम, 1948
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986–विशेषतः उसके अंतर्गत बनाये गये निम्नलिखित नियम :
  - (क) परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण एवं आयात नियम, 1989
  - (ख) रासायनिक दुर्घटना (आपात योजना, तैयारी और अनुक्रिया) नियम, 1996
- खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983

IV कतिपय विशिष्ट प्रकार के नियोजनों में कार्यदशाओं के विनियमन संबंधी कानून

- छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958
- बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966
- ठेका श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970
- मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961

Scanned with OKEN Scanner

- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996
- अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979
- विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976
- श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955
- सिने कर्मकार तथा सिनेमागृह कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1981

V महिला समानता एवं सशक्तिकरण संबंधी कानून

- मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

VI श्रमिकों के कमजोर वर्गों से संबंधित कानून

- बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976
- बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016

VII सामाजिक सुरक्षा संबंधी कानून

- कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952
- उपादान भुगतान अधिनियम, 1972
- असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008

VIII श्रम कल्याण निधियों संबंधी कानून

- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996
- बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 तथा संबंधित उपकर अधिनियम
- लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क खान कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976
- चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1972
- छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982

IX विविध

- श्रम विधि (विवरणी देने तथा रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनाओं को छूट) अधिनियम, 1988

Scanned with OKEN Scanner

6. महत्वपूर्ण श्रम कानूनों के कार्यान्वयन का दायित्व

क्र.	श्रम कानून का नाम	कार्यान्वयन का दायित्व		
		पूर्णतः केंद्र सरकार	पूर्णतः राज्य सरकार	दोनों सरकारों का आंशिक
1	2	3	4	5
1	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947			√
2	छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960		√	
3	व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926		√	
4	औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946	√		
5	छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961		√	
6	मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936			√
7	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948			√
8	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965			√
9	कारखाना अधिनियम, 1948		√	
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986			√
11	खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983		√	
12	छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958		√	
13	बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966		√	
14	ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970			√
15	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनिमय, 1961		√	
16	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996			√

Scanned with OKEN Scanner

17	भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996		√	
18	अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्ते) अधिनियम, 1979			√
19	विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्ते) अधिनियम, 1976			√
20	श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्ते) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955			√
21	सिने कर्मकार तथा सिनेमागृह कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1981	√		
22	मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961			√
23	समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976			√
24	बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976		√	
25	बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016			√
26	कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923			√
27	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948			√
28	कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952	√		
29	उपादान भुगतान अधिनियम, 1972			√
30	बीड़ी कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1976	√		
31	लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क खान कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976	√		
32	चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1972	√		
33	छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982		√	
34	श्रम विधि (विवरणी देने तथा रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनाओं का छूट) अधिनियम, 1988			√
35	असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008			√

Scanned with OKEN Scanner

7. औद्योगिक संबंध

प्रदेश में औद्योगिक संबंधों के नियमन के लिये दो प्रमुख श्रम कानून छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 प्रभावशील है। छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 प्रदेश की ऐसी समस्त अनुसूचित औद्योगिक इकाईयों पर लागू है, जहां विगत एक वर्ष में किसी भी कार्य दिवस में 100 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत रहे हों। अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित उद्योगों की सूची निम्नानुसार है :–

- चावल मिल
- तेल मिल
- चूना उद्योग
- प्रिन्टिंग प्रेस
- एसबेस्टास सीमेंट
- शैलाक (चपड़ा)
- फ्लोअर मिल
- बिस्किट एवं कन्फेक्शनरी
- ग्लास
- वनस्पति घी (हाईड्रोजनेटेड आईल)
- रबर
- कत्था
- नान मेटेलिक मिनरल प्रोडक्ट्स
- जिलेटिन इन्डस्ट्रीज
- फर्टिलाईजर्स जिन्हें उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची की कंडिका 18 में दर्शाया है।

कंडिका 18– फर्टिलाईजर

(1) इनआर्गनिक फर्टिलाईजर।

(2) आर्गनिक।

(3) मिश्रित फर्टिलाईजर।

- ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स् जिन्हें उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम 1951 की प्रथम अनुसूची की कंडिका 22 में दर्शाया गया है :

Scanned with OKEN Scanner

कंडिका 22– ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल्स्।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 जो एक केन्द्रीय अधिनियम है, प्रदेश की शेष समस्त उद्योगों, कारखानों, उपक्रमों तथा स्थापनाओं पर लागू है जिसके लिये राज्य समुचित सरकार है तथा इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित उद्योगों की सूची से भिन्न उद्योग भी सम्मिलित हैं।

जब कभी किसी उद्योग में हड़ताल, तालाबंदी आदि की संभावना होती है या उसकी स्थिति उत्पन्न होती है तो श्रम विभाग के अधिकारी श्रमिक और नियोक्ता पक्षों से लगातार चर्चा कर समस्या का सौहार्द्रपूर्ण विधि अनुकूल हल निकालने और औद्योगिक शांति बनाएं रखने का प्रयास करते हैं।

7.1 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत कार्यवाही

औद्योगिक विवाद उद्भूत होने की दशा में सुलह अधिकारी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(1) के अंतर्गत औद्योगिक विवाद हस्तगत कर सुलह की कार्यवाही करते हैं। इसके असफल होने पर विवाद को श्रम न्यायालय को संदर्भित किया जाता है। वर्ष 2017 के दौरान मुख्यालय को 144 असफल प्रतिवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 117 प्रकरण को श्रम न्यायालय को अधिनिर्णयार्थ संदर्भित किये गये हैं। लंबित 27 प्रकरणों में कार्यवाही निरंतरित है।

छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 की धारा 31 के अंतर्गत कोई भी नियोजक, अथवा कर्मचारियों का कोई भी प्रतिनिधि किसी औद्योगिक विषय में परिवर्तन के संबंध में कोई सूचना/विवाद सुलह अधिकारी को दे सकता है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर सुलह अधिकारी विवाद को हस्तगत कर सुलह की कार्यवाही सम्पादित करता है। सुलह न होने की स्थिति में विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 43(5) में असफल घोषित कर विवाद को सम्बन्धित श्रम न्यायालय को संदर्भित करने हेतु मुख्य सुलहकार को प्रेषित किया जाता है। अधिनियम की धारा 51 में श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय या बोर्ड को संदर्भित करने के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाते हैं।

Scanned with OKEN Scanner

प्रदेश के श्रम न्यायालयों से निर्णित 295 प्रकरण अभिस्वीकृति हेतु श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर को प्राप्त हुआ। सभी प्रकरणों में अभिस्वीकृतियां जारी की गई। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 34 के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति दी जाती है तथा इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान सक्षम न्यायालय द्वारा समुचित शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की मंजूरी पर ही किया जा सकता है। इस संबंध में श्रमायुक्त कार्यालय में वर्ष 2016 के 17 आवेदन लंबित थे। वर्ष 2017 में 32 अभियोजन स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्त हुए। कुल 49 आवेदनों में निरंतर सुनवाई कर 39 आवेदनों का निराकरण किया गया। शेष 10 में कार्यवाही निरंतरित है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33(सी)(1) राजस्व वसूली प्रमाण पत्र के अंतर्गत वर्ष 2017 में कुल 22 प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए 21 प्रकरणों का निराकरण किया गया। लंबित 01 प्रकरण पर कार्यवाही निरंतर जारी है।

Scanned with OKEN Scanner

8. व्यवसायिक संघ अधिनियम, 1926

श्रमिक वर्ग प्रायः आर्थिक रूप से कमजोर एवं पिछड़े होते है। संगठित एवं अंसगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को संगठित करने के उद्‌देश्य से व्यवसायिक संघ अधिनियम, 1926 प्रभावशील किया गया है। व्यवसायिक संघ अधिनियम, 1926 मुख्यतः श्रमिक संगठनों के पंजीयन के लिए निर्मित केन्द्रीय अधिनियम है। इस अधिनियम के अनुसार किसी संस्थान अथवा व्यवसाय में कार्यरत न्यूनतम 07 श्रमिक, संगठन पंजीकृत कराने की पात्रता रखते है। केन्द्र सरकार की अधिसूचना दिनांक 09 जनवरी 2002 द्वारा उक्त अधिनियम में किये गये संशोधन के अनुसार व्यवसायिक संघ के पंजीयन के लिए आवेदन के दिनांक को, ऐसे संघ की सदस्यता, उस संस्थान अथवा उस व्यवसाय में कार्यरत कुल श्रमिकों के [illegible] प्रतिशत अथवा 100 श्रमिक, जो भी कम हो होना अनिवार्य है, किंतु 70 अथवा इससे कम नियोजन पर न्यूनतम स[illegible] 07 आवश्यक है।

पंजीयक, व्यवसायिक संघ की नियुक्ति व्यवसायिक संघ अधिनियम, 1926 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा की जाती है। पंजीयक, व्यवसायिक संघ द्वारा श्रमिक संघों का पंजीयन किया जाता है। असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत, व्यवसायिक संघ में कम से कम आधे पदाधिकारी वास्तविक रूप से उस उद्योग में, जिससे व्यवसायिक संघ संबंधित हो, का होना अनिवार्य है। अन्य व्यवसायिक संघ के पदाधिकारियों की कुल संख्या की एक तिहाई से अधिक या पांच, जो भी कम हो, उसी उद्योग या व्यवसाय में वास्तविक रूप से होना चाहिए। गुण–दोष के आधार पर पंजीयक द्वारा संघ का पंजीयन किया जावेगा अथवा निरस्त किया जा सकेगा। पंजीकृत व्यवसायिक संघ 31 दिसम्बर की स्थिति में अपने आय–व्यय संबंधी लेखा का वार्षिक विवरण प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक पंजीयक को प्रस्तुत करने का प्रावधान है। इसी प्रकार संघ के अनुमोदित विधान अनुसार निर्वाचन सम्पन्न कर निर्वाचन संबंधी माहिती एवं पदाधिकारियों का विवरण पंजीयक को लिपिबद्ध करने हेतु प्रस्तुत करेगा। संघ के पंजीयन हेतु आवेदन अथवा संघ के पंजीयन प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण के विरूद्ध औद्योगिक न्यायालय में अपील किये जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2017 में कार्यालय को पंजीयन हेतु 47 आवेदन प्राप्त हुआ। इसमें से 43 का पंजीयन किया गया तथा 04 आवेदनों में त्रुटि सुधार हेतु आवेदक संघों को पत्र लिखा गया है। वर्ष 2017 में व्यवसायिक संघ अधिनियम 1926 के प्रावधानों एवं नियमों का पालन नहीं करने पर 21 पंजीकृत संघो का पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त किया गया। 31 दिसम्बर 2017 की स्थिति में प्रदेश में 521 व्यवसायिक संघ पंजीकृत हैं।

पंजीकृत श्रम संगठन इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक), भारतीय मजदूर संघ (बी.एम.एस.), हिन्द मजदूर सभा (एच.एम.एस.), ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक), सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू), हिन्द मजदूर किसान परिषद (एच.एम.के.पी.), ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इण्डिया (टी.यू.सी.आई.), ऑल इण्डिया सेन्ट्रल कौंशिल ऑफ ट्रेड यूनियन (एक्टू), नेशनल फ्रन्ट ऑफ इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन जैसे केन्द्रीय श्रम संगठनों से संबंधित है। अधिकांश श्रमिक संगठन किसी भी केन्द्रीय श्रम संगठन से संबद्ध नहीं है।

Scanned with OKEN Scanner

9. श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन

श्रमिकों के हितों को सुरक्षित करने, उनके श्रम का उचित प्रतिफल दिलाने तथा उनके कार्य की दशा, उनके कार्य के घण्टे एवं अवकाश आदि सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न श्रम अधिनियम एवं नियम बनाये गये है। वर्तमान परिदृश्य में केन्द्र शासन की **Ease of Doing Business** नीति के परिपालन में की गई कार्यवाही तथा विभाग द्वारा श्रम अधिनियमों के प्रवर्तन संबंधी जानकारी निम्नानुसार है :–

9.1 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस :-

9.1.1 कारखाना अधिनियम, 1948 अंतर्गत लाइसेंस की प्रकिया में नक्शों का अनुमोदन, निर्माण/विस्तार या किसी भवन को कारखाने के रूप में उपयोग करने हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने अथवा नवीनीकरण संबंधी समस्त कार्य ऑनलाईन किया जा रहा है।

9.1.2 संविदा श्रमिक (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम 1970, अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम 1979, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, बीड़ी एवं सिगार श्रमिक (नियोजन शर्तें) अधिनियम 1966 तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 के अंतर्गत पंजीयन में संशोधन, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति में संशोधन, अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण आदि हेतु संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन कर दी गई है।

9.1.3 विभिन्न श्रम अधिनियमों के प्रवर्तन की प्रक्रिया में श्रम निरीक्षकों द्वारा स्वविवेक से निरीक्षण करने को पूर्णतः प्रतिबंधित करते हुए online computerized randomized allocation of inspections to inspectors प्रणाली के अंतर्गत श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ के नियंत्रण में ऑनलाईन केन्द्रीकृत निरीक्षण प्रणाली प्रारंभ कर दी गई है।

9.1.4 निरीक्षण व्यवस्था सुधार/विवरणी की बहुलता में सरलीकरण की दृष्टिकोण से एकीकृत वार्षिक विवरणी योजना लागू है। इस योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में विभागीय वेब पोर्टल में प्रतिवर्ष 30 जून तक ऑनलाईन विवरणी दाखिल करने हेतु विहित किया गया है।

9.1.5 छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पंजीयन की अवधि हेतु 24 घंटो की समय–सीमा निर्धारित कर दी गई है।

Scanned with OKEN Scanner

9.1.6 विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत पंजीयन/अनुज्ञप्तियों को जारी करने की समय-सीमा 15 दिवस निर्धारित करते हुए उन्हें लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवा अधिसूचित कर दिया गया है।

9.1.7 विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत जारी किये जाने वाले पंजीयन, अनुज्ञप्ति एवं निरीक्षण को ऑनलाईन पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करा दिया गया है।

9.2 **मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशें :–** समाचार पत्र संस्थानों में कार्यरत पत्रकार एवं गैर पत्रकार कर्मचारियों की सेवा शर्तों का विनियमन श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1955 के अंतर्गत किया जाता है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कर्मचारियों का वेतन निर्धारण वेज बोर्ड के माध्यम से किया जाता है। वर्तमान में मजीठिया वेजबोर्ड की अनुशंसा के आधार पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 11/11/2011 को अधिसूचना जारी कर पत्रकारों एवं गैर पत्रकार कर्मचारियों हेतु वेतन/भत्ते का निर्धारण किया गया है। वेजबोर्ड की अनुशंसा अनुसार कर्मचारियो को वेतन भुगतान नहीं किये जाने के कारण 65 कर्मचारियों के आवदेन पर कार्यवाही करते हुए 10,84,78,082 रूपयों के बकाया वेतन हेतु 65 प्रकरण श्रम न्यायालय में संदर्भित किये गये हैं।

9.3 श्रम अधिनियमों के अंतर्गत निरीक्षण एवं अभियोजन

9.3.1 राज्य में श्रमिकों को श्रम कानूनों के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों का लाभ दिलाने हेतु वर्ष में किये गये निरीक्षण एवं अभियोजन संबंधी कार्यवाही का विवरण संलग्न **प्रपत्र– एक से प्रपत्र– चार** में उल्लेख किया गया है।

9.3.2 ठेका श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने तथा विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत देय प्रावधानों का हितलाभ दिलाये जाने हेतु ठेका श्रमिकों को परिचय पत्र प्रदान करने तथा बैंक से मजदूरी भुगतान कराने हेतु विशेष अभियान चलाया गया एवं ठेका श्रमिकों को ई0एस0आई/ई0पी0एफ0 के दायरे में लाये जाने के संबंध में विस्तृत जानकारी **प्रपत्र– पांच एवं छः** में दर्शाया गया है।

9.3.3 प्रदेश में स्थित विभिन्न कारखानों और बड़ी स्थापनाओं जैसे– होटल, मॉल, नर्सिंग होम्स, हास्पीटल, शैक्षणिक संस्थायें एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में विभिन्न श्रम अधिनियमों के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने हेतु वेब पोर्टल द्वारा निर्धारित संस्थानों का निरीक्षण किया गया। वर्ष के दौरान विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत कुल 630 निरीक्षण किया गया तथा दोषी संस्थानों/नियोजकों के विरूद्ध 138 अपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विस्तृत विवरण **प्रपत्र– सात** में दर्शित है।

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र–एक

विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत निरीक्षण अभियोजन विवरण

(01 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक)

क्र.	अधिनियम का नाम	संपादित निरीक्षण संख्या	दायर अभियोजन	निराकृत अभियोजन संख्या	न्यायालय द्वारा अधिरोपित राशि	न्यायालय में लंबित अभियोजन की संख्या	दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अन्तर्गत समझौता प्रकरणों की संख्या	वसूल की गई समझौता राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958	0	0	0	0	0	1266	521586.00
2.	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (अ) (सामान्य नियोजन) (ब) (कृषि नियोजन)	252 0	76 0	0 0	0 0	76 0	- -	- -
3.	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965	149	1	0	0	1	-	-
4.	बीड़ी व सिगार कामगार अधिनियम, 1966	4	0	0	0	0	-	-
5.	उपादान भुगतान अधिनियम, 1972	118	0	0	0	0	-	-
6.	श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982	139	4	0	0	4	-	-
7.	संविदा श्रमिक अधिनियम, 1970	173	46	0	0	46	-	-
8	मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961	70	0	0	0	0	-	-
9	समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	131	42	0	0	42	-	-
10	अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979	74	5	0	0	5	-	-
11	बाल श्रमिक अधिनियम, 1986	140	58	0	0	58	-	-
12	मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961	0	0	0	0	0	-	-
13	श्रम जीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी एवं विविध उपबंध अधिनियम 1965	0	0	0	0	0	-	-
14.	औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1961	0	0	0	0	0	-	-
15.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996	53	3	0	0	3	-	-
16.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952	1	0	0	0	0	-	-
	योग	**1304**	**235**	**0**	**0**	**235**	**1266**	**521586.00**

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र–दो

श्रम कानूनों के तहत् न्यायालय में दायर दावा एवं कार्यालयीन प्रयासों से मजदूरी भुगतान के निराकृत प्रकरण संबंधी विवरण

(01 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक)

क्र.	अधिनियम का नाम	न्यायालय में दायर दावा प्रकरण					न्यायालय के बाहर भुगतान		
		प्रकरण संख्या	दावा राशि			प्रभावित श्रमिक संख्या	प्रकरण की संख्या	भुगतान राशि	लाभान्वित श्रमिक संख्या
			अंतर की राशि	क्षतिपूर्ति की राशि	कुल राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 – (अ) (सामान्य नियोजन) (ब) (कृषि नियोजन) –	12 0	443120 0	4431200 0	4874320 0	98 0	13 37	151202200 270500	46 65
2.	वेतन भुगतान अधिनियम	24	5785483	58444830	64230313	282	213	10309662	1052
	योग	**36**	**6228603**	**62876030**	**69104633**	**380**	**263**	**161782362**	**1163**

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र–तीन

अनुज्ञप्ति/पंजीयन एवं शुल्क संबंधी विवरण

(01 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक)

क्र.	अधिनियम का नाम	विवरण	प्राप्त आवेदन	निरस्त	अनुमोदित	लंबित	श्रमिक संख्या	शुल्क	प्रतिभूति राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ठेका श्रमिक अधिनियम, 1970	पंजीयन	207	41	115	51	52835	115700.00	-
		नवीन अनुज्ञप्ति	2663	1069	1093	501	76942	433020.00	158195000.00
		नवीनीकरण	1835	566	842	427	70707	357440.00	130521000.00
2	अन्तराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979	पंजीयन	15	5	3	7	585	2240.00	-
		नवीन अनुज्ञप्ति	104	56	28	20	3064	22160.00	1169250
		नवीनीकरण	53	30	10	13	2735	16340.00	927150
3	मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम 1961	पंजीयन	111	17	57	37	2992	29640.00	-
		नवीनीकरण	50	-	50	-	2693	17040.00	-
4	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996	पंजीयन	773	175	495	103	16037	87900.00	-
	योग		**5811**	**1959**	**2693**	**1159**	**228590**	**1081480.00**	**290812400.00**

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र—चार

बीड़ी एवं सिगार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थानों तथा श्रमिकों की संख्या

(01 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017)

क्र.	पंजीकृत संस्थानों की संख्या	परिसर में कार्यरत श्रमिकों की संख्या	घरखाता श्रमिकों की संख्या	कुल श्रमिक संख्या	परिचय पत्र धारक श्रमिकों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	16	178	3706	3884	19061

प्रपत्र—पांच

श्रमिकों को बैंक से भुगतान/परिचय पत्र प्रदाय संबंधी जानकारी

क्र.	श्रमिक प्रवर्ग	31.12.2017 की स्थिति में						निर्देशों का पालन नही करने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण			रिमार्क
		श्रमिकों की कुल संख्या	अनुज्ञप्तिधारी ठेकेदारों की कुल संख्या	बैंक से वेतन प्राप्त करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या	परिचय पत्र प्राप्त करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या	कितने श्रमिकों को बैंक से भुगतान प्राप्त नही हो रहा है।	कितने श्रमिकों को परिचय पत्र प्राप्त नहीं हो रहा है।	निरस्त किये गये अनुज्ञप्तियों की संख्या	राजसात किये गये प्रकरणों की संख्या	राजसात की गई राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ठेका श्रमिक	147649	1935	36872	32818	110777	114831	36	51	1435000	0
2	अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक	5799	38	3090	2655	2709	3144	0	0	0	0
3	ठेका सफाई श्रमिक	2611	77	1260	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0
	योग	**156059**	**2050**	**41222**	**36224**	**114837**	**119835**	**36**	**51**	**1435000**	**0**

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र – छः

ठेका श्रमिकों को ई.एस.आई./ई.पी.एफ. के दायरे में लाया जाना

(01 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017)

क्र.	विवरण	कुल कार्यरत ठेका श्रमिकों की संख्या	दायरे में लाये गये ठेका श्रमिकों की संख्या	शेष ठेका श्रमिकों की संख्या
1	2	3	4	5
1	ठेका श्रमिकों को ई.एस.आई. के दायरे में लाया जाना	**147649**	**32835**	**114814**
2	ठेका श्रमिकों को ई.पी.एफ. के दायरे में लाया जाना	**147649**	**39819**	**107830**

प्रपत्र–सात

विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत वेब पोर्टल द्वारा निर्धारित संस्थानों के निरीक्षण की जानकारी

(01 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017 की स्थिति में)

क्र.	अधिनियम का नाम	निरीक्षण	अभियोजन	न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरणों की संख्या	अर्थदण्ड की राशि
1	2	3	4	5	6
1	दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958	0	0	0	0
2	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	147	54	0	0
3	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965	72	1	0	0
4	उपादान भुगतान अधिनियम, 1972	68	0	0	0
5	श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982	96	0	0	0
6	संविदा श्रमि क अधिनियम, 1970	106	44	0	0
7	मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961	46	0	0	0
8	समान परिश्रमिक अधिनियम, 1976	95	39	[illegible]	0
9	वेतन भुगतान अधिनियम, 1936	0	0	[illegible]	0
	योग	**630**	**138**	[illegible]	**0**

9.4 श्रम विधियों में संशोधन

9.4.1 भारत शासन द्वारा अनुशंसित मॉडल दुकान एवं स्थापना अधिनियम को प्रदेश के लिये ग्राह्य करते हुए विधानसभा के मानसून सत्र में दिनांक 03/08/2017 को छ.ग. दुकान एवं स्थापना अधिनियम विधेयक 2017 पारित किया गया।

9.4.2 छ.ग. औधोगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम 1961 में संशोधन करते हुए कर्मचारियों की संख्या की सीमा को 20 से अधिक के स्थान पर 30 से अधिक करते हुए सूक्ष्म एवं छोटे उधोगो को छूट प्रदान किया जा कर दण्ड की राशि में वृद्धि करने संबंधी विधेयक भी विधानसभा के मानसून सत्र में दिनांक 03/08/2017 को पारित किया गया।

9.4.3 भारत शासन की अनुशंसाओं के अनुरूप छत्तीसगढ़ श्रम विधियां (संशोधन) प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2017 भी विधान सभा के मानसून सत्र में दिनांक 03/08/2017 को पारित किया गया। उक्त विधेयक के अंतर्गत निम्नलिखित केन्द्रीय अधिनियमो को समाविष्ट किया गया है :–

(i) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27)

(ii) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 28)

(iii) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37)

(iv) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 14)

(v) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14)

(vi) अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30)

(vii) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 (1961 का 27)

(viii) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16)

(ix) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25)

(x) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11)

(xi) उपादान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39)

उपरोक्त तीनों विधेयक राज्य विधानसभा में पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

10. उपादान भुगतान अधिनियम, 1972

10.1 उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत कर्मचारियों को नियमानुसार सेवानिवृत्ति अथवा सेवा समाप्ति के पश्चात् अपने नियोजक से उपादान प्राप्त करने की पात्रता होती है। नियोजक द्वारा उपादान का भुगतान नहीं करने अथवा उपादान के संबंध में कर्मचारी एवं नियोजक के मध्य विवाद विद्यमान होने पर, ऐसे विवाद की सुनवाई विभाग के जिलों में पदस्थ नियंत्रण प्राधिकारियों (सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी) द्वारा सुनवाई की जाकर निर्णित प्रकरणों का विवरण निम्नवत् है :-

	पंजीकृत प्रकरणों की संख्या	निर्णित प्रकरणों की संख्या	निर्णित उपदान की राशि	लाभान्वित श्रमिकों की संख्या	लंबित प्रकरणों की संख्या	आर.आर. सी. हेतु प्राप्त प्रकरणों की संख्या	आर.आर.सी. जारी करने संबंधी प्रकरणों की संख्या	लाभान्वित श्रमिक संख्या	जारी आर. आर.सी. की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	844	469	47813624	469	375	50	23	23	6979184

10.2 उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत विभाग के मैदानी कार्यालयों के नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (7) के अंतर्गत वर्ष 2017 के पूर्व लम्बित प्रकरणों की संख्या 248 एवं वर्ष 2017 में 126 अपील आवेदन प्रकरण प्राप्त हुये। कुल 374 अपील आवेदन प्रकरणों में से 144 अपील आवेदन प्रकरणों का निराकरण करते हुये ग्रेच्युटी राशि 81,17,612/– के भुगतान हेतु आदेश जारी किया गया, जिससे 40 श्रमिक लाभान्वित हुये। 230 प्रकरणों में सुनवाई निरंतरित है।

11. बोनस भुगतान अधिनियम 1965

वर्ष 2017 में (वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए) 85 संस्थानों द्वारा 10112 श्रमिकों को रु. 102066496.00 बोनस राशि का भुगतान संबंधित संस्थाओं द्वारा कर्मकारों को किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

12. श्रमिकों के विशेष वर्गों के लिये कार्यक्रम

शासन द्वारा कई विशिष्ट श्रमिक वर्गों के संरक्षण एवं कल्याण के लिये वैधानिक प्रावधान लागू है, तद्नुसार कार्यक्रम प्रारंभ किये गये हैं। इनमें महिला श्रमिक, बाल श्रमिक, बंधक श्रमिक व बीड़ी श्रमिक शामिल हैं। इनके संबंध में श्रम कानूनों के प्रवर्तन तथा अन्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

121 महिला श्रमिक

समस्त श्रम कानूनों में पुरूष श्रमिकों की तुलना में महिला श्रमिकों के संरक्षण के विशेष प्रावधान है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 एवं प्रसूति हितलाभ अधिनियम, 1961 में महिला श्रमिकों के हित संरक्षण के लिये विशेष प्रावधान रखे गए है। समान पारिश्रमिक हित संरक्षण हेतु समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत महिला श्रमिकों को समान कार्य के लिए पुरूषों के समान वेतन पाने का अधिकार है और इसमें भेद–भाव करना दंडनीय अपराध है। समान पारिश्रमिक अधिनियम के तहत महिलाओं के असमान वेतन की शिकायतें, दावा प्रकरणों का श्रवण करने के लिये विभाग के समस्त श्रम अधिकारियों एवं सहायक श्रमायुक्तों को प्राधिकारी नियुक्त किया गया है व उक्त संबंध में उप श्रमायुक्त को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है, साथ ही राज्य की समस्त पंचायतों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अर्थात् भुगतान हुये असमान वेतन के संबंध में निरीक्षक की शक्तियां प्रदान की गई है।

प्रसूति हितलाभ अधिनियम 1961 के अंतर्गत महिला श्रमिकों को प्रसूति काल में 26 सप्ताह का सवैतनिक अवकाश एवं 2,500/– चिकित्सा बोनस के प्रावधान किये गये हैं।

वर्ष 2017–18 में समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत 131 निरीक्षण तथा 42 अभियोजन एवं मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 अंतर्गत 70 निरीक्षण कार्यवाही की गई है।

12.2 बाल श्रम

12.2.1 बालक और कुमार (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत बालक या बालिका जिसने 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो उसे किसी भी नियोजन में नियोजित किया जाना तथा 14 वर्ष से 18 वर्ष के कुमार को अधिसूचित प्रक्रिया एवं उपजीविकाओं में (खतरनाक क्षेत्र) नियोजित किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

12.2.2 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को पारिवारिक व्यवसाय (खतरनाक क्षेत्र को छोड़कर) शाला समय के उपरांत सहयोग हेतु एवं कला क्षेत्र जैसे – ऑडियो, टी.वी. मनोरंजन उद्योग, विज्ञापन, फिल्म उद्योग, टी.वी. सीरियल आदि मनोरंजन अथवा [illegible] गतिविधियों जिसमें सर्कस शामिल नहीं है, में बालकों की सुरक्षा के प्रबंध के [illegible] उनसे कार्य लिया जा सकता है।

12.2.3 **पेंसिल पोर्टल** :– बाल श्रम उन्मूलन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पेंसिल पोर्टल विकसित किया गया है, जो कि एक इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म है। उक्त पोर्टल द्वारा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला और सभी परियोजना समितियों को बाल श्रम उन्मूलन से जोड़ा गया है। पेंसिल पोर्टल में निम्न घटक है :–

1. चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम।
2. शिकायत प्रकोष्ठ।
3. राज्य सरकार।
4. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समिति।
5. परस्पर सहयोग।

छत्तीसगढ राज्य के सभी 27 जिलों में बालक और कुमार (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 की धारा 17 (ए) के तहत जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किये जा चुके है, जिनके द्वारा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के संचालन एवं बाल श्रम उन्मूलन हेतु पेंसिल पोर्टल का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना है।

Scanned with OKEN Scanner

12.3 बालक और कुमार (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत परिसंकटमय व्यवसाय तथा प्रक्रियाएं तथा व्यवसायों और प्रक्रियाओं की सूची

भाग–क

परिसंकटमय व्यवसाय तथा प्रकियाएं जिनमें कुमारों का काम करना तथा बालकों का मदद करना निषेध है–

(1) खानें और कोलियरी (भूमिगत तथा जलमग्न) तथा इनसे संबंधित कार्य,

- (i) पत्थर खानें,
- (ii) ईंटों की भट्ठियां,
- (iii) इनकी तैयारी तथा प्रासंगिक प्रक्रियाओं जिनमें पत्थर या चूना या स्लेट या सि[illegible] या माइका अथवा भूमि से उत्कर्षित कोई अन्य तत्व अथवा खनिज का खनन, पिस[illegible]टाई, विपाटन, पॉलिश करना, एकत्रण तथा मरम्मत करना शामिल है; अथवा
- (iv) खुले गड्ढे की खानें।

(2) ज्वलनशील पदार्थ तथा विस्फोटक जैसे –

- (i) पटाखों का उत्पादन, संग्रहण अथवा बिक्री;
- (ii) विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) के अंतर्गत परिभाषित विस्फोटकों का [illegible]ादन, संग्रहण, बिक्री, लादना, उतरना;
- (iii) उत्पादन, प्रहस्तन, पिसाई, चमकाना, कटाई, पोलिश, वेल्डिंग, सांचे में ढालना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से संबंधित कार्य तथा अन्य कोई प्रकिया से संबंधित कार्य जिसमें ज्वलनशील पदार्थ हों; अथवा
- (iv) ज्वलनशील पदार्थों, विस्फोटकों तथा उनके उप–उत्पादों का अपशिष्ट प्रबंधन।
- (v) प्राकृतिक गैस और अन्य संबद्ध उत्पाद।

परिसंकटमय प्रकियाएं (कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट नीचे उल्लिखित कम संख्या (3) से (31) तक) :–

(3) लौह धातुकर्म उद्योग

- (i) समकलित लोहा और इस्पात;
- (ii) लौह–मिश्र धातु
- (iii) विशेष इस्पात

(4) अलौह धातुकर्म उद्योग : प्राथमिक धातुकर्म उद्योग, अर्थात् जस्ता, सीसा, तांबा, मैंगनिज और अल्युमिनियम।

(5) ढलाईसाल (लौह और अलौह): कास्टिंग और फोर्जिंग सहित सफाई करना अथवा चिकना करना अथवा रेत और शॉट ब्लास्टिंग द्वारा खुरदरा बनाना।

Scanned with OKEN Scanner

(6) कोयला (कोक सहित) उद्योग :

- (i) कोयला, लिग्नाइट, कोक, इसी प्रकार के अन्य पदार्थ;
- (ii) ईंधन केसेस (कोयला गैस, उत्पादक गैस, जल गैस सहित);

(7) विद्युत उत्पादन उद्योग;

(8) लुगदी और कागज (कागज उत्पाद सहित) उद्योग;

(9) उर्वरक उद्योग;

- (i) नाईट्रोजनयुक्त
- (ii) फॉस्फेटिक
- (iii) मिश्रित

(10) सीमेंट उद्योगः पोर्टलैंड सीमेंट (लावा सीमेंट, पॉजजोलाना सीमेंट और उनके उत्पादों सहित);

(11) पेट्रोलियम उद्योग;

- (i) तेल शुद्धिकरण परिष्करण;
- (ii) स्नेहन तेल और ग्रीस;

(12) पेट्रो–रसायन उद्योग;

(13) दवा और औषधीय उद्योग–मादक दवाएं, औषधियां और फार्मास्यूटिकल्स;

(14) किण्वन उद्योग (आसवन और मद्य निर्माणशाला);

(15) रबड़ (सिंथेटिक उद्योग);

(16) पेंट और पिगमेण्ट उद्योग;

(17) चमड़ा उद्योग;

(18) इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग;

(19) रसायनिक उद्योग;

- (i) कोक ओवन गौण उत्पाद ओर कोलतार आसवन उत्पाद;
- (ii) उद्योगिक गैसें (नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एसिटिलीन, ऑर्गन, कार्बन डाईऑक्साईड, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साईड, हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन, ओजोन, ऐसी अन्य गैस;)
- (iii) औद्योगिक कार्बन;
- (iv) क्षार और अम्ल;
- (v) कोमेट्स और डीक्रोमेट्स;

Scanned with OKEN Scanner

(vi) शीशा और इसके यौगिक पदार्थ;

(vii) इलेक्ट्रो रसायन (मेटेलिक सोडियम, पोटैशियम और मैग्नेशियम, क्लोरेट्स, परक्लोरेट्स और पराक्साइड्स);

(viii) इलेक्ट्रोथर्मल उत्पाद (कृत्रिम अपघर्षक), कैल्शियम कार्बाइड ;

(ix) नाईट्रोजन कम्पाउड (साइनाइड, साइनामाइड्स और नाइट्रोजन यौगिक पदार्थ);

(x) फास्फोरस और इसके यौगिक पदार्थ;

(xi) हेलोजन्स ओर हेलोजीकृत यौगिक पदार्थ (क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन);

(xii) विस्फोटक पदार्थ (औद्योगिक विस्फोटको और डेटोनेटर और फ्यूज सहित);

(20) कीट नाशक, कवकनाशी, शाकनाशक और अन्य कीटनाशक दवाईयों के उद्योग;

(21) संश्लेषित रेसिन और प्लास्टिक;

(22) मानव निर्मित फाईबर (सेल्यूलोसिक और गैर सैल्यूलोसिक) उद्योग;

(23) विद्युत एक्यूम्यूलेटरों का विनिर्माण और मरम्मत;

(24) शीशा और सिरेमिक;

(25) धातुओं की घिसाई या चमकाना;

(26) एसबेस्टॉस और इसके उत्पादों का विनिर्माण, प्रहस्तन और प्रसंस्करण;

(27) वानस्पतिक और पशु श्रोतों से तेल और वसा की निकासी;

(28) बेंजीन और बेंजीन निहित पदार्थों का विनिर्माण, प्रहस्तन और प्रयोग;

(29) कार्बन डाईसल्फाइट में संबंधित विनिर्माण, प्रकिया और ऑपरेशन;

(30) डाई और डाई उत्पाद तथा उनके माध्यम;

(31) अत्यधिक ज्वलनशील तरल पदार्थ और गैसें;

(32) परिसंकटमय रसायन विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 की अनुसूची–। के भाग–।। में यथाविनिर्दिष्ट जोखिम रसायन की प्रहस्तन और प्रकमण में निहित प्रकिया;

(33) बूचड़खानों और कसाईखानों में कार्य जिसके अन्तर्गत गिलोटिन का कार्य भी है;

(34) रेडियोधर्मी पदार्थ जिसके अन्तर्गत इलैक्ट्रानिक कचरा भी है के प्रभाव में डालने वाले कार्य और इससे संबंधित प्रकियाएं;

(35) पोत विभंजन;

(36) नमक खनन या नमक बनाने का कार्य;

(37) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा–शर्तें) केन्द्रीय नियम,1998 की अनुसूची–ix में विनिर्दिष्ट परिसंकटमय प्रकियाएं;

(38) बीड़ी बनाने का कार्य या तंबाकू जिसके अन्तर्गत तंबाकू का विनिर्माण, पेस्टिंग और हथालन भी है का प्रसंस्करण या मनःप्रभावी पदार्थ या खाद्य प्रसंस्करण में किसी रूप मे एल्कोहल और मदिरा उद्योग और बार, पब, पार्टियों या इसी प्रकार के अन्य अवसरों पर जहां एल्कोहलिक पदार्थ परोसे जाते है।

Scanned with OKEN Scanner

भाग–ख

व्यवसायों और प्रक्रियाओं की सूची जहां परिवार अथवा पारिवारिक उद्यम में बालकों की सहायता के लिए प्रतिषिद्ध किया गया है (भाग–क के अतिरिक्त)

व्यवसाय

निम्नलिखित से संबंधित कोई व्यवसाय–

(1) रेलों द्वारा यात्रियों, माल और डाक को इधर उधर ले जाना;

(2) रेलवे परिसरों में निर्माण कार्य करना, अंगारों या राख से कोयला बीनना अथवा राख के गड्ढे को साफ करना;

(3) रेलवे स्टेशन पर बने हुए भोजनालयों में काम करना, इसमें किसी कर्मचारी अथवा विक्रेता द्वारा किया गया ऐसा कार्य भी शामिल है जिसमें एक प्लेटफार्म पर आना जाना अथवा चलती रेलगाड़ी से चढ़ना उतरना पड़ता है;

(4) रेलवे स्टेशन के निर्माण से संबंधित काम या कोई ऐसा काम जो रेल लाइनों के निकट या उनके बीच में किया जाना हो;

(5) किसी पत्तन की सीमाओं के भीतर कोई पत्तन प्राधिकरण;

(6) ऑटोमोबाइल वर्कशॉप और गैराज;

(7) हथकरघा एवं पावरलूम उद्योग;

(8) प्लास्टिक इकाइयॉ एवं फाइबर ग्लास वर्कशॉप;

(9) घरेलू कामगार अथवा नौकर;

(10) ढाबे (सड़क किनारे की खाने–पीने की दुकानें), रेस्टोरेंट, होटल, मोटल, रिसॉर्ट;

(11) गोताखोरी;

(12) सर्कस;

(13) हाथियों की देखभाल;

(14) विद्युतचालित बेकरी मशीन;

(15) जूता निर्माण।

प्रक्रियाएं

(1) कालीन बुनाई जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रिया शामिल है;

(2) सीमेन्ट बनाने से लेकर बोरियों में भरने तक;

(3) कपड़ा छपाई, रंगाई और बुनाई जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रिया शामिल है;

(4) लाख/शीलैक विनिर्माण;

Scanned with OKEN Scanner

(6) ऊन की सफाई;
(7) भवन और निर्माण उद्योग जिसमें ग्रेनाइट पत्थरों का प्रसंस्करण और पॉलिश किया जाना तथा ढुलाई एवं संग्रहण, बढ़ईगिरि, राजमिस्त्री का कार्य शामिल है;
(8) स्लेट पैंसिल का निर्माण (पैकिंग सहित);
(9) अगेट के उत्पादों का निर्माण कार्य;
(10) काजू और काजू के छिलके उतारने और उससे जुड़ी प्रक्रिया;
(11) इलेक्ट्रोनिक उद्योग में धातु की सफाई, चित्र की नक्काशी एवं टांका लगाने (सोल्ड्रिंग) की प्रकिया;
(12) 'अगरबत्ती' का निर्माण;
(13) ऑटोमोबाईल मरम्मत और रख–रखाव जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी किया शामिल वेल्डिंग इकाइयॉ लेथवर्क डेन्टिग एवं पेंटिग;
(14) ईटों या खपरैलों का निर्माण;
(15) रूई सूत की ओटाई और इसे दबाना, हौजरी का सामान बनाना;
(16) डिटरजेंट का निर्माण;
(17) फैब्रिकेशन वर्कशॉप (फेरस एवं नान फेरस) ;
(18) रत्न तराशना और उनकी पालिश करना;
(19) कोमाइट और मैंग्निज अयस्कों का रख–रखाव;
(20) जूट के कपड़ों का निर्माण और कॉयर (coir) निर्माण;
(21) चूना भट्‌टा और चूना निर्माण;
(22) ताला बनाना;
(23) ऐसी कोई विनिर्माण प्रकियाएं जिसमें सीसा का उच्छादन होता है जैसे सीसा लैपित धातु को पहली बार या दूसरी बार गलाया जाना, वेल्डिंग और कटाई करना, गेल्वनीकृत या जिंक सिलिकेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड की वेल्डिंग करना, किस्टल ग्लास मास का मिश्रण (हाथ से) करना, सीसा पेन्ट की बालू हटाना या खुरचना, इनैमलिंग वर्कशॉपों में सीसे का दाहन, खानसीसा निकालना, नलसाजी, केबल बनाना, तार बिछाना, सीसा ढलाई, मुद्रणालयों में अक्षर की ढुलाई, छर्रे बनाना, सीसा कांच फुलाना;
(24) सीमेन्ट पाइप तथा सीमेन्ट उत्पाद और सीमेंट की अन्य वस्तुएं बनाना;
(25) कांच, कांच के बर्तनों का निर्माण जिसमें चूड़ियां, ट्‌यूबों, बल्ब तथा इसी प्रकार के अन्य कॉच उत्पाद शामिल है;
(26) कीटनाशकों का निर्माण और उनका रख–रखाव;
(27) संक्षारीय एवं विषैले पदार्थो का निर्माण, प्रकिया एवं प्रहस्तन;
(28) जलाऊ कोयला और कोयला इष्टिकाओं का निर्माण;
(29) खेल–कूद की ऐसी वस्तुओं का निर्माण जिसमें सिन्थेटिक सामग्री, रसायन और चमड़े का उच्छादन शामिल है;

Scanned with OKEN Scanner

(30) तेल की पिराई और परिष्करण;

(31) कागज बनाना;

(32) चीनी मिट्टी के बरतन और सिरेमिक उद्योग;

(33) पीतल की सभी प्रकार की चीजों का निर्माण जिसमें पीतल की कटाई, ढलाई पालिश और वैल्डिंग शामिल है;

(34) ऐसी कृषि प्रकियाएं जहॉ फसल को तैयार करने में ट्रेक्टरों, फसल की कटाई और गहाई में मशीनों का प्रयोग किया जाता है।

(35) आरा मिल – सभी प्रकियाएं;

(36) रेशम प्रसंस्करण;

(37) चमड़े के सामान के निर्माण हेतु स्किनिंग, रंगाई और प्रसंस्करण प्रकियाएं;

(38) टायर निर्माण, मरम्मत, री–ट्रीडिंग और ग्रेफाइट सज्जीकरण;

(39) बर्तन बनाना, पालिश करना और धातु की बफिंग करना;

(40) 'जरी' निर्माण तथा जरी के उपयोग से जुड़ी (सभी प्रकियाएं);

(41) ग्रेफाइट पाउडर तैयार करना और उससे जुड़ी प्रकिया;

(42) धातुओं की घिसाई या उन पर कांच चढ़ाना;

(43) हीरों की कटाई और पालिश;

(44) कचरा उठाना और कबाड़ एकत्र करना;

(45) मशीनीकृत मछली पालन;

(46) खाद्य प्रसंस्करण;

(47) पेय पदार्थ उद्योग;

(48) मसाला उद्योग के अंतर्गत मसालों की खेती, छंटनी, सुखाना एवं पैंकिंग करने का कार्य;

(49) लकड़ी प्रहस्तन और ढुलाई;

(50) लकड़ी की यांत्रिक कटाई;

(51) भंडारागार कार्यकलाप;

(52) मसाज पार्लर, जिमनेजियम अथवा अन्य मनोरंजक अथवा मेडिकल सुविधाएं केन्द्र;

(53) खतरनाक मशीनों के निम्नलिखित वर्गों से संबंधित प्रचालनों में–

(क) उत्तोलक एवं लिफ्ट

(ख) मशीनों को चढ़ाने, चैनों, रस्सियों एवं उत्तोलक विधि से जुड़ा कार्य

(ग) घूमने वाली मशीनें

(घ) विद्युत प्रकिया

(ड़) मेटल ट्रेड से जुड़े मशीन टूल्स

(54) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के धारा 2 के खंड (ट) के उप–खंड (iv) में मुद्रण के अनुसार अर्थात् छपाई के लिए अक्षर निर्माण, लेटर प्रेस द्वारा छपाई, पाषाण छपाई, फोटोग्रेवर अथवा अन्य समान प्रकिया अथवा बुक बाइंडिंग का कार्य"।

Scanned with OKEN Scanner

बाल श्रमिक उन्मूलन की दिशा में पंचायतों को भी शामिल किया गया है। बालक और कुमार (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत् जिला पंचायत को पूर्व में निरीक्षक की शक्तियाँ प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 3–2/2014/16, दिनांक 22.10.2014 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना/ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना/लोक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, उप अभियंता व मंडल संयोजक आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, परियोजना अधिकारी व पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास विभाग, सहायक प्रबंधक उद्योग विभाग, वन क्षेत्रपाल, उप वन क्षेत्र पाल, राजस्व निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक, खनिज निरीक्षक, परिवहन निरीक्षक/परिवहन उप निरीक्षक, मत्स्य निरीक्षक को उक्त अधिनियम के तहत शक्तियाँ प्रदान की गई है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 27 जिलों में श्रमिकों का सर्वेक्षण वर्ष 2015 में कराया गया, जिसमें मात्र 08 बाल श्रमिक (रायपुर जिले बलौदाबाजार में 05) नियोजित पाये गये। उक्त 8 बाल श्रमिक नियोजकों के विरूद्ध संबंधित के अधिकारी द्वारा अभियोजन कार्यवाही की गई । राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के दिशा–निर्देश के अनुरूप बाल श्रमिक सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है। बाल श्रमिक गुणात्मक सर्वेक्षण हेतु समस्त जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम सं के सहयोग से राज्य के सभी 27 जिलों के श्रम अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु बाल श्रमिकों के चिन्हांकन/सर्वेक्षण बाबत् दो दिवसीय कार्यशाला दिनांक 14–15 दिसंबर 2017 को न्यू सर्किट हाउस, रायपुर में आयोजित की गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा बाल श्रमिकों के गुणात्मक सर्वेक्षण हेतु अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया ताकि बाल श्रमिकों का प्रभावी रूप से चिन्हांकन किया जाकर राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के नवीन दिशा–निर्देशों के अनुरूप पुनर्वास की कार्यवाही की जा सके।

बालक और कुमार (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के प्रभावी प्रवर्तन एवं बाल श्रम नियोजन के शिकायत के निवारण एवं अनुश्रवण हेतु 01 नवम्बर 2012 से टोल फ्री दूरभाष क्रमांक 1800–2332–197 स्थापित किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

12.4. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना

12.4.1 भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालन संबंधी नये दिशा–निर्देश दिनांक 01 अप्रैल 2016 से प्रभावशील है।

12.4.2 उक्त दिशा–निर्देशों के तहत बीजापुर एवं सुकमा जिले को छोड़कर शेष सभी जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समिति का गठन किया जा चुका है।

12.4.3 प्रत्येक जिले में बाल श्रमिक सर्वेक्षण कराये जाने की कार्यवाही निरंतरित है। बाल श्रम सर्वेक्षण उपरांत सर्वेक्षण में पाये गये बाल श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत विशेष प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किया जाना है।

12.4.4 6 वर्ष से अधिक आयु का ऐसा बालक/बालिका जिसने किसी स्कूल में प्रविष्ट होकर अनिवार्य शिक्षा प्राप्त नहीं की है। उन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–4 के तहत् समुचित आयु वर्ग की औपचारिक शालाओं की कक्षा में प्रविष्ट कराया जा सकेगा।

12.4.5 काम करने वाले बच्चों का चिन्हांकन कर काम से हटाये जाने पर उन्हें समीपस्थ नियमित शाला में प्रविष्ट कराया जाना होगा।

12.4.6 05 से 08 वर्ष आयु के काम करने वाले विमुक्त बच्चे सीधे स्कूल से जोड़े जायेंगे।

12.4.7 09 से 14 वर्ष आयु वर्ग के चिन्हांकित बच्चों का पुनर्वास राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत् संचालित विशेष प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा दिया जाकर अंतिम रूप से औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में जोड़ा जावेगा।

12.4.8 जिले में 14 वर्ष से कम आयु के काम करने वाले सभी बच्चों एवं खतरनाक व्यवसाय/प्रकियाओं में कार्यरत् 14 वर्ष से अधिक व 18 वर्ष से कम आयु के कुमारों का चिन्हांकन कर उन्हें कार्य से विमुक्त कर जिला बाल श्रम परियोजना द्वारा पुनर्वास एवं प्रशिक्षण की कार्यवाही की जावेगी।

12.4.9 चिन्हांकित कुमारों को शैक्षणिक/व्यावसायिक प्रशिक्षण राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना द्वारा सीधे नहीं दिया जावेगा। उन्हें कौशल विकास के लिए वर्तमान में संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यकम के तहत् प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला बाल श्रम परियोजना लिंकिंग एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।

12.4.10 अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के दृष्टिगत भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के तहत विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में दर्ज बच्चों को वर्ष 2014 में मुख्य धारा से जोड़ा जाकर नियमित शालाओं में प्रविष्ट कराया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

13. बीड़ी श्रमिक

13.1 छत्तीसगढ़ राज्य सर्वाधिक तेंदूपत्ता उत्पादक राज्य है परंतु राज्य में बीड़ी निर्माण इकाई अत्यंत न्यून है। बीड़ी एवं सिगार कामगार अधिनियम 1966 के अंतर्गत राज्य के सात जिले रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, महासमुन्द, राजनांदगांव, धमतरी एवं कांकेर में कुल 16 बीड़ी श्रमिक संस्थान पंजीकृत है, जिसमें घर खाता बीड़ी श्रमिकों की संख्या 3706 एवं बीड़ी संस्थान परिसर कारखाने में कार्यरत बीड़ी श्रमिकों की संख्या 178 है।

कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय) रायपुर भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा बीड़ी श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्न योजनाएं संचालित की जाती है

13.2 **<u>बीड़ी श्रमिक आवास योजना</u>** :– दिनांक 02 मार्च 2016 से बीड़ी श्र[illegible] के लिये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संशोधित बीड़ी श्रमिक [illegible] योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत पंजीकृत पात्र बीड़ी श्रमिक स्व[illegible] भूमि या पट्टे की भूमि पर या अपने परिवार के सदस्यों के साथ संयुक्त रूप [illegible] धिग्रहित भूमि पर या राज्य शासन द्वारा प्रदाय की गई 30–60 स्क्वेयर मीटर [illegible] पर (दो बेडरूम/हॉल, किचन, एक बाथरूम, एक शौचालय एवं कपड़ा [illegible]ने हेतु अलग स्थान) स्वयं का आवास निर्माण कर सकता है, जिसके लिये योजनांतर्गत प्रति आवास निर्माण हेतु तीन किश्तों में राशि वितरण किया जाना है जिसमें प्लिंथ लेवल पूर्ण होने पर 25 प्रतिशत, लेंटर लेवल पूर्ण होने पर 60 प्रतिशत एवं मकान पूर्ण होने पर 15 प्रतिशत राशि इस प्रकार केन्द्र सरकार द्वारा कुल रूपये 1,50,000/– वित्तीय अनुदान दिया जाना प्रावधानित है।

इस योजना के अंतर्गत बीड़ी कामगारों से प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर संबंधित बीड़ी औषधालयों में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों द्वारा बीड़ी श्रमिक आवास निर्माण योजना का प्रस्ताव कल्याण आयुक्त, (केन्द्रीय) रायपुर को भेजा जाता है तदुपरांत कल्याण आयुक्त द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जाती है।

13.3 **<u>सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजना</u>** :– योजना के अंतर्गत वर्ष 2016–17 में अंतिम संस्कार, प्रसूति लाभ, चश्मा प्रदाय, नसबंदी, पुत्री विवाह, कैंसर, गंभीर दुर्घटना में 46 लाभार्थियों को कुल वितरित राशि 81,975/– रूपये एवं वर्ष 2017–18 में 26 लाभार्थियों को योजनांतर्गत रूपये 47,200/– राशि वितरित की गई है।

Scanned with OKEN Scanner

13.4 **छात्रवृत्ति योजना** :— योजना के अंतर्गत वर्ष 2016—17 में 1800 छात्र—छात्राओं को कुल रूपये 47,50,340/— राशि वितरित की गई है एवं वर्ष 2017—18 में 1347 छात्र—छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

13.5 **आवास योजना** :— योजना के अंतर्गत वर्ष 2016—17 में कुल 13 हितग्राहियों को रूपये 4,87,5,00 प्रथम किश्त की राशि प्रदान की गई है एवं वर्ष 2017—18 में 35 हितग्राहियों को कुल रूपये 1312500/— प्रथम किश्त की राशि प्रदान किया जाना प्रक्रियाधीन है एवं 32 हितग्राहियोंको योजनांतर्गत लाभ दिये जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रकिया जारी है।

13.6 **कौशल विकास योजना** :— योजना के अंतर्गत वर्ष 2017—18 में सात संचालित पाठ्यक्रमों के अंतर्गत 150 प्रशिक्षणार्थियों को यात्रा/दैनिक भत्ता रूपये 390708 दिया गया एवं 34 प्रशिक्षणार्थियों को प्लेसमेंट दिया गया।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्व में लागू किये गये एकीकृत बीड़ी श्रमिक आवास योजना के अंतर्गत बिलासपुर शहर में बीड़ी श्रमिकों हेतु 284 बीड़ी श्रमिक आवास निर्मित कर आबंटित किये गये है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में 200 एवं राजनांदगांव में 254 कुल 454 बीड़ी श्रमिक आवास निर्मित कर आबंटित किये गये है। रायगढ़ जिले के ग्राम चपले में 50 बीड़ी श्रमिक आवास स्वीकृत किये गये है, जिनमें से 40 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। शेष 10 आवास निर्माणाधीन है।

बीड़ी श्रमिक आवास निर्माण का विवरण

31 दिसम्बर 2017 की स्थिति में

क्र.	जिले का नाम	स्वीकृत आवास योजना		स्वीकृत बीड़ी आवास की संख्या	पूर्ण निर्माण आवास की संख्या	निर्माणाधीन आवास की संख्या	आबंटित आवासों की संख्या
		स्थान	वर्ष				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बिलासपुर	यदुनंदननगर तिफरा	2000	284	284	—	284
2	राजनांदगांव	बजरंगपुर नवागांव	2001	254	254	—	254
3	राजनांदगांव	डोंगरगढ़ (बधियाटोला)	1999	200	200	—	200
4	रायगढ़	चपले	2008	50	40	10	—

Scanned with OKEN Scanner

14. बंधक श्रम

बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के तहत बंधक श्रम प्रथा दंडनीय अपराध है। इस अधिनियम के अंतर्गत बंधुआ श्रम कराने वाले नियोजकों को दंडित किये जाने के अलावा संबंधित बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराने तथा उनका पुनर्वास करने का प्रावधान है। इस कार्य की सतत् निगरानी के लिये जिला व उप संभाग स्तर पर सतर्कता समिति बनाये जाने का प्रावधान है। प्रदेश के सभी जिलों एवं अनुभागों में सतर्कता समितियों का गठन किया जा चुका है। राज्य शासन के ... अनुविभागीय दंडाधिकारियों को इस अधिनियम के अंतर्गत बंधक श्रमिक संबंधी अप... के विचारण हेतु प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के अधिकार प्रत्यायोजित किये है।

बंधक श्रमिकों को अवमुक्त कराने एवं उनके पुनर्वास के लिये भारत सर... द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत कार्यवाही की जाती है। बंधक श्रमिकों के पुन... के लिये रु. 20,000/– पुनर्वास राशि निर्धारित की गयी थी, जिसमें केन्द्रांश 10,000/– एवं राज्यांश रु. 10,000/– प्रति बंधक श्रमिक निर्धारित था। 01 अ... 2013 से राज्यांश राशि रू. 10,000/– को बढ़ाकर रू. 40,000/– किया गया है। वर्तमान में केन्द्र प्रवर्तित पुनरीक्षित बंधक श्रमिक पुनर्वास सहायता योजना दिनांक 17.05.2016 से प्रभावशील है। इन दिशा–निर्देशों के तहत् पुनर्वास सहायता राशि निम्नानुसार है :–

1. वयस्क विमुक्त प्रति बंधक श्रमिक रूपये 01 लाख।
2. विमुक्त बंधक श्रमिक बच्चे/भिक्षावृत्ति से विमुक्त बंधक श्रमिक बच्चे/विमुक्त महिला बंधक श्रमिक रूपये 02 लाख रूपये प्रति श्रमिक।
3. वेश्यावृत्ति/मानव तस्करी के दौरान उत्पीड़ित ट्रांसजेन्डर, महिला एवं बच्चे विमुक्त होने पर श्रमिक रूपये 03 लाख प्रति श्रमिक।
4. उक्त सहायता के अतिरिक्त बंधक श्रमिकों को पुनर्वास हेतु शासन की संचालित विभिन्न योजनाओं में प्राथमिकता से लाभांवित किया जावेगा।

➢ बंधक श्रमिक पुनर्वास सहायता के संबंध में जिला राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समिति द्वारा जिला कलेक्टर को प्रस्तुत दावा के अनुसार आबंटन हेतु प्रस्ताव भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को प्रस्तुत किया जावेगा।

Scanned with OKEN Scanner

- भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संबंधित जिला राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को बंधक श्रमिक पुनर्वास सहायता राशि सीधे प्रदाय की जावेगी। बंधक श्रमिक पुनर्वास सहायता राशि (**Matching Contribution**) राज्य शासन द्वारा देय नहीं है।

5. अवमुक्त बंधक श्रमिकों को शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना, जन धन योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा सहायता योजना, श्रमिकों के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा योजना, विभाग द्वारा संचालित छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंण्डल के अंतर्गत पंजीयन कर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्राथमिकता से सहायता प्रदान की जाती है।

विमुक्त बंधक श्रमिकों को राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिकता दी जाती है :–

- कृषि भूमि का आबंटन।
- कम लागत वाले आवास इकाईयों का प्रावधान।
- डेयरी, कुक्कुट, सुअर, पशुपालन आदि ।
- महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के तहत् रोजगार।
- लघु वन उत्पाद का संग्रह और प्रसंस्करण।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति।
- कौशल विकास योजना अंतर्गत प्रशिक्षण।

बधंक श्रमिक (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के प्रभावी प्रवर्तन एवं बंधित श्रम पद्धति के अंतर्गत नियोजन की शिकायत के निवारण एवं अनुश्रवण हेतु दिनांक 01 नवंबर 2012 से टोल फ्री दूरभाष क्रमांक 1800–2332–197 स्थापित किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

14.1 वर्ष 2000 से 2017 की अवधि में अन्य राज्यों से जिलेवार विमुक्त बंधक श्रमिक सांख्यिकीय विवरण

क्र.	जिला का नाम	विमुक्त श्रमिकों की संख्या	पुनर्वास सहायता राशि से लाभान्वित श्रमिक संख्या
1	दुर्ग	12	12
2	बिलासपुर	1647	1647
3	कोरबा	57	57
4	रायगढ़	120	120
5	राजनांदगांव	11	11
6	जांजगीर–चांपा	722	722
7	बस्तर	391	391
8	महासमुंद	5	5
9	कबीरधाम	27	27
10	कोण्डागांव	71	71
11	गरियाबंद	4	4
12	कांकेर	12	12
13	मुंगेली	80	80
14	बलौदाबाजार	116	116
15	दंतेवाड़ा	10	10
16	बेमेतरा	16	16
17	नारायणपुर	160	160
	योग	**3461**	**3461**

14.2 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक अन्य राज्यों से पूर्व वर्षों में विमुक्त लाभान्वित बंधक श्रमिक सांख्यिकीय विवरण

क्र.	जिला का नाम	राज्यांश पुनर्वास आबंटन राशि	विमुक्त श्रमिकों की संख्या
1	रायगढ़	560000.00	14
2	जांजगीर–चांपा	1080000.00	27
3	बिलासपुर	3640000.00	91
4	दुर्ग	480000.00	12
5	बलौदाबाजार	640000.00	16
6	नारायणपुर	760000.00	19
7	महासमुंद	120000.00	3
	योग	**7280000.00**	**182**

Scanned with OKEN Scanner

14.3 1 अप्रैल 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक अन्य राज्यों से पूर्व वर्षों में विमुक्त लाभान्वित बंधक श्रमिक का सांख्यिकीय विवरण

क्र.	जिला का नाम	राज्यांश पुनर्वास आबंटन राशि	विमुक्त श्रमिकों की संख्या
1	2	3	4
1	जांजगीर–चांपा	560000.00	14
2	बिलासपुर	1720000.00	43
	योग	**2280000.00**	**57**

15. श्रम यशस्वी पुरस्कार

श्रम के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या संस्था को श्रम विभाग द्वारा स्व0 महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। पुरस्कार राशि रु. 2.00 लाख (रूपये दो लाख) एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

16. न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948

16.1 न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत् श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित की जाती है। शासन द्वारा अधिसूचित किये गये अनुसूचित नियोजनों की सूची निम्नानुसार है :–

16 1 1 सामान्य नियोजन (भाग–एक)

क्र.	नियोजन का नाम
01	पावर प्लांट में नियोजन।
02	स्टील प्लांट में नियोजन।
03	स्पंज आयरन प्लांट में नियोजन ।
04	रोलिंग मिल में नियोजन।
05	कास्टिंग उद्योग में नियोजन।
06	सीमेंट फैक्ट्री में नियोजन।
07	सुरक्षा गार्ड में नियोजन।
08	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजन।
09	स्टोन क्रशिंग में नियोजन।
10	पत्थर पीसने एवं तोड़ने में नियोजन।
11	ईंट भट्ठा में नियोजन।
12	चूना भट्ठा में नियोजन।
13	टाईल्स जिसमें मेंगलोर टाईल्स, इलाहबाद टाईल्स तथा अन्य स्थानीय नाम से प्रचलित टाईल्स सम्मिलित हैं, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाईल्स सम्मिलित नही हैं, के निर्माण में नियोजन।
14	पॉटरिज जिसमें रिफेक्ट्रीज सामान, फायरब्रिक्स, सेनेटरी वेअर्स, इन्सूलेटर्स, टाईल्स, (सीमेंट से निर्मित टाईल्स को छोड़कर) स्टोन वेअर्स पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग, ब्रिक्स तथा अन्य सिरेमिक्स सामान निर्माण में नियोजन।
15	सीमेंट पोल अथवा सीमेंट से निर्मित उत्पादन में नियोजन।
16	मार्गों के निर्माण तथा अनुरक्षण कार्यों में नियोजन।
17	इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन।
18	सिंचाई कार्यों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन।
19	वन उपज एवं वन लगाने तथा नर्सरी में नियोजन।
20	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन।
21	किसी दुकान, वाणिज्यिक संस्थान आवासीय होटल, रेस्टोरेंट या नाट्यगृह में नियोजन।
22	शैक्षणिक संस्थान या निजी प्रशिक्षण केन्द्र में नियोजन।
23	हॉस्पीटल, नर्सिंग, होम पैथालॉजी लैब में नियोजन।
24	विक्रय संवर्धन कर्मकार (सेल्स प्रमोशन कर्मकार)।
25	किसी मुद्रणालय में नियोजन।

Scanned with OKEN Scanner

26	पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प/गैस वितरण केन्द्र एवं गोडाउन में नियोजन।
27	साल्वेंट प्लांट तथा रिफाइनरी में नियोजन।
28	किसी तेल मिल में नियोजन।
29	केमिकल्स या फार्मास्युटिकल्स में नियोजन।
30	हमाल, तौलैय्या, कुली, रेजा एवं मण्डी श्रमिक।
31	किसी चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल में नियोजन।
32	किसी मुर्रा, पोहा निर्माणी में नियोजन।
33	खाद्य पदार्थ जिसमें केक्स, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईस्क्रीम, आईसकेण्डी सम्मिलित हैं या पेयक निर्माण में नियोजन।
34	खांडसारी उद्योग/चीनी मिल में नियोजन।
35	किसी आरा मिल/वुड वर्क में नियोजन।
36	प्लास्टिक उद्योग में नियोजन।
37	फ्यूल कोक में नियोजन।
38	पावरलूम (जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित हैं) में नियोजन।
39	कोसा उद्योग में नियोजन।
40	हाथ करघा उद्योग में नियोजन।
41	कंबल निर्माण कार्य में नियोजन।
42	बोन मिल में नियोजन।
43	लोक मोटर परिवहन में नियोजन।
44	पोल्ट्री फार्म में नियोजन।
45	किसी विनिर्माणी प्रक्रिया जिसमें विनिर्माणी प्रक्रिया कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 की परिभाषा अनुसार चलाई जाती है, जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं आती है, में नियोजन।
46	अगरबत्ती उद्योग
47	किसी तम्बाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन

16.2 छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा वर्ष 2017 में राज्य न्यूनतम वेतन सलाहकार पर्षद के परामर्श अनुसार श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु 01 अप्रैल 2017 से प्रदेश में 45 अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत् श्रमिकों के न्यूनतम वेतन निर्धारण हेतु शहरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र के आधार पर तीन जोन "अ" "ब" "स" में विभाजित करते हुये प्रत्येक जोन के लिए अलग-अलग न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई, जिसके द्वारा अनुसूचित नियोजनों के लिए पूर्व में निर्धारित दरों लगभग 24 से 35 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। न्यूनतम वेतन निर्धारण हेतु प्रदेश का वर्गीकरण निम्नानुसार तीन जोनों में किया गया है :-

Scanned with OKEN Scanner

जोन "अ"

- नगर पालिक निगम रायपुर, दुर्ग, भिलाई, भिलाई–चरोदा एवं बीरगांव सीमा के भीतर एवं नगर पालिक निगम सीमा से 16 कि.मी. तक का क्षेत्र।
- राज्य के समस्त औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक विकास केन्द्र।
- नया रायपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र।
- प्रदेश में स्थित ऐसे समस्त कारखानें जिनके द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत् 300 या उससे अधिक श्रमिकों के लिए अनुज्ञप्ति ली गयी है।

जोन "ब"

- नगर पालिक निगम राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर, जगदलपुर, चिरमिरी एवं धमतरी नगर पालिक निगम सीमा के भीतर एवं नगर निगम सीमा से 8 कि0मी0 तक का क्षेत्र।

जोन "स"

- जोन "अ" एवं "ब" में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर।

16.3 वर्तमान में अनुसूचित नियोजनों में प्रभावशील न्यूनतम वेतन दर:–

16.3.1 कृषि में नियोजन (भाग– "दो")

(दिनांक 01 .10.2017 से 31 .03.2018 तक)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन रूपये में	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	2	3	4	5	6	7
अकुशल	6900.00	230.00	120.00	4.00	7020.00	234.00

Scanned with OKEN Scanner

16.3.2 अनुसूचित सामान्य नियोजन (भाग–एक) के 45 नियोजन

(दिनांक 01.10.2017 से 31.03.2018 तक)

क्र.	श्रमिकों का वर्ग	जोन का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन रूपये में	
			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	अकुशल	अ	8320.00	320.00	130.00	5.00	8450.00	325.00
		ब	8060.00	310.00	130.00	5.00	8190.00	315.00
		स	7800.00	300.00	130.00	5.00	7930.00	305.00
2	अर्द्ध कुशल	अ	8970.00	345.00	130.00	5.00	9100.00	350.00
		ब	8710.00	335.00	130.00	5.00	8840.00	340.00
		स	8450.00	325.00	130.00	5.00	8580.00	330.00
3	कुशल	अ	9750.00	375.00	130.00	5.00	9880.00	380.00
		ब	9490.00	365.00	130.00	5.00	9620.00	370.00
		स	9230.00	355.00	130.00	5.00	9360.00	360.00
4	उच्च कुशल	अ	10530.00	405.00	130.00	5.00	10660.00	410.00
		ब	10270.00	395.00	130.00	5.00	10400.00	400.00
		स	10010.00	385.00	130.00	5.00	10140.00	390.00

Scanned with OKEN Scanner

16.3.3 **विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत् दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए मासिक दरें :–**

(दिनांक 01 .10.2017 से 31 .03.2018 तक)

क्र.	श्रमिकों का वर्ग	जोन का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन रूपये में	
			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	अकुशल	अ	8320.00	277.33	130.00	4.33	8450.00	281.67
		ब	8060.00	268.67	130.00	4.33	8190.00	[illegible]
		स	7800.00	260.00	130.00	4.33	7930.00	[illegible]
2	अर्द्धकुशल	अ	8970.00	299.00	130.00	4.33	9100.00	[illegible]
		ब	8710.00	290.33	130.00	4.33	8840.00	[illegible]
		स	8450.00	281.67	130.00	4.33	8580.00	[illegible]
3	कुशल	अ	9750.00	325.00	130.00	4.33	9880.00	[illegible]
		ब	9490.00	316.33	130.00	4.33	9620.00	[illegible]
		स	9230.00	307.67	130.00	4.33	9360.00	[illegible]
4	उच्च कुशल	अ	10530.00	351.00	130.00	4.33	10660.00	[illegible]
		ब	10270.00	342.33	130.00	4.33	10400.00	346.67
		स	10010.00	333.67	130.00	4.33	10140.00	338.00

16.3.4 **तम्बाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) विनिर्माण में नियोजन हेतु दरें:**

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
1	2	3	4	5
1.	बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिए)	रू. 58 .90	21.30	रू. 80 .20 प्रति हजार किंतु यदि श्रमिक का किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेतन का योग रूपये 449.00 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना की परिशिष्ट में बताई गई शर्तो के अनुसार कम से कम रूपये 449.00 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा।

उपरोक्त अधिसूचना अनुसार बीड़ी श्रमिकों को प्रति हजार बीड़ी बनाने पर कुल रु. 97.22 की मजदूरी बनेगी। जिसमें नियोजक एवं बीड़ी श्रमिक का भविष्य निधि अंशदान काटकर बीड़ी श्रमिकों को रु. 82.80 मजदूरी प्राप्त होगी।

Scanned with OKEN Scanner

किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित कर्मचारियों का मासिक एवं दैनिक दरें:–

क्रमांक	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन	महँगाई भत्ता	कुल वेतन प्रति माह	कुल वेतन प्रति दिन
1.	कुशल	4556.75	2130.00	6686.75	257.18
2.	अर्द्धकुशल	4368.70	2130.00	6498.70	249.95
3.	अकुशल	4182.55	2130.00	6312.55	242.79

16.4 छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा छ0ग0 न्यूनतम वेतन सलाहकार पर्षद के प्रस्ताव अनुसार 02 अनुसूचित नियोजनों क्रमशः अगरबत्ती उद्योग एवं किसी तम्बाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के वर्तमान मजदूरी दरों को पुनरीक्षित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

17. राज्य स्तरीय समितियाँ

प्रदेश के विभिन्न उद्योगों एवं स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों की कठिनाईयों के निवारण तथा उनके कल्याण हेतु सुझाव देने के लिए श्रमायुक्त संगठन के अंतर्गत निम्नानुसार राज्य स्तरीय समितियाँ गठित की गई हैं :–

01. छत्तीसगढ़ श्रम सलाहकार पर्षद,
02. संविदा श्रमिक राज्य सलाहकार मण्डल,
03. छत्तीसगढ़ न्यूनतम वेतन सलाहकार पर्षद,
04. समान पारिश्रमिक सलाहकार समिति,
05. राज्य स्तरीय बंधक एवं बाल श्रमिक प्राधिकार समिति
06. मजीठिया वेज बोर्ड समिति
07. छ.ग. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण सलाहकार समिति

Scanned with OKEN Scanner

18. श्रमायुक्त संगठन का बजट वर्ष 2017–18

(01.04.2017 से 31.12.2017 की स्थिति में)

उपशीर्ष का नाम		स्वीकृत प्रावधानित राशि वर्ष 2017–18	व्यय (01.04.17 से 31.12.2017 तक)
4268	श्रमायुक्त	49900000	29497566
4271	श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के लिए अमला	116020000	[illegible]
5810	औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	41260000	[illegible]
4270	श्रम कल्याण निधि की स्थापना	52500000	[illegible]
5400	रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार	250000	[illegible]
8352	प्रदेश में बीड़ी श्रमिकों के लिए आवास गृहों का निर्माण	10000000	0
2837	बंधक मजदूरों की पुनर्वास योजना	36000000	2280000
5648	औद्योगिक हाईजिन प्रयोगशाला की स्थापना	8855000	4450696
6915	बाल श्रमिक सर्वेक्षण	4490000	0
6947	बाल श्रमिकों का पुनर्वास	600000	0
7435	असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मंडल	192500000	160457010
8977	असंगठित सफाई कर्मकार कल्याण मण्डल	100000000	42210000
8989	ठेका मजदूर, घरेलू कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मंडल	100000000	71061220
7440	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना	0	0
	योग	**712375000**	**432235168**

Scanned with OKEN Scanner

19. संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा छत्तीसगढ़, रायपुर

19.1 उद्देश्य:

संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में स्थापित कारखानों में कार्यरत् श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं उनके कल्याण से संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों का क्रियान्वयन कराना है।

19.2 कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अधिसूचना द्वारा मुख्य कारखाना निरीक्षक, उप मुख्य कारखाना निरीक्षक एवं कारखाना निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है। राज्य शासन द्वारा श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ को मुख्य कारखाना निरीक्षक अधिसूचित किया गया है एवं समस्त उप संचालकों को उप मुख्य कारखाना निरीक्षक तथा समस्त सहायक संचालकों को कारखाना निरीक्षक नियुक्त किया गया है। राज्य में वर्तमान में 07 उप संचालक एवं 17 सहायक संचालक कार्यरत है।

19.3 संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अंतर्गत मैदानी कार्यालयों का विवरण:

क्र.	कार्यालय का नाम	कार्यालय का कार्यक्षेत्र / जिला
1	उप संचालक, औ0स्वा0 एवं सुरक्षा, मुख्यालय एवं रायपुर	रायपुर, धमतरी, गरियाबंद
2	सहायक संचालक, औ0स्वा0 एवं सुरक्षा, बलौदाबाजार	बलौदाबाजार, महासमुंद
3	उप संचालक, औ0स्वा0 एवं सुरक्षा, दुर्ग	दुर्ग, बालोद, बेमेतरा
4	उप संचालक, औ0स्वा0 एवं सुरक्षा, राजनांदगांव	राजनांदगांव, कबीरधाम
5	उप संचालक, औ0स्वा0 एवं सुरक्षा, बिलासपुर	बिलासपुर, मुंगेली
6	सहायक संचालक, औ0स्वा0 एवं सुरक्षा, जांजगीर–चांपा	जांजगीर–चांपा
7	उप संचालक, औ0स्वा0 एवं सुरक्षा, रायगढ़	रायगढ़, जशपुर
8	उप संचालक, औ0स्वा0 एवं सुरक्षा, कोरबा	कोरबा
9	सहायक संचालक, औ0स्वा0 एवं सुरक्षा, अंबिकापुर	सरगुजा, सुरजपुर, बलरामपुर, कोरिया
10	सहायक संचालक, औ0स्वा0 एवं सुरक्षा, मुख्यालय एवं रायपुर	बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर

19.4 संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के द्वारा निम्नलिखित अधिनियमों का प्रवर्तन किया जाता है:

- कारखाना अधिनियम, 1948
- वेतन भुगतान अधिनियम, 1936
- मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत् निर्मित नियम परिसंकटमय रसायनों के भण्डारण एवं आयात नियम 1989
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत् निर्मित नियम रसायन दुर्घटना (आपात योजना) तैयारी एवं अनुक्रिया नियम 1996

Scanned with OKEN Scanner

19.4.1 **कारखाना अधिनियम** : – कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत्, यह अधिनियम निम्नानुसार स्थितियों में किसी भी संस्थान में प्रभावशील होता है :–

(अ) ऐसे संस्थान जहाँ वर्ष में किसी भी एक दिन 10 या 10 से अधिक श्रमिकों को नियुक्त कर शक्ति (मानव अथवा पशु द्वारा उत्पन्न शक्ति को छोड़कर) के उपयोग से कोई विनिर्माण प्रक्रिया संचालित की जाती है।

(ब) ऐसे संस्थान जहाँ वर्ष में किसी भी एक दिन 20 या 20 से अधिक श्रमिकों को नियुक्त कर बिना शक्ति के उपयोग के विनिर्माण प्रक्रिया संचालित की जाती है।

(स) कारखाना अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत् राज्य शासन द्वारा घोषित विनिर्माण प्रक्रिया पर भी यह अधिनियम प्रभावशील होता है, चाहे इन कारखानों में श्रमिकों का नियोजन 10 से कम ही क्यों न हो। वर्तमान में धारा 85 के अंतर्गत् कारखाना अधिनियम के प्रावधान एक भी श्रमिक नियोजित करने पर निम्न प्रक्रियाओं पर लागू है :–

1. राईस मिलिंग।
2. दाल मिलिंग।
3. ऑयल मिलिंग।
4. आरा मशीन।
5. स्लेट पेन्सिल निर्माण।
6. एस्बेस्टस् निर्माण
7. रासायनिक कारखाने, जिनमें विषैली या अत्यधिक ज्वलनशील अथवा विस्फोटक प्रकृति के रसायनों का भण्डारण या उपयोग होता है।
8. स्टोन क्रशिंग और मिनरल पल्वराईजिंग प्रोसेस।
9. गन्ना प्रसंस्करण एवं गुड़ उत्पादन प्रक्रिया।

- **कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी मुख्य प्रावधान :–**

➢ कारखाने का कार्य वातावरण श्रमिकों के स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित रखा जाना।

➢ कारखाने को स्वच्छ, धूल तथा विषैले गैसों से मुक्त, समस्त रास्तों तथा पहुंच मार्गों को बाधा रहित रखा जाना ।

Scanned with OKEN Scanner

- श्रमिकों को कार्य अनुरूप उपयुक्त सुरक्षा उपकरण जैसे– जूते, दस्ताने, हेलमेट, फेसशील्ड, ऊंचाई पर कार्य करने के लिए सेफ्टीबेल्ट, फर्नेस पर कार्य करने के लिए हीट रजिस्टेंस एप्रन, लेग गार्ड, हिट रजिस्टेंस दस्ताने केमिकल्स हेण्डलिंग एवं प्रोसेस पर कार्यरत श्रमिकों को गमबूट्स, रबर एप्रन, रबर हेण्डग्लोब्स, केमिकल सेफ्टी गॉगल्स एवं फेस शील्ड आदि उपलब्ध कराया जाना।
- श्रमिकों के लिए पेयजल की उचित व्यवस्था किया जाना।
- महिला एवं पुरूष श्रमिकों के उपयोग हेतु अलग–अलग पर्याप्त शौचालय तथा मूत्रालय की व्यवस्था करना।
- कारखाने में प्रथम उपचार की व्यवस्था किया जाना।
- कारखाने में 150 से ज्यादा श्रमिक नियोजित हों तो विश्राम गृह की व्यवस्था किया जाना।
- कारखाने में 250 से ज्यादा श्रमिक नियोजित हों तो केन्टीन की व्यवस्था किया जाना।
- कारखाने में अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था किया जाना।
- श्रमिकों को सप्ताह में एक दिन साप्ताहिक अवकाश दिया जाना। श्रमिकों के कार्य घंटों का नोटिस प्रदर्शित किया जाना।
- कारखाने में कार्यरत प्रत्येक श्रमिकों का हाजिरी रजिस्टर में नाम अंकित किया जाना।
- सवैतनिक अवकाश का लाभ श्रमिकों को 20 दिन पर एक दिन के दर से देना ।
- श्रमिकों से ओव्हर टाईम पर कार्य कराये जाने पर उन्हें दोगुने दर से भुगतान किया जाना।
- कारखाने में बाल श्रमिकों का नियोजन न करना।
- महिला श्रमिकों से शाम 7.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक कार्य नहीं कराया जाना।
- कारखाने में स्थापित क्रेन्स, Hoist तथा अन्य लिफ्टिंग मशीन एवं दाब यंत्रों/उपकरणों का सक्षम व्यक्तियों से परीक्षण करवाया जाना।
- श्रमिकों को सुरक्षा की दृष्टि से प्रशिक्षित किया जाना।
- मशीनों के समस्त चलायमान खतरनाक हिस्सों को सुरक्षा आवरण से सुरक्षित किया जाना।
- खतरनाक श्रेणी के कारखानों में कार्यरत समस्त श्रमिकों का वर्ष में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाना।

Scanned with OKEN Scanner

19.4.2 वेतन भुगतान अधिनियम

कारखाने में 1000 श्रमिक हो तो आगामी माह की 7 तारीख एवं 1000 से ज्यादा हों तो 10 तारीख तक वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाना ।

19.4.3 मातृत्व हितलाभ अधिनियम

समस्त महिला श्रमिकों को मातृत्व हित लाभ के प्रावधानों से अवगत कराया जाना। कारखाने में कार्यरत समस्त महिला श्रमिकों को मातृत्व हित लाभ के प्रावधानानुसार 26 सप्ताह का सवैतनिक अवकाश देते हुए रूपये 2500/- का मेडिकल बोनस दिया जाना।

19.4.4 श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम

कारखाने में दुर्घटनाग्रस्त होने पर प्रत्येक श्रमिक को श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रावधानानुसार मुआवजा देना। यदि कारखाना प्रबंधन द्वारा मुआवजा देने संबंधी कोई विवाद किया जाता है तो आहत/मृत श्रमिक के आश्रित, श्रमिक क्षतिपूर्ति आयुक्त (श्रम न्यायालय) में अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।

19.5 प्रदेश में दिनाँक 31.12.2017 तक पंजीकृत कारखानों की कुल संख्या 4499 है। इन कारखानों में श्रमिकों का कुल नियोजन लगभग 3,52,796 है। इन कारखानों में अत्यधिक खतरनाक श्रेणी के 17, खतरनाक श्रेणी के 749 एवं गैर खतरनाक श्रेणी के 3733 कारखानें हैं।

19.6 संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधिकारियों द्वारा कारखानों में निरीक्षण कर कारखाना अधिनियम एवं अन्य अधिनियमों के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराया जाता है। कारखाना में घटित दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर एवं शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल जाँच की जाती है। शिकायत की जाँच, निरीक्षण एवं दुर्घटना जाँच के उपरान्त उल्लंघन पाए जाने की स्थिति में दोषी कारखाना प्रबंधन के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाती है।

19.7 प्रदेश में विभिन्न जिलों में स्थापित खतरनाक श्रेणी के कारखानों में कारखाना अधिनियम के प्रावधानों का पालन सजगता से कराया जाता है। इन कारखानों में उपयोग किये जा रहे रसायनों से आपात स्थिति निर्मित होने की आशंका रहती है।

Scanned with OKEN Scanner

खतरनाक श्रेणी के कारखानों में होने वाली विनिर्माण प्रक्रिया से तथा इनमें उपयोग हो रहे रसायनों से श्रमिक के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इस बाबत् इन कारखानों में ऑन साइट इमरजेंसी प्लान बनवाए जाते हैं। इन कारखानों में बनाए गए ऑन साइट इमरजेंसी प्लान का रिहर्सल भी कराया जाता है, जिससे इन प्लान की प्रभावी क्रियान्वयन की स्थिति का आंकलन होता रहें।

19.8 प्रदेश में स्थापित निर्माणियों में से **MSIHC Rules** 1989 के अंतर्गत् अत्यधिक खतरनाक श्रेणी के कारखानों को पृथक से चिन्हांकित किया गया है। वर्तमान में अत्यधिक खतरनाक श्रेणी के कुल 17 कारखानें हैं। अत्यधिक खतरनाक श्रेणी के कारखाने प्रदेश के विभिन्न 04 जिलों में स्थित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत् बनाए गए नियमों में ऐसे प्रत्येक जिले का ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान भी बनाया जाना आवश्यक है। 02 जिलों क्रमशः बिलासपुर, जांजगीर–चांपा में ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान बन गए हैं तथा दुर्ग एवं रायपुर का ऑफसाईट प्लान संबंधित जिला कलेक्टरों को प्रस्तुत किये जा चुके है। रायगढ़ का ऑफसाईट प्लान बनाया जाना है।

19.9 **अत्यधिक खतरनाक श्रेणी के कारखानों की जिलेवार सूची निम्नानुसार है :–**

जिला	क्र.	अत्यधिक खतरनाक कारखानों के नाम एवं पता
रायपुर	1	प्रकृति इंडस्ट्रीज, प्लाट नं. 9–बी, रांवाभाठा इंडस्ट्रीयल एरिया, रायपुर
	2	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, एल.पी.जी.बाटलिंग प्लांट, मंदिर हसौद, रायपुर
	3	प्राची रेज़ीन्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–धरमपुरा, माना रोड़, रायपुर
	4	श्री गणेश ओलियोचेम, सिलतरा, रायपुर
	5	श्री केमिकल्स, सिलतरा, रायपुर
	6	इंडियन आईल कार्पोरेशन लिमिटेड, एल.पी.जी.बाटलिंग प्लांट, सिलतरा, फेस– I, रायपुर
	7	एरो एग्रो केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड,भनपुरी इंडस्ट्रीयल एरिया,रायपुर
	8	आकृति टेक्जिम प्राईवेट लिमिटेड, सिलतरा ग्रोथ सेन्टर, रायपुर
	9	ठाकुर पेट्रो केमिकल्स, ग्राम–उरला, अभनपुर, रायपुर
	10	अनिकेत एल.पी.जी. बाटलिंग, सिलतरा फेस–II, रायपुर
जांजगीर–चांपा	1	मध्य भारत पेपर मिल ग्राम बिरगहनी, चांपा
दुर्ग	1	ऑक्सीजन प्लान्ट II, बी .एस.पी.भिलाई
	2	कोल केमिकल्स डिपार्टमेन्ट, बी.एस.पी.भिलाई
	3	इनर्जी मेनेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट, बी.एस.पी.भिलाई
	4	प्रोपेन स्टोरेज, बी.एस.पी.भिलाई
	5	प्रेक्स एयर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, बी.एस.पी.भिलाई
रायगढ़	1	जिन्दल पॉवर लिमि0 तमनार, रायगढ़

Scanned with OKEN Scanner

19.10 रसायन दुर्घटना (आपात योजना, तैयारी एवं अनुक्रिया) नियम 1996 के अंतर्गत् प्रदेश में राज्य संकट स्थिति समूह का गठन पुराने 16 जिलों में हो गया है ।

19.11 **प्रदेश मेंइण्डस्ट्रीयल हाईजीन लैबोरेटरी की स्थापना 2008** में की गई है। इस हाईजीन लैबोरेटरी में विभिन्न तरह के रसायनों एसिड फ्यूम्स्, मेटल फ्यूम्स्, दूषित वायु, धूल एवं जल का विश्लेषण करने हेतु उपकरण स्थापित किये गए हैं। विभाग के अधिकारियों द्वारा कारखानों में जांच के दौरान कार्यवातावरण के प्रदूषक का नमूना एकत्र किया जाता है तथा हाईजिन लैब में नमूना का विश्लेषण त कारखानों के कार्यवातवरण में प्रदूषकों के स्तर को ज्ञात किया जाता है। विश्ले के परिणाम पश्चात् मानक स्तर से अधिक पाये जाने पर प्रदूषकों का स्तर नियंत्रि ये जाने हेतु अभियांत्रिकीय उपाय एवं कार्यरत् श्रमिकों को सुसंगत व्यक्तिगत ा उपकरण उपलब्ध कराये जाने तथा उक्त व्यवस्था हेतु कारखानों को दिए गए ों का पालन सुनिश्चित कराया जाता है जिससे कि कारखानों में कार्यरत् श्रमि के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न हो सके।

19.12 **संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण** :– खतरनाक श्रेणी के कारखानों द्वारा कारखाने मे कार्यरत् श्रमिकों का स्वास्थ्य जांच प्रतिवर्ष कराया जाता है। इन स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट का परीक्षण हाईजिन लैब में कार्यरत् कारखाना चिकित्सा निरीक्षकों द्वारा किया जाता है। इससे कारखाने के कार्यवातावरण द्वारा श्रमिकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव एवं व्यवसायिक बीमारियों की पहचान की जाती है। व्यवसायिक बीमारी के लक्षण पाये जाने पर ऐसे श्रमिकों के कार्यस्थल में परिवर्तन कराया जाना सुनिश्चित किया जाता है, जिससे श्रमिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव से बचाव किया जावे।

19.13 प्रदेश में स्थापित निर्माणियों में कार्यरत् श्रमिकों/अधिकारियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी कारखानों में विशेषकर खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों में संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मार्गदर्शन में श्रमिकों/कारखाना प्रबंधनों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने एवं प्रशिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, साथ ही प्रतिवर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायपुर द्वारा प्रदेश के सभी बड़े एवं खतरनाक श्रेणी के कारखाना प्रबंधनों को 4 मार्च को औद्योगिक सुरक्षा दिवस प्रभावी ढंग से मनाने के लिए दिशा–निर्देश दिये जाते हैं । इन दिशा–निर्देशों के अनुसार कारखानों में श्रमिकों की भागीदारी

Scanned with OKEN Scanner

सुनिश्चित करने की दृष्टि से स्लोगन प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, सुरक्षा सुझाव, सुरक्षा संगोष्ठी, सुरक्षा फिल्मों का प्रदर्शन, अग्नि शमन प्रशिक्षण एवं ऑन साइट इमरजेंसी प्लान की मॉक ड्रिल कराई जाती है ।

19.14 संचालनालय के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2017 में किये गए कार्यों का विवरण

19.14.1 संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधिकारियों द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के क्रियान्वयन हेतु कारखानों का निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान अधिनियम के प्रावधानों का पालन न होने की स्थिति में अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करते हुए पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाते हैं। पालन सुनिश्चित न करने की स्थिति में दोषी कारखाना प्रबंधन के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2017 में किये किये गये निरीक्षण/दायर अभियोजन की स्थिति निम्नानुसार है :–

वर्ष	निरीक्षण	दायर अभियोजन	निर्णित प्रकरण	अर्थदण्ड (रूपये में)
2017	1004	282	183	2,38,49,000

19.14.2 **दुर्घटना की जाँच** :– प्रदेश में घटित प्राणान्तक एवं गम्भीर दुर्घटना की जाँच संचालनालय के अधिकारियों द्वारा की जाती है तथा दोषी पाए गए कारखाना प्रबंधनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियोजन प्रकरण संबंधित श्रम न्यायालय में दायर किये जाते हैं। वर्ष 2017 में घटित दुर्घटनाओं का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्राणांतक दुर्घटना	मृत श्रमिकों की संख्या	गम्भीर दुर्घटना	घायल श्रमिकों की संख्या	साधारण दुर्घटना
2017	67	72	70	85	164

19.14.3 **कारखाना पंजीयन** :– प्रदेश में स्थापित होने वाले तथा कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत् पंजीयन योग्य निर्माणियों के पंजीयन का कार्य संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायपुर द्वारा किया जाता है। राज्य शासन के अधिसूचना क्रमांक

Scanned with OKEN Scanner

एफ 1–79/2012/16 दिनांक 19.12.2012 द्वारा छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962 के नियम 3 ए एवं नियम 6 के अन्तर्गत ऐसे गैर खतरनाक कारखानों, जिनमें 20 से अधिक श्रमिकों का नियोजन न हो, के अनुमोदन, पंजीयन तथा अनुज्ञप्ति जारी करने का अधिकार राज्य के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रदान किये गये है।

19.15 **दुर्घटनाओं के नियंत्रण हेतु विशेष अभियान**

- राज्य के बड़े कारखानों के सुरक्षा अधिकारियों की नियमित बैठक लेकर कारखानों के सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है।
- कारखाने में नियोजन से पूर्व श्रमिकों को 3 दिन का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य किया गया है।
- राज्य में ठेका श्रमिकों के माध्यम से कारखानों में कार्यरत ठेका श्रमिकों को प्रशिक्षण हेतु ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया गया है तथा प्रति तिमाही में 25 से 30 कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को प्रशिक्षण दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके तहत वर्ष 2016–17 में राज्य के 350 कारखानों में 1,50,852 ठेका श्रमिक लाभांवित हुये।

19.16 **ईज ऑफ डूईंग बिजनेस : -** ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के तहत् औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समस्त मैदानी कार्यालयों में की जाने वाली निम्न कार्यप्रणाली को ऑनलाईन किया गया है।

- कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत जारी किये जाने वाले कारखाना लायसेंस तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों को ऑनलाईन प्राप्त कर लायसेंस ऑनलाईन जारी किये जा रहे है।
- कारखाने के ऑन साईट आपात योजना एवं कारखाने भवनों के नक्शे ऑनलाईन प्राप्त कर ऑनलाईन अनुमोदित या निरस्त किये जा रहे है।
- सक्षम व्यक्ति प्रमाण हेतु ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर प्रमाण–पत्र भी ऑनलाईन जारी किये जा रहे है।
- समस्त उप संचालक एवं सहायक संचालक द्वारा किये जाने वाले कारखाने का निरीक्षण के संबंध में कारखानों का **Random** पद्धति से **Computer** द्वारा चयन कर निरीक्षण संपादित किये जाकर 48 घंटो में निरीक्षण रिपोर्ट **Website (cg.nic.in/labour)** पर अपलोड की जा रही है। कारखानों द्वारा **Compliance** भी ऑनलाईन अपलोड किया जा रहा है।

Scanned with OKEN Scanner

19.17 **राजस्व** :— प्रदेश में वर्ष 2017 में नव स्थापित एवं पूर्व से कार्यरत् कारखानों से बतौर लायसेंस शुल्क कुल राशि रूपये 8,76,16,644.00 की राजस्व प्राप्ति हुई है।

19.18 श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी प्रभावी कदम

राज्य में स्थित कारखानों में से लगभग 986 कारखानों को श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक संवेदनशील चिन्हांकित किया गया है। इन कारखानों में नियोजित श्रमिकों में व्यवसायिक रोग होने की संभावना होती है। इनमें से लगभग 237 कारखानों में सिलिकायुक्त धूल के कारण फेफड़े के रोग विशेषतः सिलिकोसिस/सिलिकोट्यूबरक्लोसिस की संभावना होती है। इस प्रकार के उद्योगों में मुख्यतः स्टोन कशर उद्योग एवं रेमीन्ग मॉस कारखाने शामिल है।

इस प्रकार के खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखाने एवं सिलिकोसिस रोगजन्य कारखानो के लायसेंस नवीनीकरण के समय कारखाने में कार्यरत श्रमिको का नियमानुसार स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। सिलिकोसिस रोगजन्य स्टोन कशर उद्योगों में कारखाना अधिनियम का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से खनिज संसाधन विभाग से पिट पास जारी करने के पूर्व श्रम विभाग से कारखाना अधिनियम के अंतर्गत लायसेंस प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। अतः ऐसे सिलिकोसिस रोगजन्य स्टोन कशर उद्योग अपंजीकृत नहीं रह सकेंगे एवं कारखाना अधिनियम के अंतर्गत इनमें धूल उत्सर्जन नियंत्रित करने के उपाय सुनिश्चित करने हेतु विधिवत कियान्वयन किया जा सकेगा। इन कारखानों में श्रमिकों को उपयुक्त सुरक्षा उपकरण, डस्ट मास्क आदि उपलब्ध कराये जाने का दायित्व निर्वहन भी कारखानों द्वारा अनिवार्यतः कराया जा सकेगा, जिससे श्रमिकों में सिलिकोसिस जैसी गंभीर व्यवसायजन्य बीमारी की संभावना का उन्मूलन संभव होगा।

Scanned with OKEN Scanner

20. छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, रायपुर

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण अधिनियम निधि 1982 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल का गठन किया गया है। मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कारखानों एवं स्थापनाओं तथा कार्यरत श्रमिकों से अभिदाय प्राप्त किया जाता है। प्राप्त अभिदाय एवं शासन द्वारा दी गई सहायता अनुदान से मिलकर श्रम कल्याण निधि बनती है।

20.1 छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के तहत राज्य के समस्त ऐसे स्थापनाएं जो व्यवसाय, व्यापार अथवा उससे संबंधित कोई सहयोगी कार्य करते हों एवं विगत 12 माहों में किसी भी कार्य दिवस में 9 से अधिक श्रमिक नियुक्त किए हों उन पर यह अधिनियम प्रभावशील होता है। श्रम कल्याण मंडल द्वारा ऐसे संस्थानों से 60/- रूपये (प्रति छमाही) अभिदाय प्रति श्रमिक जमा किया जाता है। इसमें 45/- रूपये नियोक्ता का एवं 15/- श्रमिक का अंशदान होता है। इस निधि से कारखानों एवं स्थापनाओं में कार्यरत अभिदायदाता श्रमिकों एवं उनके परिवार के कल्याण की अभिवृद्धि के लिये विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती है।

20.2 **अभिदाय वसूली:** मंडल द्वारा 2017 की अवधि में 2600 संस्थानों में कार्यरत 1,85,938 श्रमिकों से अभिदाय राशि रूपये 61,00,885/- एवं नियोजको से अभिदाय राशि रूपये 2,18,10,601/- अर्थात् कुल अभिदाय राशि रूपये 2,79,11,486/- प्राप्त किया गया है।

20.3 छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 यथा संशोधित नियम, 1984 के तहत पूर्व में स्थापनाओं/श्रमिकों के पंजीयन का प्रावधान नहीं था, श्रम कल्याण निधि अधिनियम में संशोधन उपरांत पंजीयन संबंधी प्रावधान शामिल किया गया है। श्रम कल्याण मंडल द्वारा औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों के ऑनलाईन पंजीयन की व्यवस्था 01 जनवरी 2017 से प्रारंभ की गई है। वर्ष 2017 में कुल 55736 श्रमिकों का पंजीयन किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

20.4 मंडल द्वारा संचालित योजनाएँ

20.4.1 पं. दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न सहायता योजना

हितलाभ : दस रूपये में गरम/पौष्टिक भोजन (दाल, चावल, सब्जी एवं अचार)

पात्रता : संस्थानों, कारखानों एवं स्थापनाओं में नियोजित अभिदायदाता श्रमिक को दस रूपये में गरम/पौष्टिक भोजन वितरण किया जा रहा है।

माननीय मंत्रीजी श्रम विभाग द्वारा उरला औद्योगिक क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्न सहायता योजना अंतर्गत श्रमिक भाईयों के साथ भोजन ग्रहण।

Scanned with OKEN Scanner

20.4.2 शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना

हितलाभ : रूपये 1500/– से 10000/– तक।

पात्रता : मण्डल को देय अभिदायदाता संस्थानों, कारखानों एवं स्थापनाओं में नियोजित श्रमिकों के दो पुत्र एवं पुत्रियों को जिन्होंने 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हो, कक्षा 01 से 08वीं तक रु. 1500/–, कक्षा 09वीं से 12वीं तक रु. 3000/–, स्नातक अध्ययन जैसे बी.ए./बी.एस. सी./बी.कॉम/आई.टी.आई. डिप्लोमा, नर्सिंग रु. 5000/–, स्नातक स्तर के व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि रु. 8000/–, स्नातकोत्तर स्तर रु. 10000/–छात्रवृत्ति के रूप में प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिये प्रदाय की जाती है।

20.4.3 कन्या विवाह सहायता योजना

हितलाभ : रूपये 15000/–।

पात्रता : औद्योगिक संस्थानों/कारखानों में कार्यरत अभिदायदाता श्रमिक की 18 वर्ष से अधिक उम्र की एक पुत्री एवं संस्थानों में स्वयं कार्यरत् महिला श्रमिक को रु. 15000/– की विवाह सहायता राशि प्रदान की जाती है।

20.4.4 श्रमिक दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना

हितलाभ : रूपये 50000/–।

पात्रता : स्थापना/औद्योगिक संस्थान में कार्यरत अभिदायदाता श्रमिकों की कार्य के दौरान दुर्घटनावश मृत्यु होने पर उनके वैधानिक उत्तराधिकारी को रूपये 50,000/– की सहायता राशि प्रदाय की जाती है। किन्तु वे हितग्राही जो ई.एस.आई.सी. एवं भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत नही है उनके ही आवेदन स्वीकार किये जावेंगें।

20.4.5 निःशुल्क सायकल वितरण योजना

हितलाभ : एक सायकल प्रति हितग्राही

पात्रता : स्थापना/औद्योगिक संस्थान में कार्यरत 3 वर्षों से देय अभिदायदाता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के श्रमिकों को निःशुल्क सायकल हितग्राही को जीवनकाल में एक बार प्रदाय किया जाता था।

छ.ग. शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10–1/2018/16 दिनांक 10.01.2018 में पूर्व अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति वर्ग के प्रावधान में संशोधन कर अधिसूचना जारी दिनांक से श्रम कल्याण निधि अधिनियम के अंतर्गत सभी वर्गों के श्रमिकों के लिए निःशुल्क सायकल वितरण योजना 2017 लागू किया गया है।

20.4.6 श्रम कल्याण केन्द्रों का संचालन एवं सिलाई–कढ़ाई प्रशिक्षण

मंडल द्वारा संचालित श्रम कल्याण केन्द्रों के माध्यम से श्रमिकों के महिलाओं एवं पुत्रियों को निःशुल्क सिलाई/कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जाता है।

20.4.7 निःशुल्क सिलाई मशीन योजना

हितलाभ : एक सिलाई मशीन (प्रति हितग्राही) ।

पात्रता : कारखानों/संस्थानों में कार्यरत अभिदायदाता श्रमिकों के महिलाओं एवं पुत्रियों को मंडल द्वारा संचालित श्रम कल्याण केन्द्रों में सिलाई/कढ़ाई का प्रशिक्षण उपरांत निःशुल्क सिलाई मशीन प्रदान किया जाता है।

20.4.8 निःशुल्क बैशाखी/कैलिपर्स/ट्राईसायकल एवं श्रवण यंत्र योजना

हितलाभ : योजनांतर्गत 01 सामग्री (प्रति हितग्राही) रूपये शासन द्वारा निर्धारित राशि अनुसार।

पात्रता : कारखानों/संस्थानों में कार्यरत 3 वर्षों से देय अभिदायदाता विकलांग श्रमिकों को शासकीय चिकित्सालय द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र के आधार पर निःशुल्क बैसाखी/कैलिपर्स/ट्राईसायकल एवं श्रवण यंत्र हितग्राही को जीवनकाल में एक बार प्रदाय किया जाता है।

20.4.9 मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना 2017

औद्योगिक संस्थानों/स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों एवं उनके परिवारजनों को विभिन्न ट्रेड का प्रशिक्षण जैसेः– फिटर, टर्नर, मोल्डर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, फर्नेन्स ऑपरेटर, इन्स्ट्रूमेन्टेशन मैकेनिक, रेफ्रीजरेशन मैकेनिक इत्यादि एवं समय–समय पर राज्य शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा चिन्हांकित व्यवसाय हेतु मंडल द्वारा पंजीकृत कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जावेगा। ऐसे श्रमिक जो किसी स्थापना में वर्षों से अपने अनुभव के आधार पर कार्यरत है परंतु किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के प्रमाण–पत्र के अभाव में उन्हें कुशल श्रेणी से वंचित रखा गया है। इन कर्मचारी/उनके परिवारों के सदस्यों को भी प्रशिक्षण दिया जाकर पंजीकृत संगठित कर्मचारी जिस ट्रेड में कार्य करते हैं उसका प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

20.4.10 स्वास्थ्य/नेत्र परीक्षण शिविर एवं निःशुल्क चश्मा वितरण

पात्रता : प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के कारखानों में कार्यरत श्रमिक एवं उनके परिवार के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य/नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाकर निःशुल्क दवाईयाँ एवं चश्मा वितरण किया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

20.4.11 श्रमिकों हेतु खेल–कूद प्रतियोगिता :–

पात्रता : विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के कारखानों/संस्थानों मे कार्यरत् श्रमिकों एवं उनके परिवार के लिए राज्य स्तरीय/संभाग स्तरीय/जिला स्तरीय श्रमिक खेल–कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है।

20.4.12 सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता

हितलाभ : रूपये 3,00,000/–।

पात्रता : योजना का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य मे स्थित वे सभी स्थापनाएं जहाँ कारखाना अधिनियम 1948 एवं श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 प्रभावशील होगा में कार्यरत् श्रमिकों को प्रदान किया जावेगा।

20.5. **श्रम कल्याण केन्द्र :–** श्रम कल्याण केन्द्रों में कारखानों/संस्थानों में नियोजित श्रमिक परिवार के महिलाओं एवं बालिकाओं को स्वरोजगार हेतु सिलाई, कढ़ाई एवं बुनाई का प्रशिक्षण देकर उत्तीर्ण हितग्राहियों को निःशुल्क सिलाई मशीन का वितरण किया जाता है। श्रमिकों के लिये शैक्षणिक भ्रमण, पर्यटन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, मेंहदी एवं रंगोली आदि प्रतियोगिता के माध्यम से बौद्धिक विकास किया जाता है।

सिलाई प्रशिक्षण

Scanned with OKEN Scanner

20.5.1 मण्डल द्वारा संचालित कल्याण केन्द्रों का विवरण

क्र.	जिला	संख्या	कल्याण केन्द्रों का नाम
01	रायपुर	1	औद्योगिक क्षेत्र गुमा, रायपुर
		2	औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर
		3	औद्योगिक क्षेत्र रावांभाठा, रायपुर
		4	औद्योगिक क्षेत्र नवापारा
02	दुर्ग	5	औद्योगिक क्षेत्र खुर्सीपार, भिलाई
		6	औद्योगिक क्षेत्र छावनी, भिलाई
		7	औद्योगिक क्षेत्र रसमड़ा
03	राजनांदगांव	8	औद्योगिक क्षेत्र इंदामरा
		9	औद्योगिक क्षेत्र टेडेसरा
		10	औद्योगिक क्षेत्र हल्दी
04	बिलासपुर	11	औद्योगिक क्षेत्र तिफरा
		12	औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी
		13	जरहाभाठा
05	जांजगीर–चांपा	14	औद्योगिक क्षेत्र भोजपुर
06	कोरबा	15	कावेरी विहार, एन.टी.पी.सी.,परिसर,कोरबा
		16	सी.एस.ई.बी. (कैलाश विहार पश्चिम)
		17	औद्योगिक क्षेत्र बालको, कोरबा

20.6 मंडल द्वारा 01 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या एवं व्यय की गई राशि

क्र	योजना का नाम	हितग्राहियों की संख्या	व्यय की गई राशि
1	*2*	*3*	*4*
1	शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना	3033	3722500.00
2	बालिका विवाह सहायता योजना	343	2885000.00
3	निःशुल्क सायकल वितरण योजना	44	124872.00
4	निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण योजना	255	1300194.00
5	श्रमिक दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना	1	50000.00
6	निःशुल्क बैशाखी/केलिपर्स/ट्राईसायकल एवं श्रवण यंत्र योजना	2	24300.00
7	सिलिकोसिस बीमारी से पीडित श्रमिकों के लिये आर्थिक सहायता योजना	1	300000.00
	योग	**3679**	**8406866.00**

Scanned with OKEN Scanner

21. छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर

21.1 भवन एवं अन्य सन्निर्माण क्षेत्र में कार्यरत् श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निम्न अधिनियम प्रवर्तित किये गये है :–

(1) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम 1996.

(2) छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996.

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2008 में छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) नियम 2008 अधिनियमित कर प्रभावशील किया गया तथा अधिनियम के अंतर्गत छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का गठन 05 सितम्बर 2008 को किया गया।

21.2 भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक से तात्पर्य

छत्तीसगढ़ राज्य में भवन तथा अन्य सन्निर्माण कार्य से जुड़े हुए निम्नांकित 60 प्रकार के प्रवर्गो के श्रमिकों को भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के रूप में अधिसूचित किया गया है :–

1. पत्थर कांटने वाले या पत्थर तोड़ने वाले या पत्थर पीसने वाले, 2. राजमिस्त्री (मैसन) या ईटों पर रद्दा करने वाले 3. बढ़ई (कारपेंटर) लकड़ी की सामग्रियों में पेंटिंग एवं वार्निशिंग करने वाले कर्मकार, 4. पुताई करने वाले (पेंटर), 5. फिटर या बार वेंडर, 6. सड़क के पाईप मरम्मत कार्य में लगे प्लम्बर,नाली निर्माण एवं नल संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार, 7. इलेक्ट्रिशियन, विद्युत वायरिंग, वितरण एवं पैनल फिटिंग संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार, 8. मैकेनिक, 9. कुएं खोदने वाले, 10. वेल्डिंग करने वाले, 11. मुख्य मजदूर, 12. मजदूर (रेजा–कुली), 13. स्प्रेमेन या मिक्सरमेन (सड़क बनाने में लगे), 14. लकड़ी या पत्थर पैक करने वाले, 15. कुएं में गाद (तलछट) हटाने वाले गोताखोर, 16. हथौड़ा चलाने वाले, 17. छप्पर डालने वाले, 18. लोहार, 19. लकड़ी चीरने वाले, 20. कॉलकर, 21. मिश्रण करने वाले (कांक्रिट मिक्सर चलाने वाले सहित), 22. पंप ऑपरेटर, 23. मिक्सर मशीन चलाने वाले, 24 रोलर चालक, 25. बड़े यांत्रिकी कार्य जैसे भारी मशीनरी, पुल के कार्य आदि मे लगे खलासी, 26. चौकीदार, एवं सिक्योरिटी गार्ड, 27. मोजाईक पॉलिश करने वाले, 28. सुरंग कर्मकार, 29. संगमरमर/कड़प्पा पत्थर,मारबल, स्लैब कटिंग, पॉलिश एवं टाईल्स संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार, 30. सड़क कर्मकार, 31. चट्टान तोड़ने वाले एवं खनि कर्मकार, 32. सन्निर्माण कार्य से जुड़े मिट्टी का कार्य करने वाले, 33.

Scanned with OKEN Scanner

चूना बनाने की क्रिया में लगे कर्मकार, 34. बाढ़ कटाव रोधी कार्य में लगे कर्मकार, 35. बांध, पुल, सड़क या किसी भवन सन्निर्माण संक्रिया में नियोजन में लगे कोई अन्य प्रवर्ग के कर्मकार, 36. ईट भट्ठा, खपरा, फ्लाई एश, टाईल्स मजदूर, 37. पंडाल सन्निर्माण में लगे कर्मकार, 38. बंसोड़, 39. कुम्हार, 40. सीमेंट पोल, सीमेंट की जाली, गमले, पाईप, टंकी आदि बनाने वाले कर्मकार, 41. रेत या गिट्टी मजदूर, 42. निर्माण में अग्निशमन संयंत्र लगाने वाले श्रमिक, 43. एयर कण्डीशनर, शीतकालीकरण, वाष्पीकरण यंत्र तथा गीजर जैसे उपकरणों, 44. लोहे के ग्रिल, खिड़कियां, दरवाजे बनाने व लगाने वाले कर्मकार, 45. भवनों में कारपेट का काम करने वाले कर्मकार, 46. लिफ्ट एवं एस्केलेटर लगाने तथा रखरखाव करने वाले कर्मकार, 47. सोलर पैनल निर्माण करने वाले, लगाने/मरम्मत करने वाले कर्मकार, 48. माड्यूलर किचन निर्माण करने वाले कर्मकार, 49. पी0ओ0पी0 का कार्य करने वाले, फॉल्स सीलिंग, लाईटिंग जैसे आंतरिक साज–सज्जा संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार, 50. सेन्ट्रींग कर्मकार, 51. सुरक्षा दरवाजे, सुरक्षा यंत्र लगाने वाले एवं बनाने वाले कर्मकार, 52. जल संरक्षण (**Water Harvesting**) से संबंधित कार्य करने वाले कर्मकार, 53. काँच एवं **Glass Panels** की कटिंग करने और लगाने संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार, 54. खेल मैदान, स्वीमिंग पुल, गोल्फ कोर्स जैसे मनोरंजन स्थल का निर्माण करने वाले कर्मकार, 55. बस स्टॉप, डिपो, स्टैण्ड, रोड सिंगनल, संकेतक (साईन बोर्ड) एवं इनसे संबंधित निर्माण करने तथा लगाने वाले कर्मकार, 56. फौव्वारा निर्माण करने एवं लगाने वाले कर्मकार, 57. सार्वजनिक उद्यान, फुटपाथ निर्माण, लैण्ड स्कैपिंग संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार, 58. निर्माण कार्य में लगने वाले सामग्री रेत, ईंट, गिट्टी, मुरूम आदि की आपूर्ति करने वाले वाहन के वाहन चालक, 59. मलबा/कचरा हटाने वाले कर्मकार, 60. रेत, मुरूम, गिट्टी, सिमेंट तथा ईंट को स्थल से निकालने वाले एवं लोडिंग एवं अनलोडिंग करने वाले कर्मकार।

21.3 हितग्राही पंजीयन

- ➢ निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन हेतु निर्धारित आयु सीमा 18 वर्ष से 60 वर्ष तक।
- ➢ किसी भी कम्प्यूटर/च्वाईस सेंटर/श्रम केन्द्र में जाकर श्रम विभाग के वेबसाईट www.cglabour.nic.in में जाकर आवेदन कर सकते है।
- ➢ पंजीयन हेतु कलर पासपोर्ट साईज फोटो को स्केन कर वेबसाईट में निर्देशानुसार संलग्न करना अनिवार्य।
- ➢ आयु प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र स्केन कर वेबसाईट में निर्देशानुसार संलग्न करना अनिवार्य।
- ➢ राशन कार्ड (वैकल्पिक)।
- ➢ मोबाईल नंबर एवं खाता नंबर अनिवार्य।

Scanned with OKEN Scanner

- विगत एक वर्ष में भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस कार्य करने संबंधी नियोजक/श्रमिक संघ/श्रम निरीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

पंजीयन की सूचना/ जानकारी श्रमिक को उसके द्वारा दी गई मोबाईल नंबर पर दी जाती है कि वह पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधित लोक सेवा केन्द्र/च्वाईस सेंटर से प्राप्त कर सकते है।

क्रमांक	जनवरी 2017 से दिसम्बर 2017 तक हितग्राही पंजीयन	31 दिसम्बर 2017 तक मंडल में कुल हितग्राही पंजीयन
1.	3,86,957	13,70,062

शिविर के माध्यम से निर्माण श्रमिकों का पंजीयन

21.4 **उपकर संग्रहण** :– भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत नियोजक को प्रत्येक निर्माण कार्य में लागत का एक प्रतिशत उपकर दिया जाना नियत है। मंडल द्वारा उपकर जमा करने की ऑनलाईन सुविधा दी गई है। क्रमांकजनवरी 2017 से दिसंबर 2017 तक संकलित उपकरअब तक कुल संकलित उपकर1. 1,94,74,52,747/–8,71,15,15,579/–

क्रमांक	जनवरी 2017 से दिसंबर 2017 तक संकलित उपकर	अब तक कुल संकलित उपकर
1.	1,94,74,52,747/–	8,71,15,15,579/–

Scanned with OKEN Scanner

21.5 **व्यय** :— छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल द्वारा वर्ष 2017 में योजनाओं एवं स्थापना में किये गए कुल व्यय की जानकारी :—

21.6 छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित योजनाएं

21.6.1 राजमाता विजयाराजे कन्या विवाह सहायता योजना

पंजीकृत निर्माण महिला हितग्राही के स्वयं के विवाह या हितग्राही के धर्मज या हितग्राही द्वारा विधिमान्य गोद लिया हुआ या हितग्राही के सौतेली पुत्री, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो, या हितग्राही के एक बार पुर्नविवाह हेतु या हितग्राहियों के दो पुत्रियों तक विवाह हेतु राशि रूपये 20 हजार मंडल द्वारा सहायता राशि प्रदान किया जाना प्रावधानित है। मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है।

21.6.2 भगिनी प्रसूति सहायता योजना

निर्माण महिला श्रमिक को रूपये 10 हजार प्रसूति सहायता प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। जिमसें प्रथम किश्त की राशि गर्भधारण के तीन माह के पश्चात् रूपये 5,000/— एवं द्वितीय किश्त राशि बच्चे के जन्म के बाद रूपयें 5,000/— मंडल द्वारा दिया जाता है। मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है।

21.6.3 नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना

निर्माणी श्रमिकों के दो बच्चों के लिए कक्षा पहली से स्नातकोत्तर तक रूपये 1,000/— से 10,000/— तक छात्रवृत्ति प्रदाय करने की योजना प्रभावशील है।

नौनिहाल छात्रवृत्ति योजनांतर्गत लाभान्वित किए जाने संबंधी प्रमाण पत्र

Scanned with OKEN Scanner

21.6.4 विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना

पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु की दशा में समान रूप से रूपये 25,000/– अनुग्रह राशि तथा रूपये 5,000/– अंत्येष्टि सहायता राशि का भुगतान एकमुश्त प्रदाय किया जावेगा, सामान्य दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह राशि का भुगतान एकमुश्त किया जावेगा, कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु होने पर 1,00,000/– रू. अनुग्रह राशि एवं रूपये 5,000/– अंत्येष्टि सहायता राशि एकमुश्त भुगतान किया जावेगा तथा स्थायी अपंगता की स्थिति में 75,000/– रू. की राशि स्वीकृत की जावेगी।

विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु सहायता योजनांतर्गत सहायता प्राप्त करती महिलाएं

21.6.5 मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना

मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना के अंतर्गत विभिन्न ट्रेड़ों, जैसे राजमिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर, पेंटर, कुली से संबंधित औजार किट मंड़ल द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को पात्रतानुसार प्रदाय किया जाता है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त श्रमिकों को ही श्रमिक औजार सहायता योजना के तहत GEM पोर्टल के माध्यम से उपरोक्त ट्रेड की सामग्री कय कर वितरित किये जाने का प्रावधान है। मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है।

Scanned with OKEN Scanner

21.6.6 मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना

मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 35 वर्ष की आयु समूह की महिला हितग्राहियों को एवं 18 से 50 वर्ष आयु समुह के पुरूष श्रमिकों को निःशुल्क सायकल प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है।

माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय मंत्री जी श्रम विभाग मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत लाभान्वित महिला श्रमिकों से रूबरू होते हुए

21.6.7 मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना

मुख्यमंत्री सिलाई मशीन योजना के तहत् 36 वर्ष से 60 वर्ष की आयु समूह की महिला हितग्राहियों को मंडल द्वारा निःशुल्क सिलाई मशीन प्रदाय किया जाना प्रावधानित है। योजना का लाभ केवल मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिरण योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त हितग्राही को ही देय होगा। मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है।

21.6.8 दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना

इस योजना के अन्तर्गत रू. 20,000/– अथवा वास्तविक चिकित्सा व्यय, जो भी कम हो, का भुगतान मंडल द्वारा संबंधित चिकित्सालय को प्रदाय किया जावेगा। मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है।

Scanned with OKEN Scanner

21.6.9 मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक अटल पेंशन योजना

योजना में 18 से 40 वर्ष आयु समूह के श्रमिक शामिल होंगे। योजना के तहत् भारत सरकार द्वारा हितग्राही के अंशदान का 50 प्रतिशत अथवा रूपये 1,000/– जो कम हो, 1 जून 2015 के पश्चात् किया जावेगा। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा रूपये 1,200/– प्रत्येक हितग्राही को अंशदान देय होगा। योजना में प्रत्येक हितग्राही रूपये 1,000/– से 5,000/– तक मासिक पेंशन हितग्राही के अंशदान से मिलेगा। हितग्राही एवं उनके आश्रित की मृत्यु की दशा में हितग्राही के पेंशन खाते में जमा राशि उसके नामित को प्रदाय किया जावेगा। मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है।

21.6.10. मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना

योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पंजीयन के 90 दिवस पश्चात् उसके स्वंयं अथवा उनके परिवार के सदस्य के प्रशिक्षण का प्रावधान रखा गया है।

ऐसे श्रमिक जो अनुभव के आधार पर निर्माण क्षेत्र में किसी ट्रेड का कार्य करते है, किन्तु उनके पास कोई प्रमाण पत्र नही होता है उनका डायरेक्ट सर्टिफिकशन परीक्षा करवाया जाकर प्रमाण पत्र भी प्रदत्त करवाया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान पंजीकृत श्रमिक को अकुशल श्रमिक हेतु निर्धारित वेतन के मान से मानदेय दिये जाने का प्रावधान है इस योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष आयु समूह के श्रमिक अथवा पंजीकृत किसी भी निर्माण श्रमिक के बच्चे प्राप्त कर सकते है। मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है।

भवन एवं निर्माण श्रमिक को मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत राजमिस्त्री का प्रशिक्षण

Scanned with OKEN Scanner

21.6.11. बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना

योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य से संबंधित सभी अधिसूचित वर्गों के श्रमिकों को इस योजना का लाभ प्रदाय किया जाना प्रावधानित है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक बंधक निर्माण श्रमिक के लिए कुल रूपये 4,000/- देय है, जिसमें से रूपये 2,000/- बंधक बनाये गए श्रमिक को वापस लाने हेतु एवं रूपये 2,000/- श्रमिक के स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यकतानुसार वस्त्र के लिए होगा।

21.6.12. मेधावी छात्र–छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना

अ. पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम दो संतान को 10 वीं 12 वीं अथवा उससे ऊपर की कक्षाओं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर रूपये 5000/- से 12,500/- तक अनुदान प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

ब. पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बच्चे यदि छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं 12वीं के आयोजित बोर्ड परीक्षा में प्रवीण्य सूची के प्रथम 10 में आने पर रूपये 1 लाख मंडल द्वारा प्रदाय किय जाने का प्रावधान है।

स. शासकीय आई0टी0आई0 इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, डेन्टल, नर्सिंग, पॉलिटेकनिक, कृषि महाविद्यालय एवं आई0टी0आई0 में प्रवेश लेने पर समस्त शैक्षणिक शुल्क, छात्रावास शुल्क एवं भोजन पर होने वाला व्यय की प्रतिपूर्ति एवं वर्ष में एक बार स्टेशनरी हेतु रूपये 2,000/- मंडल द्वारा देय होगा अशासकीय संस्थाओं में प्रवेश लेने पर शासकीय संस्थाओं हेतु निर्धारित शुल्क दिये जाने का प्रावधान है। मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है।

मानानीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मेधावी छात्र/छात्रा प्रोत्साहन योजनांतर्गत चेक वितरण

Scanned with OKEN Scanner

21.6.13. मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना

इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को हेलमेट, जूता, दरताना, सेफ्टी जैकेट एवं मॉस्क हेतु रूपये 1500/– अनुदान सहायता था जिस पर संशोधन करते हुये इतनी ही राशि अथवा वास्तवित देयक की राशि जो कम हो पर जेम पोर्टल के माध्यम से सामग्री कय कर दिये जाने का प्रावधान किये गये है। मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है।

21.6.14. मोबाईल रजिस्ट्रेशन वैन

योजना के अन्तर्गत श्रमिकों का पंजीयन, कार्य स्थल चावडी एवं शिविर सम्मेलन में जाकर किया जावेगा। मंडल द्वारा अधिसूचित किए गए 60 प्रवर्ग के सभी श्रमिक शिविर में पंजीकृत किए जावेंगे। मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है।

21.6.15. निर्माण महिला स्व–सहायता योजना

इस योजना के अतंर्गत पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिको को सिलाई, कढाई का प्रशिक्षण प्राप्ति उपरान्त स्वरोजगार हेतु स्व सहायता समूह बनाया जावेगा । प्रशिक्षण उपरांत व्यवसायिक दृष्टिकोण से 10 महिला श्रमिकों का एक स्व–सहायता समूह बनाने पर प्रत्येक समूह को 50 हजार रूपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदाय किया जावेगा जो 03 वर्ष के भीतर मंडल को वापस किया जाना प्रावधानित है।

18 से 60 वर्ष आयु के पंजीकृत निर्माण मजदूरों को योजना में शामिल किया जावेगा। ऋण वसूली का दायित्व जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी का होगा। मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है।

21.6.16. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

- योजना के अंतर्गत मंडल द्वारा वर्ष में एक बार रूपये 12/– (प्रीमियम राशि) पंजीकृत हितग्राही के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जावेगा।
- योजना में 18 से 60 वर्ष आयु समूह के पंजीकृत श्रमिक शामिल होंगें।
- योजना के तहत् दुर्घटना में मृत्यु पर रूपये 2.00 लाख एवं स्थायी अपंगता में रूपये 2.00 संबंधित बैंक द्वारा प्रदाय किया जावेगा।

21.6.17. निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना

- इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 50 वर्ष के आयु समूह के पंजीकृत हितग्राही पात्र होंगे। प्रत्येक सदस्य के लिए रूपये 330/–(प्रीमियम राशि) वार्षिक मंडल द्वारा देय होगा।
- हितग्राही की सामान्य मृत्यु होने पर राशि रूपये 2.00 लाख संबंधित बैंक द्वारा प्रदाय किया जावेगा।

Scanned with OKEN Scanner

21.6.18 पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न सहायता योजना

योजना के तहत चांवड़ी में यूनिट के पास एकत्रित होने वाले निर्माण श्रमिकों को राशि रूपये 05/– में गर्म भोजन वितरण किया जाना प्रावधानित है वर्तमान में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं राजनांदगांव योजना संचालित है।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्न सहायता योजना का शुभारंभ एवं श्रमिक बहनों के साथ भोजन ग्रहण

21.6.19. मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर इज्जत मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना

रेलगाड़ियों में यात्रा करने के लिए पंजीकृत हितग्राहियों को 150 कि.मी. तक इज्जत मंथली सीजन टिकट कार्ड में लगने वाला व्यय मंडल द्वारा देय होगा। मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है।

21.6.20. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

पंजीकृत हितग्राहियों को मंडल द्वारा जो बीपीएल कार्डधारी नहीं होगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रतिवर्ष राशि रूपये 30,000/– चिकित्सा सहायता पूरे परिवार को प्रदाय किया जावेगा मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है।

Scanned with OKEN Scanner

21.6.21 सिलिकोसिस से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना

- योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य से संबंधित सभी अधिसूचित वर्गो के श्रमिकों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- योजना का लाभ हाईजीन प्रयोगशाला द्वारा अथवा किसी अन्य शासकीय चिकित्सालय/चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित होने संबंधी पुष्टि होने पर।
- आवेदन जिले के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किए जायेंगे अथवा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर को भी सूचित किया जा सकता है।

योजना के अंतर्गत रूपये 3.00 लाख प्रदाय किया जावेगा, जिसमें से राशि रू0 1.00 लाख हितग्राहियों के खाते में स्थानांतरित किया जावेगा तथा रू0 2.00 लाख एफडी के रूप में देय होगा। एफडी के ब्याज का स्वरूप मासिक ब्याज के रूप में (मासिक आय योजना M.I.S.) होगा। (श्रमिक के जीवित रहने पर श्रमिक को लाभ की पात्रता एवं सिलिकोसिस बीमारी से मृत्यु होने पर उनके वैध आश्रितों को लाभ की पात्रता होगी) मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है।

21.6.22. मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक के बच्चों हेतु वस्त्र प्रदाय योजना

पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को 01–01 सेट कपड़ा (स्कूल ड्रेस के अतिरिक्त) वर्ष में एक बार मंडल द्वारा देय होगा। मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है।

21.6.23. निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना

इस योजना के अंतर्गत एथलेटिक, कबड्डी, खोखो, फुटबाल,बालीबॉल, हेण्डबॉल, तीरंदाजी, कुश्ती, हॉकी, तैराकी में जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को रूपये 1000 से 50000 तक प्रोत्साहान राशि प्रदाय किया जाना प्रावधानित है। मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है।

21.6.24. श्रम मित्र सहायता योजना

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में निर्माण श्रमिकों का पंजीयन तथा मंडल द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ को सरल एवं सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराने तथा संचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार करने एवं योजनाओं का लाभ दिलाये जाने के उद्देश्य से "श्रम मित्र योजना" दिनांक 21.12.2015 को प्रारंभ की गई है। श्रम मित्र द्वारा श्रमिकों के पंजीयन पंजीकृत श्रमिकों को योजना की जानकारी से अवगत कराते है तथा आवेदन करने में सहयोग प्रदाय करते है।;

Scanned with OKEN Scanner

21.6.25. दुर्घटना से स्थायी दिव्यांग सहायता योजना :–

पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना में स्थायी अपंगता होने पर उसे योजना के तहत 1 वर्ष तक मासिक 3000/– रूपये अथवा एकमुश्त पेंशन (मानदेय) राशि रूपये 30,000/– प्रदाय किया जायेगा। (हितग्राही द्वारा जो विकल्प चुना जावेगा) मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है।

21.6.26. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

पंजीकृत महिला श्रमिक अथवा पंजीकृत पुरूष श्रमिक की पत्नि को गैस चुल्हा एवं प्रथम बार भरा हुआ सिलेंडर मंडल द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की योजनावार संक्षिप्त जानकारी

क्र.	योजना का नाम	1 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017	
		लाभान्वित श्रमिक	व्यय राशि
1	राजमाता विजयाराजे कन्या विवाह योजना	18398	438484000
2	भगिनी प्रसूति सहायता योजना	7286	51685000
3	नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना	109206	202265450
4	विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना	3631	137404000
5	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना	5	3299499
6	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना	20205	85524000
7	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना	645	8226120
8	दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना	16	2360000
9	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना	4409	286199000
10	मेधावी छात्र–छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना	4389	70472689
11	मोबाईल रजिस्ट्रेशन वैन	25,000	1657617
12	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	63210	5414496
13	निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना	29294	46398160
14	पंडित दीनदयाल श्रम अन्न सहायता योजना	20035	1930000
15	श्रम मित्र सहायता योजना	15109	3921400
16	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	146928	150000000
17	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	493863	15000000
	योग	936629	1510241431

(टीपः– सरल क्रमांक 17 की जानकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यालय से अवगत कराया गया है।)

Scanned with OKEN Scanner

22. छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, रायपुर

22.1 असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 केन्द्रीय अधिनियम है, जो वर्ष 2008 से प्रभावशील है। अधिनियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियम 2010 बनाया गया, जो दिनांक 12.08.2010 से प्रभावशील है। असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का गठन दिनांक 04.01.2011 को किया गया। माननीय श्रम मंत्री छत्तीसगढ़ शासन मंडल के अध्यक्ष हैं।

22.2 असंगठित कर्मकार का आशय है –

- स्वनियोजित कर्मकार,
- घरों में काम करने वाले,
- मजदूरी पर नियोजित,
- असंगठित क्षेत्र के कर्मकार, एवं
- संगठित क्षेत्र के वह कर्मकार जो निम्न अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते :–
- कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923.
- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947.
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948.
- कर्मचारी भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम, 1952.
- मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961.
- उपादान भुगतान अधिनियम, 1972.

22.3 मंडल के कार्य (अधिनियम की धारा –8)

- असंगठित क्षेत्र के कर्मकार हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने के लिए राज्य शासन को अनुशंसा करना।
- अधिनियम के संचालन हेतु राज्य शासन को सलाह देना।
- असंगठित कर्मकारों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का परिवीक्षण करना।
- जिला स्तर पर संधारित किये जाने वाले अभिलेखों की समीक्षा।
- असंगठित कर्मकारों के पंजीयन, स्मार्ट कार्ड आदि की समीक्षा।
- विभिन्न योजनाओं के अतंर्गत व्यय की समीक्षा।
- राज्य शासन द्वारा समय–समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का दायित्व निर्वहन।

Scanned with OKEN Scanner

22.4 अधिसूचित किये गए असंगठित कर्मकारों का वर्ग

अधिनियम 2008 की धारा 14 (1) के अंतर्गत 53 वर्ग के कर्मकारों को अधिसूचित किया गया है। विवरण निम्नानुसार है –

1. धोबी, 2. दर्जी, 3. माली, 4. मोची 5. नाई, 6 बुनकर, 7. रिक्शा चालक, 8. घरेलू कामगार, 9. कचरा बिनने वाले, 10. हाथ ठेला चलाने वाले, 11. फुटकर सब्जी, फल–फुल विक्रेता, 12. चाय, चाट, ठेला लगाने वाले, 13. फुटपाथ व्यापारी, 14. हमाल, कुली रेजा, 15. जनरेटर/लाईट उठाने वाले, 16. केटरिंग में कार्य करने वाले, 17. फेरी लगाने वाले, 18. मोटर सायकल/सायकल मरम्मत करने वाले, 19. गैरेज मजदूर, 20. परिवहन में लगे मजदूर, 21. ऑटो चालक, 22. सफाई कामगार 23. ढोल/बाजा बजाने वाले, 24 टेंट हाउस में काम करने वाले, 25. वनोपज में लगे मजदूर, 26. मछुआरा, 27. दाई का काम करने वाली, 28. तांगा/बैलगाड़ी चलाने वाले, 29. तेल पेरने वाले, 30. अगरबत्ती बनाने वाले, 31. गाड़ीवान, 32. घरेलू उद्योग में लगे मजदूर, 33. भड़भूजे (मुर्रा चना फोड़ने वाले), 34. पशुपालन/मत्स्य पालन, मुर्गी/बतख पालन में लगे मजदूर, एवं करने वाले, 35. दुकानों में काम करने वाले मजदूर 36. खेतीहर मजदूर, 37. राउत, चरवाहा, दूध दूहने वाले, 38. मितानीन, 39. नाव चलाने वाले (नाविक), 40. कंसारी, 41. नट–नटनी 42. देवार, 43. शिकारी, 44. अन्य घुमंतु जाती, 45. खैरवार, 46. रसोईया, 47. हड्डी बिनने वाले (हड्बिन्ने) 48. काष्ठागार में काम करने वाले हमाल, 49. समाचार पत्र बांटने वाले (हॉकर), 50. सिनेमा घर में कार्यरत लाईटमैन, स्पॉट बॉय, कैमरा मैन, मेकअप मैन, 51. सोना चांदी की दुकानों में काम करने वाले कारीगर, 52. कोटवार, 53. ठेका मजदूर (छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल में लगे ठेका मजदूर तथा ई0एस0आई0 एवं भविष्य निधि योजना में शामिल ठेका मजदूरों को छोड़कर)।

22.5 असंगठित कर्मकार पंजीयन हेतु आवेदन की प्रकिया

- असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन हेतु निर्धारित आयु सीमा 14 वर्ष से 60 वर्ष तक।
- किसी भी कम्प्यूटर/च्वाईस सेंटर/श्रम केन्द्र में जाकर श्रम विभाग के वेबसाईट www.cglabour.nic.in में जाकर आवेदन कर सकते है।
- पंजीयन हेतु कलर पासपोर्ट साईज फोटो को स्केन कर वेबसाईट में निर्देशानुसार संलग्न करना अनिवार्य।
- आयु पमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र स्केन कर वेबसाईट में निर्देशानुसार संलग्न करना अनिवार्य।
- राशन कार्ड (वैकल्पिक)।
- मोबाईल नंबर एवं खाता नंबर अनिवार्य।
- आय प्रमाण पत्र। (शहरी क्षेत्र हेतु 15,000 मासिक एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु 10,000 मासिक आय संबंधी प्रमाण पत्र सरपंच/पार्षद/पटवारी के हस्ताक्षरयुक्त स्केन कर संलग्न करना अनिवार्य।
- पंजीयन की सूचना/जानकारी श्रमिक को उसके द्वारा दी गई मोबाईल नंबर पर प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित जिले के श्रम कार्यालय में संपर्क करना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

22.6 हितग्राही पंजीयन

क्र.	मंडल में पंजीकृत हितग्राही (01 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक)	मंडल में कुल पंजीकृत हितग्राही (23 जनवरी 2018 की स्थिति में)
1	2,04,576	9,53,062

22.7 छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित योजनाएं

22.7.1 मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना

हितलाभ: एक सायकल (प्रति हितग्राही) देय होगा।

पात्रता : 18 से 40 वर्ष आयु समुह के पंजीकृत महिला कर्मकार। मंडल के सिलाई मशीन योजना अथवा राज्य शासन की किसी अन्य योजना से सायकल प्राप्त करने वाले हितग्राही अपात्र होंगे।

22.7.2 मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन योजना

हितलाभ: एक सिलाई मशीन (प्रति हितग्राही) देय होगा।

पात्रता : पंजीकृत महिला श्रमिक जो 18 से 50 वर्ष आयु समूह की हो। वह महिला कर्मकार जो सिलाई कढ़ाई, बुनाई (दर्जी) का काम करती है या किसी नियोजक के यहां कार्यरत है अथवा स्वयं का व्यवसाय हो एवं प्रदेश के किसी भी जिले से पंजीकृत हो, को लाभ प्रदाय किया जावेगा। मंडल द्वारा सायकल सहायता योजना अथवा राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र होंगे।

मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन योजना के तहत लाभान्वित महिला श्रमिक

Scanned with OKEN Scanner

22.7.3 मुख्यमंत्री ई–रिक्शा सहायता योजना

हितलाभ : योजनांतर्गत पंजीकृत रिक्शा/ऑटो चालकों को ई–रिक्शा क्रय हेतु मंडल का अंशदान राशि रूपये 50,000/– स्वयं का अंशदान राशि रूपये 10,000/– एवं बकाया राशि बैंक से ऋण के माध्यम से हितग्राही द्वारा देय होगा। योजनांतर्गत बैंक से ऋण प्राप्ति का अभिलेख प्रस्तुत करने पर ही मंडल का अंशदान राशि रूपये 50,000/– हितग्राही को देय होगा।

पात्रता : 18 से 50 आयु समूह के पंजीकृत सायकल रिक्शा चालक/ऑटो चालक अथवा श्रमिकों के पंजीकृत समूह ।

मुख्यमंत्री ई–रिक्शा सहायता योजना के अंतर्गत लाभान्वित महिला असंगठित कर्मकार

22.7.4 स्मार्ट वेडिंग कार्ट (रेडिमेड किचन) सहायता योजना

हितलाभ : योजनांतर्गत पंजीकृत चाय, चाट ठेला लगाने वाले अथवा ठेला लगाकर खाद्य सामग्री बेचने वाले को स्मार्ट वेडिंग कार्ट (रेडिमेड किचन) हेतु मंडल का अंशदान राशि रूपये 30,000/– का अनुदान। योजनांतर्गत बैंक से ऋण प्राप्ति का अभिलेख प्रस्तुत करने पर ही मंडल का अंशदान राशि रूपये 30,000/– हितग्राही को देय होगा।

पात्रता : 18 से 50 आयु समूह के चाय, चाट ठेला लगाने वाले अथवा ठेला लगाकर खाद्य सामग्री बेचने वाले पंजीकृत कर्मकार।

Scanned with OKEN Scanner

22.7.5 ई–ठेला सहायता योजना

हितलाभ : योजनांतर्गत पंजीकृत हाथ ठेला चलाने वाले को ई–ठेला हेतु मंडल का अंशदान राशि रूपये 30,000/– का अनुदान। योजनांतर्गत बैंक से ऋण प्राप्ति का अभिलेख प्रस्तुत करने पर ही मंडल का अंशदान राशि रूपये 30,000/– हितग्राही को देय होगा।

पात्रता : 18 से 50 आयु समूह के हाथ ठेला चलाने वाले पंजीकृत कर्मकार।

ई–ठेला योजनांतर्गत सहायता प्राप्त हितग्राही महिला

22.7.6 असंगठित कर्मकार अंत्येष्टि सहायता योजना

हितलाभ : पंजीकृत असंगठित कर्मकार के मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को अंत्येष्टि हेतु राशि रूपये 5,000/– की सहायता।

पात्रता : मंडल में पंजीकृत असंगठित कर्मकार।

22.7.7 कचरा बीनने वाले हेतु सुरक्षा उपकरण सहायता योजना

हितलाभ : मंडल में पंजीकृत कचरा बीनने वाले को सुरक्षा उपकरण हेतु दस्ताना, जूता एवं रेनकोट प्रदान किया जावेगा अथवा सीएसआईडीसी द्वारा निर्धारित दर पर राशि का भुगतान किया जावेगा।

पात्रता : मंडल में पंजीकृत 18 से 60 वर्ष आयु समूह के असंगठित कर्मकार। राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त करने वाले पंजीकृत कर्मकार इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं है।

Scanned with OKEN Scanner

22.7.8 असंगठित कर्मकार समाचार पत्र हॉकर सायकल सहायता योजना

हितलाभ : एक सायकल प्रति हितग्राही देय होगा।

पात्रता : – पंजीकृत असंगठित समाचार पत्र बांटने वाले (हॉकर) कर्मकार।
– राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र होंगे।

22.7.9 असंगठित कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना

हितलाभ : पंजीकृत असंगठित कर्मकार को किडनी, केंसर, सिकलिंग (सिकलसेल एनीमिया), हृदय रोग, एड्स एवं लकवा रोग के ईलाज हेतु 50000/– रूपये की चिकित्सा सहायता अथवा ईलाज में हुये वास्तविक व्यय जो भी कम हो प्रदाय किया जायेगा।

पात्रता : 18 से 60 वर्ष की आयु के असंगठित कर्मकार जो मंडल में कम से कम 90 दिवस पूर्व पंजीकृत हो।

22.7.10 मुख्यमंत्री राऊत, चरवाहा एवं दूध दुहने वाले सायकल सहायता योजना

हितलाभ : एक सायकल प्रति हितग्राही ।

पात्रता : 18 से 60 वर्ष तक के राऊत, चरवाहा एवं दूध दुहने वाले पंजीकृत असंगठित कर्मकार ।
राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त करने वाले असंगठित कर्मकार इस योजना के लाभ हेतु अपात्र होंगे।

22.7.11 मुख्यमंत्री कोटवार सायकल एवं टॉर्च सहायता योजना

हितलाभ : एक सायकल एवं टॉर्च हेतु रूपये 750/– प्रति हितग्राही।

पात्रता : पंजीकृत असंगठित कर्मकार कोटवार वर्ग की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक की हो।
राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त करने वाले असंगठित कर्मकार इस योजना के लाभ हेतु अपात्र होंगे।

22.7.12 फुटकर सब्जी, फल–फूल विक्रेता हेतु तराजू बाट एवं टोकरी सहायता योजना

हितलाभ : योजनांतर्गत पंजीकृत फुटकर सब्जी, फल–फूल विक्रेता हेतु तराजू बाट एवं टोकरी क्रय करने हेतु रू. 700/– एक बार दिये जाने का प्रावधान है।

पात्रता : 18 से अधिक आयु वाले फुट फुटकर सब्जी, फल–फूल विक्रेता प्रवर्ग में पंजीकृत असंगठित कर्मकार।

Scanned with OKEN Scanner

22.7.13 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

हितलाभ : मंडल में पंजीकृत असंगठित कर्मकारों द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल होने पर हितग्राही द्वारा देय वार्षिक प्रीमियम राशि रूपये 12/– मंडल द्वारा देय होगा।

योजना के तहत् दुर्घटना में मृत्यु पर रूपये 2.00 लाख एवं स्थायी अपंगता में रूपये 2.00 लाख संबंधित बैंक द्वारा प्रदाय किया जावेगा।

पात्रता : पंजीकृत असंगठित कर्मकार।

22.7.14. अटल पेंशन योजना

हितलाभ : योजना के तहत् भारत सरकार द्वारा हितग्राही के अंशदान का 50 प्रतिशत अथवा रूपये 1,000/– जो कम हो, 1 जून 2015 के पश्चात् किया जावेगा। मंडल द्वारा रूपये 500/– प्रत्येक हितग्राही को अंशदान देय होगा। योजना में प्रत्येक हितग्राही रूपये 1,000/– से 5,000/– तक मासिक पेंशन हितग्राही के अंशदान से मिलेगा। हितग्राही एवं उनके आश्रित की मृत्यु की दशा में हितग्राही के पेंशन खाते में जमा राशि उसके नामित को प्रदाय किया जावेगा।

पात्रता : योजना में 18 से 40 वर्ष आयु समूह के असंगठित कर्मकार।

22.7.15 सफाई कर्मकार कौशल उन्नयन योजना

हितलाभ : योजना के अंतर्गत पंजीकृत सफाई कर्मकार एवं परिवार के सदस्यों को सीएसएसडीए द्वारा चिन्हांकित व्यवसायों में व्ही.टी.पी. के द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा।

मंडल द्वारा प्रशिक्षणरत कर्मकार को श्रम विभाग के द्वारा अकुशल श्रमिक के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन की दर से प्रत्येक दिन हेतु मानदेय प्रदाय किया जावेगा।

पात्रता : मंडल द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु के पंजीकृत सफाई कर्मकारों को योजना में शामिल किया जावेगा तथा अकुशल श्रमिक के भांति न्यूनतम वेतन मानदेय देय होगा। यदि कोई कर्मकार राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है तो इस योजना के लिए अपात्र होगा।

22.7.16 सफाई कर्मकार पुत्र/पुत्री सायकल सहायता योजना

हितलाभ : पंजीकृत सफाई कर्मकार के शाला/विश्वधिालय में अध्ययनरत पुत्र/पुत्री (दो संतान तक) को सायकल।

पात्रता : यदि पंजीकृत सफाई कर्मकार के पुत्र/पुत्री शाला/विश्वविद्यालय में अध्यनरत है तथा उन्हें शिक्षा विभाग से सायकल सहायता योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, तभी उन्हें हितलाभ प्रदान किया जावेगा।

Scanned with OKEN Scanner

22.7.17 सफाई कर्मकार के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना

हितलाभ : रूपये 1000/– से रूपये 15000/– तक पंजीकृत सफाई कर्मकारों के अध्ययनरत 02 पुत्र/पुत्रियों को कक्षावार वार्षिक छात्रवृत्ति एकमुश्त प्रदाय की जायेगी।

पात्रता : पंजीकृत सफाई कर्मकार के कक्षा 1 से स्नातकोत्तर पीएच.डी. तक अध्ययनरत पुत्र/पुत्रियों को छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।

यांत्रिकी या चिकित्सा शिक्षा हेतु महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक अथवा अन्य पाठ्यक्रम के पश्चात् न्यूनतम 01 वर्ष अध्ययन की अनिवार्यता होगी। 01 वर्ष के बीच सत्र में अध्ययन रोक देने की स्थिति में छात्रवृत्ति की राशि वापस जमा करनी होगी।

यदि कोई छात्र/छात्रा अन्य शासकीय विभाग/संस्था की अन्य योजनांतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त कर रहा है जो उसके लिए हितकर/लाभप्रद है तो वह इस योजना के लिए अपात्र होंगे।

22.7.18 सफाई कर्मकार के पुत्र–पुत्री हेतु विशेष कोचिंग योजना

हितलाभ : कक्षा दसवी एवं उससे उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत पुत्र/पुत्री (दो संतानों) को इंजीनियरिंग, चिकित्सा, सीए, एमबीए अथवा अन्य व्यवसायिक शिक्षा में प्रवेश हेतु विशेष कोचिंग हेतु लगने वाला शुल्क मंडल द्वारा देय होगा।

पात्रता : पंजीकृत सफाई कर्मकारों के अध्ययनरत 02 पुत्र/पुत्रियों को विशेष कोचिंग का शुल्क प्रदान किया जावेगा।

यदि कोई छात्र/छात्रा अन्य शासकीय विभाग/संस्था की अन्य योजनांतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा है जो उसके लिए हितकर/लाभप्रद है तो वह इस योजना के लिए अपात्र होंगे।

22.7.19 सफाई कर्मकार बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना

हितलाभ : पंजीकृत सफाई कर्मकार अथवा उनके परिवार के सदस्य को स्वास्थ्य परीक्षण सहायता राशि रूपये 2000 तक चिकित्सा सहायता दवाई कय हेतु वर्ष में प्रदाय की जावेगी।

पात्रता : 18 से 60 वर्ष के पंजीकृत सफाई कर्मकार एवं उनके परिवार के सदस्य (पति–पत्नि, पुत्र एवं पुत्री) जिनका उल्लेख पंजीयन कार्ड में है।

शासकीय चिकित्सालय के चिकित्सक द्वारा प्रमाणिक देयक की प्रतिपूर्ति (उन्हीं दवा के देयक जो शासकीय चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है।) की जावेगी।

Scanned with OKEN Scanner

22.7.20 सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना

हितलाभ : पंजीकृत सफाई महिला कर्मकार को गर्भधारण के प्रथम तिमाही (तीसरे माह में) रूपये 5,000/– एवं तृतीय तिमाही (आठवें माह) रूपये 5,000/– प्रसूति लाभ देय होगी।

पात्रता : पंजीकृत सफाई कर्मकार महिला को योजना का लाभ केवल दो बार प्रसव हेतु देय होगा।
सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थाओं में नियमित कार्यरत सफाई कर्मकारों की पत्नी अपात्र होगी।

22.7.21 सफाई कर्मकार विवाह योजना

हितलाभ : इस योजना के अंतर्गत राशि रूपये 15,000/– प्रति विवाह सहायता देय होगी।

पात्रता : पंजीकृत सफाई कर्मकार के दो पुत्रियों की सीमा तक पात्रता।
पंजीकृत महिला सफाई कर्मकार के स्वयं के विवाह/एकबार पुनर्विवाह अथवा सफाई कर्मकार के धर्मज या विधिमान्य गोद ली गई या सौतेली पुत्री जिनकी आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम नहीं हो,

22.7.22 सफाई कर्मकार आवश्यक उपकरण सहायता योजना

हितलाभ : पंजीकृत हितग्राही को आवश्यक उपकरण गमबूट, दस्ताने, मास्क एवं एप्रेन प्रतिवर्ष प्रदाय किया जावेगा।

पात्रता : पंजीकृत सफाई कर्मकार 18 से 60 वर्ष की आयु वाले हितग्राही योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।
राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

22.7.23 ठेका श्रमिक एवं हमाल श्रमिक बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना

हितलाभ : पंजीकृत ठेका श्रमिक एवं हमाल श्रमिक को स्वास्थ्य परीक्षण सहायता राशि रूपये 2000 तक चिकित्सा सहायता दवाई कय हेतु वर्ष में प्रदाय की जावेगी।

पात्रता : 18 से 60 वर्ष के पंजीकृत ठेका श्रमिक एवं हमाल श्रमिक को शासकीय चिकित्सालय के चिकित्सक द्वारा प्रमाणिक देयक की प्रतिपूर्ति (उन्हीं दवा के देयक जो शासकीय चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है।) की जावेगी।

22.7.24 हमाल हेतु जूता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सूपा और टोकरी सहायता योजना

हितलाभ : पंजीकृत असंगठित हमाल कर्मकारों को जूता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सूपा और टोकरी प्रति हितग्राही देय होगा।

पात्रता : 18 से 60 वर्ष के आयु समूह के पंजीकृत हमाल पात्र होंगे।
राज्य शासन द्वारा संचालित अन्य किसी समानांतर योजना से लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो।

Scanned with OKEN Scanner

22.7.25 ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चो हेतु छात्रवृत्ति योजना

हितलाभ : रूपये 500/- से रूपये 5000/- तक पंजीकृत ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के अध्ययनरत 02 पुत्र/पुत्रियों को कक्षावार वार्षिक छात्रवृत्ति एकमुश्त प्रदाय की जायेगी।

पात्रता : पंजीकृत ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के कक्षा 1 से स्नातकोत्तर पीएच.डी. तक अध्ययनरत पुत्र/पुत्रियों को छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।

यांत्रिकी या चिकित्सा शिक्षा हेतु महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक अथवा अन्य पाठ्यक्रम के पश्चात् न्यूनतम 01 वर्ष अध्ययन की अनिवार्यता होगी। 01 वर्ष के बीच सत्र में अध्ययन रोक देने की स्थिति में छात्रवृत्ति की राशि वापस जमा करनी होगी।

यदि कोई छात्र/छात्रा अन्य शासकीय विभाग/संस्था की अन्य योजनांतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त कर रहा है जो उसके लिए हितकर/लाभप्रद है तो वह इस योजना के लिए अपात्र होंगे।

22.7.26 ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना

हितलाभ : पंजीकृत ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक को गर्भधारण के प्रथम तिमाही (तीसरे माह में) रूपये 5,000/- एवं तृतीय तिमाही (आठवें माह) रूपये 5,000/- प्रसूति लाभ देय होगा।

पात्रता : पंजीकृत ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक को योजना का लाभ केवल दो बार प्रसव हेतु देय होगा।

सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थाओं में नियमित कार्यरत ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक की पत्नी अपात्र होगी।

22.7.27 ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक विवाह योजना

हितलाभ : इस योजना के अंतर्गत राशि रूपये 15,000/- प्रति विवाह सहायता देय होगी।

पात्रता : पंजीकृत ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के दो पुत्रियों की सीमा तक पात्रता।

पंजीकृत महिला ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के स्वयं के विवाह/एकबार पुनर्विवाह अथवा ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के धर्मज या विधिमान्य गोद ली गई या सौतेली पुत्री जिनकी आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम नहीं हो,

Scanned with OKEN Scanner

22.7.28 घरेलू महिला कामगार सायकल, छतरी, चप्पल/जूता सहायता योजना

हितलाभ : पंजीकृत घरेलू महिला कामगार को सायकल, छतरी, चप्पल/जूता प्रति हितग्राही प्रदाय किया जावेगा।

पात्रता : इस योजना में 18 से 60 वर्ष के आयु समूह के पंजीकृत घरेलू महिला कामगार पात्र होंगे।
राज्य शासन द्वारा संचालित अन्य किसी समानांतर योजना से लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो।

22.7.29 घरेलू महिला कामगार कौशल उन्नयन एवं ठेका श्रमिक, हमाल कामगार परिवार सशक्तिकरण योजना

हितलाभ : योजना के अंतर्गत समय–समय पर सीएसएसडीए में पंजीकृत व्ही.टी.पी द्वारा चिन्हांकित व्यवसाय हेतु मंडल द्वारा पंजीकृत घरेलू महिला श्रमिक को स्वयं एवं ठेका श्रमिक एवं हमाल के परिवार के सदस्यों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जावेगा।

पात्रता : आयु 18 वर्ष से अधिक तथा मंडल में घरेलू महिला कामगार कौशल उन्नयन एवं ठेका श्रमिक, हमाल कामगार के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

22.7.30 मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार इज्जत मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना

हितलाभ : योजना के अंतर्गत रेलगाड़ियो में 150 कि0मी0 तक दैनिक यात्रा करने के लिये पंजीकृत असंगठित कर्मकारों को इज्जत कार्ड मंडल द्वारा रेल्वे के सहयोग से प्रदाय किया जावेगा।

पात्रता : योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार मंडल में पंजीयन होना आव''यक है। राज्य शासन द्वारा संचालित अन्य समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो।

22.7.31 पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न सहायता योजना

योजना के तहत पंजीकृत असंगठित कर्मकारों को संचालित अन्न केन्द्र में रूपये 05/– में गर्म भोजन वितरण किया जाना प्रावधानित है वर्तमान में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं राजनांदगांव योजना संचालित है।

Scanned with OKEN Scanner

22.7.32 सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना

- योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य से संबंधित सभी अधिसूचित वर्गो के श्रमिकों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- योजना का लाभ हाईजीन प्रयोगशाला द्वारा अथवा किसी अन्य शासकीय चिकित्सालय/चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित होने संबंधी पुष्टि होने पर।
- आवेदन जिले के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किए जायेंगे अथवा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर को भी सूचित किया जा सकता है।
- योजना के अंतर्गत रूपये 3.00 लाख प्रदाय किया जावेगा, जिसमें से राशि रू0 1.00 लाख हितग्राहियों के खाते में स्थानांतरित किया जावेगा तथा रू0 2.00 लाख एफडी के रूप में देय होगा। एफडी के ब्याज का स्वरूप मासिक ब्याज के रूप में (मासिक आय योजना M.I.S.) होगा। (श्रमिक के जीवित रहने पर श्रमिक को लाभ की पात्रता एवं सिलिकोसिस बीमारी से मृत्यु होने पर उनके वैध आश्रितों को लाभ की पात्रता होगी)। मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है।

22.8 छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल को प्राप्त बजट एवं व्यय की जानकारी

छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकारी राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल को राज्य शासन द्वारा पंजीकृत असंगठित कर्मकारों की हेतु योजनाओं के संचालन हेतु बजट प्रदान किया जाता है।

22.8.1 वर्ष 2017–18 में बजट की जानकारी

क्र.	मद का नाम	प्राप्त बजट
1	कल्याणकारी योजनाओं के कियान्वयन हेतु	17.75 करोड़
2	सफाई कर्मकारों के कल्याणकारी योजनओं के कियान्वयन हेतु	10.00 करोड़
3	ठेका मजदूर, घरेलू कामकाजी महिला एवं हमाल कर्मकारों के कल्याणकारी योजनाओं के कियान्वयन हेतु	10.00 करोड
4	अन्य मद	1.50 करोड
	कुल	**39.25 करोड़**

Scanned with OKEN Scanner

22.8..2 योजनांतर्गत लामान्वित श्रमिकों की संख्या एवं व्यय राशि का विवरण

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2017–18	
		लामान्वित श्रमिक संख्या	व्यय राशि
1	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना	4426	14095537
2	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना	4756	23625577
3	असंगठित कर्मकार समाचार–पत्र हॉकर सायकल सहायता योजना	540	2467136
4	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना	0	0
5	अटल पें"ान योजना	0	0
6	मुख्यमंत्री राउत, चरवाहा एवं दूध दूहने वाले सायकल सहायता योजना	287	794858
7	मुख्यमंत्री कोटवार, सायकल एवं टार्च सहायता योजना	383	1338468
8	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	89733	1076674
9	ई–रिक्'ाा सहायता योजना	657	9974080
10	ई–ठेला सहायता योजना	17	510000
11	स्मार्ट वेडिंग कार्ट (रेडिमेड किचन) सहायता योजना	1	15000
12	कचरा बिनने वाले हेतु सुरक्षा उपकरण सहायता योजना	0	0
13	फुटकर सब्जी, फल–फूल विक्रेता हेतु तराजू, बाट सहायता योजना	68	51900
14	असंगठित कर्मकार अंत्येष्टि सहायता योजना	8	40000
15	सफाई कर्मकार कौशल उन्नयन योजना	230	215440
16	सफाई कर्मकार के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना	513	960000
17	सफाई कर्मकार के पुत्र/पुत्री हेतु विशेष कोचिंग योजना	0	0
18	सफाई कर्मकार बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना	1	2000
19	सफाई कर्मकार पुत्र/पुत्री सायकल सहायता योजना	53	151367
20	सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	105	915000
21	सफाई कर्मकार विवाह योजना	99	1485000
22	सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना	883	811300
23	ठेका श्रमिक एवं हमाल श्रमिक बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना	0	0
24	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना	822	773000
25	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना	287	3215600
26	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक विवाह योजना	347	3930000
27	हमाल हेतु जूता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सूपा और टोकरी सहायता योजना	126	252000
28	घरेलू महिला कामगार सायकल, छतरी, चप्पल/जूता सहायता योजना	805	2729896
29	घरेलू महिला कामगार कौशल उन्नयन एवं ठेका श्रमिक, हमाल तथा घरेलू महिला कामगार परिवार सशक्तिकरण योजना	854	5198465
	योग	**106001**	**74628298**

Scanned with OKEN Scanner

23. कार्यालय–राज्य औद्योगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़, रायपुर

23.1 **गतिविधियाँ** :– यह एक न्यायिक संगठन है, इस संगठन द्वारा श्रमिकों एवं मालिकों के मध्य उत्पन्न विवादों का निराकरण श्रम विधि के अनुसार किया जाता है। औद्योगिक न्यायालय का गठन औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 9 तथा श्रम न्यायालय का गठन धारा 8 के अंतर्गत किया गया है। औद्योगिक न्यायाधिकरण का गठन औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा–7(ए) के अंतर्गत किया गया है। धारा–7(ए) के अनुसार कोई भी औद्योगिक विवाद चाहे वह संविधान की अनुसूची–2 का विषय हो अथवा अनुसूची–3 का हो राज्य शासन द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयार्थ सौंपा जा सकता है।

छत्तीसगढ़ राज्य में एक औद्योगिक न्यायाधिकरण/औद्योगिक न्यायालय का गठन दिनांक 01.08.2002 से किया गया है। जिसमें एक अध्यक्ष एवं एक या एक से अधिक सदस्य जज का प्रावधान रखा गया है। इसका मुख्यालय रायपुर में स्थापित है। वर्तमान में औद्योगिक न्यायालय का खंडपीठ बिलासपुर में स्थापित किया गया है, जो 01 जनवरी 2007 से कार्य कर रहा है। वर्तमान में यहाँ एक अध्यक्ष के अतिरिक्त एक सदस्य जज पदस्थ है। कार्य की मात्रा को सामने रखते हुए एक से अधिक सदस्य की आवश्यकता सम्प्रति नही है।

छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक न्यायालय के अंतर्गत 14 श्रम न्यायालय कार्यरत है। वे श्रम न्यायालय क्रमांक–1 एवं कमांक–2 रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, अम्बिकापुर, रायगढ़, कोरबा, धमतरी, जांजगीर–चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद तथा मनेन्द्रगढ़ जिला में स्थापित व कार्यरत है।

श्रम विभाग के अधिसूचना कमांक एफ 1–7/2015/16, दिनांक 08.12.2015 के द्वारा छत्तीसगढ़ श्रम न्यायिक संगठन को माननीय उच्च न्यायालय के नियंत्रण में लिया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

23.2 **उपलब्धियॉ** :– श्रम न्यायालयों को कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत आयुक्त कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम का अधिकार दिया गया है। जिससे अपने–अपने क्षेत्रों के क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत मृतक श्रमिकों के आश्रित परिवारजनों को भुगतान किया जाता है। श्रम न्यायालयों में 31 दिसम्बर 2017 की स्थिति में कुल 8096 प्रकरण लंबित है, इसी तरह औद्योगिक न्यायालय में कुल 80 प्रकरण लंबित है।

विद्यमान श्रम न्यायालयों द्वारा हर वर्ष लाखों रूपयों के अर्थदंड की राशि वसूल कर शासन के खाते में जमा कराई जाती है। वर्ष 2017 में जनवरी माह से माह दिसम्बर 2017 तक लगभग 3,46,16,750/–रूपये (तीन करोड़ छियालिस लाख सोलह हजार सात सौ पचास रूपये) अर्थदंड एवं नकल शुल्क के रूप में 29012/– रू. (उनतीस हजार बारह रूपये) वसूल कर शासन के खाते में जमा कराई जा चुकी है।

श्रम न्यायालयों द्वारा विधिक सेवाएं एवं लोक अदालतों के माध्यम से न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या कम करने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

Scanned with OKEN Scanner

24. कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, छत्तीसगढ़

24.1 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (**Employees state Insurance Act**) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना, देश के अन्य राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ में भी लागू है। श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदाय करने वाली यह योजना सभी कारखानों, सिनेमाघरों, ट्रांसपोर्ट तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, निजी सहायता प्राप्त शैक्षणिक एवं चिकित्सा संस्थाओं पर लागू है। संस्थानों में 10 या अधिक श्रमिक कार्यरत होने पर यह योजना लागू होती है।

24.2 वर्तमान में रुपये 21,000/– प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले श्रमिकों तथा उनके परिवारों को भी योजना में सम्मिलित किया गया है। योजना में सम्मिलित श्रमिकों को बीमित व्यक्ति कहते हैं।

24.3 बीमित व्यक्तियों के वेतन से उनके वेतन का 1.75% तथा नियोक्ताओं द्वारा बीमित के वेतन का 4.75% अंशदान नियमित रूप से कर्मचारी राज्य बीमा निगम को जमा करवाना होता है।

24.4 योजना के अनुसार हितग्राहियों को चिकित्सा हितलाभ राज्य शासन द्वारा दिया जाता है।

24.5 हितग्राहियों को चिकित्सा हितलाभ देने के लिये वर्तमान में रू. 3000 प्रति बीमित व्यक्ति प्रतिवर्ष की सीलिंग निर्धारित की गई है। चिकित्सा हितलाभ पर होने वाले व्यय का निर्धारित सीलिंग के अन्तर्गत 1/8 भाग (12.5%) राज्य शासन द्वारा तथा 7/8 भाग (87.5%) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा वहन किया जाता है । निर्धारित सीलिंग से अधिक व्यय होने पर उसका वहन राज्य शासन के द्वारा किया जाता है।

24.6 कर्मचारी राज्य बीमा निगम (केन्द्रीय शासन का निगम) द्वारा हितग्राहियों को नगद हितलाभ दिये जाते हैं।

24.7 छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के नियंत्रण में कार्यरत कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें द्वारा हितग्राहियों को चिकित्सा हितलाभ दिया जाता है ।

24.8 कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के अंतर्गत वर्तमान में 10 जिलों में 43 औषधालय कार्यरत हैं, जिनमें लगभग 4,23,990 बीमित व्यक्ति तथा उनके परिवार हितलाभ प्राप्त कर रहे है।

Scanned with OKEN Scanner

वर्तमान में कार्यरत औषधालयों/केन्द्रों का जिलेवार विवरण निम्नानुसार है

जिला का नाम	क्रमांक	औषधालयों/केन्द्र का नाम
रायपुर	1.	फाफाडीह
	2.	बीरगॉव
	3.	कबीर नगर
	4.	चौबे कालोनी
	5.	मंदिरहसौद
	6.	बैकुंठ (तिल्दा)
	7.	सेजबहार–डूंडा
	8.	सिलतरा
दुर्ग	9.	नंदिनी रोड केन्द्र (खुर्सीपार)
	10.	भिलाई सुपेला केन्द्र
	11.	दुर्ग केन्द्र
	12.	रसमडा केन्द्र
	13.	जामुल केन्द्र
	14.	कुम्हारी केन्द्र
	15	रिसाली–मरौदा केन्द्र
	16.	हथखोज केन्द्र
	17.	भिलाई–3
राजनांदगांव	18.	राजनांदगॉव केन्द्र
	19.	टेडेसरा केन्द्र
	20.	तुमडीबोड़ केन्द्र
बिलासपुर	21.	बिलासपुर केन्द्र
	22.	बिल्हा केन्द्र
	23.	सीपत
रायगढ़	24.	रायगढ़ केन्द्र
	25.	पतरापाली केन्द्र
	26.	तराईमाल केन्द्र
	27.	जामगॉव केन्द्र
	28.	भूपदेवपुर
	29.	तमनार
जांजगीर–चांपा	30.	चॉपा केन्द्र
	31.	अकलतरा केन्द्र
	32.	डभरा केन्द्र
कोरबा	33.	कोरबा केन्द्र
	34.	बाल्को नगर केन्द्र
	35.	दर्री जमनीपाली
	36.	पताडी केन्द्र (कोरबा)
	37.	छुरीकला (कोरबा)
	38.	दीपका
बलौदाबाजार	39.	बलौदाबाजार
	40.	भाटापारा
	41.	हिरमी
धमतरी	42.	धमतरी केन्द्र
गरियाबंद	43.	नवापारा–राजिम

Scanned with OKEN Scanner

24.9 राज्य के शेष 17 जिलों के मुख्यालय/म्युनिसिपल क्षेत्रों में इस वित्तीय वर्ष से कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू की गई है। इन नये क्षेत्रों के हितग्राहियों को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा निजी चिकित्सालय/निजी चिकित्सक के साथ अनुबंध किया जा रहा है।

24.10 बीमित हितग्राहियों को टर्शरी चिकित्सा सुविधायें कैशलेस आधार पर उपलब्ध कराने के लिये कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने राज्य के 12 निजी चिकित्सालयों के साथ अनुबंध किया है। सुपर स्पेशिलस्ट चिकित्सकों द्वारा विभिन्न प्रकार के हृदय रोग, किडनी रोगों, मस्तिष्क रोगों, जटिल सर्जरी आदि से संबंधित उपचार टर्शरी केयर के अन्तर्गत आते हैं।

24.11 जिन क्षेत्रों में 2000 से कम संख्या में बीमित व्यक्ति रहते हैं उन क्षेत्रों में बीमा चिकित्सा व्यवसायी (IMP) के माध्यम से चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है । इन चिकित्सकों को 500 रू. प्रति बीमित व्यक्ति प्रतिवर्ष की दर से मानदेय का भुगतान करने का प्रावधान है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा आवश्यकतानुसार बीमा चिकित्सा व्यवसायी (IMP) की व्यवस्था की जा रही है।

24.12 हितग्राहियों को बेहतर चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने के लिये चौबे कालोनी औषधालय रायपुर में डायग्नोस्टिक सेन्टर कम इमरजेन्सी सेन्टर संचालित किया जा रहा है।

24.13 विभागीय संरचना के अन्तर्गत 950 पद स्वीकृत हैं :–

श्रेणी	स्वीकृत पद
प्रथम श्रेणी	21
द्वितीय श्रेणी	141
तृतीय श्रेणी	517
चतुर्थ श्रेणी	271
कुल	950

Scanned with OKEN Scanner

24.14 कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें का बजट प्रावधान तथा व्यय

वित्त वर्ष	बजट प्रावधान (रू.)	कुल व्यय (रू.)
2013–14	32,74,30,300	21,18,09,975
2014–15	38,55,42,100	23,07,89,316
2015–16	44,95,30,100	36,53,84,334
2016–17	54,36,54,000	41,81,62,509
2017–18	58,40,50,100	30,78,25,736 (नवम्बर 2017 तक)

- वर्षभर में समस्त औषधालयों में उपस्थित होने वाले मरीजों की संख्या लगभग 6 लाख होती है ।
- योजना के अन्तर्गत गम्भीर बीमारियों के मरीजों को राज्य के बाहर स्थित देश के प्रतिष्ठित चिकित्सालयों में संदर्भित कर उपचार कराया जाता है ।
- बीमित हितग्राहियों को गंभीर बीमारियों के प्रकरणों में कैशलेस आधार पर प्रतिष्ठित निजी चिकित्सालयों के माध्यम से उपचार देने की व्यवस्था की गई है ।

24.15 शीघ्र आरंभ होने वाले नये औषधालय

क्र.	केन्द्र/औषधालय का नाम	औषधालयों की संख्या
1	सारंगगढ़–चंद्रपुर क्षेत्र	1
2	अंबिकापुर (जिला – सरगुजा)	1
3	कबीरधाम	1
	कुल योग	03

Scanned with OKEN Scanner

24.16 भविष्य की योजनाएं

24.16.1 भिलाई, कोरबा तथा रायपुर में एक–एक अंतः रोगी चिकित्सालय आरंभ करने के लिये राज्य शासन द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम को निःशुल्क भूखण्डों का आबंटन किया गया है।

कोरबा में निर्माणाधीन 100 बिस्तर युक्त कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय

24.16.2 रायगढ़ में प्रस्तावित 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय आरंभ किया जाना प्रस्तावित है। कलेक्टर रायगढ़ द्वारा इस प्रयोजन के लिए 11 एकड़ का भूखण्ड चिन्हित किया गया है।

24.16.3 रायपुर में एक सुपर स्पेशिलटी चिकित्सालय आरंभ किया जाना प्रस्तावित है।

====000====

Scanned with OKEN Scanner

विभागीय गतिविधियों / कार्यक्रमों से संबंधित छायाचित्र

मानानीय मंत्रीजी श्रम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ई-रिक्शा सहायता योजनांर्तगत हितग्राही को ई-रिक्शा की चाबी सौंपते हुए

Scanned with OKEN Scanner

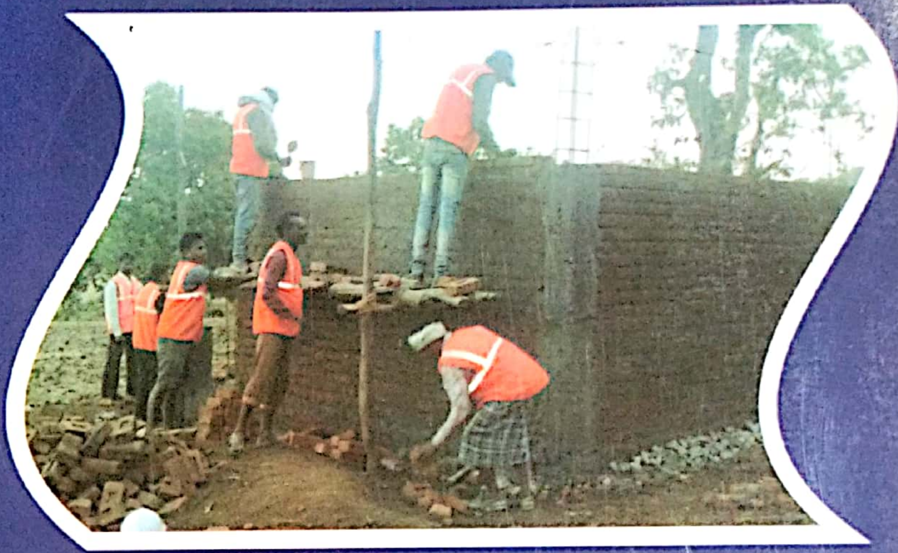

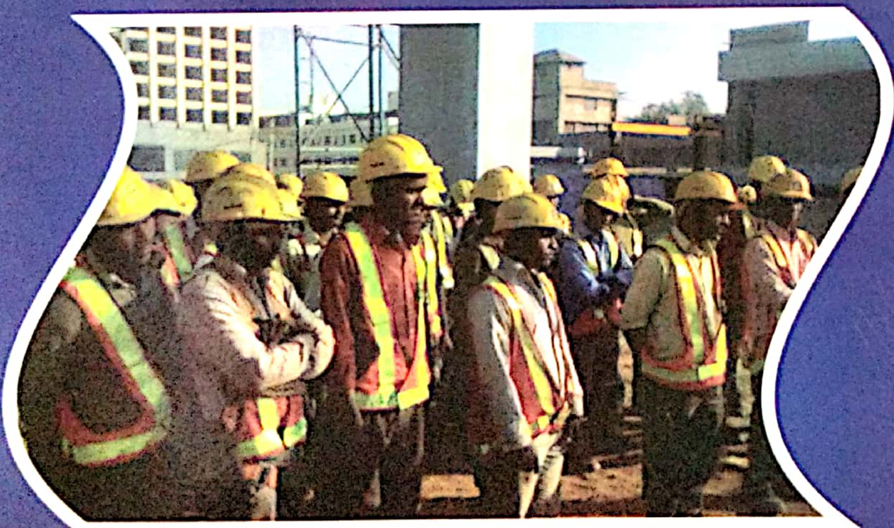

कार्यालय श्रमायुक्त, द्वितीय तल, ब्लॉक-3, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, पिन कोड - 492002

दूरभाष नं. 0771-2443513 से 16, टॉल फ्री नंबर - 1800-233-2197